खण्ड-301, अंक-10
बुधवार, 16 फाल्गुन, शक संवत् 1894
(7 मार्च, 1973 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 301 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

रूड़की विश्वविद्यालय की सीनेट के लिये 4 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) 1207

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें 1208–1214

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक–धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, 1972 (पारित) ..1214–1216

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1973 (पारित) 1216–1234

नियम 51 क अन्तर्गत सूचनायें 1534

नत्थियां 1235–1247

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 7 मार्च, 1973

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--365

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानीं, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमीं, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदुलूत खां, श्री
अहमदल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्र लाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकांत बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैयालाल बालमीकि, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमला पति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्प नाथ सिंह ,श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्ण कान्त अवस्थी, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरुप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशव राम श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेई, श्री

गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्रमोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मल्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव ,श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रवेंणी सहाय, श्री
ल सिंगार यादव, श्री
वदीपनारायण वन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर , श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्म प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, (श्री उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
वंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)

बसंतलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसंत लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारे लाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महाबीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
मही लाल, श्री
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेंद्र सिंह, श्री (उफ ललन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पांडेय, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेंद्र किशोरी, श्रीमती
राजेंद्र कुमार शर्मा, श्री
राजेंद्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेंद्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
राम किशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम जियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम प्यारे, श्री
राम प्यारे शुक्ल, श्री

रामप्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़ फूलपुर)
रामबिलास पांडेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल चतुवदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्षमण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेंद्र कुमार, चौधरी
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शांती चरण पिंडारा, श्री
शांती देवी, श्रीमती
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिवप्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेंद्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरूलाल, श्री
शेरअली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेषनारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री

सतीश चन्द्र, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेंद्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

माननीय रामगोपाल संड ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन सुन लें । मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के बीच में यह नहीं आता ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

पहले कैसे नहीं आता ? यह तो सरकार, सरकार ही नहीं रह गयी है इस सदन में । इस कानून का, संविधान का और नियमावली का उल्लंघन किया ।

श्री अध्यक्ष—

यह आपके कहने से नहीं होगा । मैं पुकार चुका हूं माननीय रामगोपाल संड को ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

हमारा व्यवस्था का प्रश्न है, आप इसका निर्णय कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

यह कहां से क्वैश्चन उठा ? आप डिस्टर्ब कर रहे हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आपकी आज्ञा शिरोधार्य होनी ही है, लेकिन सुन लीजिये.....

श्री अध्यक्ष—

मैं प्रश्नों के पहले कोई प्रश्न नहीं उठाने दूंगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अच्छी बात है , इसके बाद अवसर दीजियेगा ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार 7 मार्च, 1973

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का विधान भवन के सामने प्रदर्शन

**1—श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 12 दिसम्बर, 1972 को प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों ने विधान भवन के सामने कोई प्रदर्शन किया था ? यदि हां, तो उनकी मुख्य मांग क्या हैं ? क्या शिक्षा राज्य मन्त्री (माध्यमिक) ने उन्हें सम्बोधित भी किया था ? यदि हां, तो मन्त्री जी ने उन्हें क्या आश्वासन दिया है ?

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

जी हां, उनकी मांग थी कि राज्य में माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाय। राज्य शिक्षा मंत्री ने उपस्थित अध्यापक वर्ग से उनका ज्ञापन प्राप्त किया और अपने संबोधन में उन्हें यह बताया कि मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार शासन उस पर सक्रियता से विचार कर रहा है।

श्री घनानन्द पांडेय टेकनिकल पावर कमेटी का प्रतिवेदन

**2—श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद), श्री राम विलास पांडेय (जिला आजमगढ़), श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर), श्री मोहम्मद असरार अहमद, (जिला बदायूं), श्री सच्चिदानन्द गुप्ता (जिला लखनऊ), श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को टेकनिकल पावर कमेटी जो श्री घनानन्द पाण्डेय की अध्यक्षता में गठित की गई थी, का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो वह क्या है तथा क्या प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे ?

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधा कृष्ण)—

रिपोर्ट अभी हाल में प्राप्त हुई है और शासन के विचाराधीन है ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मान्यवर, यह प्रश्न किया था कि "यदि हां, तो वह क्या है तथा क्या प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे"? लेकिन यह पता ही नहीं कि उनकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जो सिफारिशें उनकी हैं उन पर अभी विचार हो रहा है जब तक वह पूरा न हो जाय और अन्तिम निर्णय न हो जाय तब तक सदन क पटल पर रखना उचित नहीं है ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मैं पूछ रहा था कि मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ? क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि वह क्या हैं जिन पर शासन विचार कर रहा है ? क्या यह सही है कि वह प्रतिवेदन मिले दो माह से अधिक हो गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यह कमेटी जब गठित हुई तो वह 13 मार्च, 1972 को हुई और उसके बाद उनकी रिपोर्ट भी आ गयी है, जैसा कि माननीय सदस्य को विदित भी है और मैंने निवेदन भी कर दिया कि जब तक शासन का उसमें अन्तिम रूप से निर्णय न हो जाय तब तक सदन के पटल पर रखना उचित नहीं है, इसलिये उसको नहीं रखा गया ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

एक व्यवस्था का प्रश्न है कि क्यों नहीं रख रहे हैं, मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ? क्या वह कानफिडेंशयल हैं या जनहित में नहीं हैं ?

(उत्तर के लिये मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस समिति की जो सिफारिशें हैं उनमें क्या कुछ गोपनीय हैं ? यदि गोपनीय नहीं हैं, तो क्या कृपया मुख्य-मुख्य सिफारिशें बतायेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, ये सिफारिशें तो सजेशन्स होते हैं जिन पर शासन निर्णय ले लेने के बाद ही उनको प्रकाश में लाता है । इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत विचार हो रहा है ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

आप हमारी सहायता करें कि अगर वह गोपनीय नहीं है और सरकार ने विचार भी नहीं किया तब भी हमारा अधिकार है कि हम जानें कि क्या सिफारिशें हैं ?

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि गोपनीय नहीं तो और भी कारण हो सकते हैं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि रिपोर्ट सरकार को कब प्राप्त हुई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

माननीय, 31 दिसम्बर, 1972 को ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

तो सवा दो महीने तक सरकार ने उस पर निर्णय क्यों नहीं लिया ?

श्री अध्यक्ष—

मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने यह कहा था कि इसकी जो रिपोर्ट होगी उसके बारे में हम अपने बजट भाषण में कहेंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप वेतन आयोग की समझते रहे । तो मेरा सवाल आप ही जाने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

आप पूछिये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इस समिति की सिफारिशें ऐसी नहीं हैं जो गोपनीय हो ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

टेकनिकल कमेटी की रिपोर्ट है । इसमें बहुत से रेफरेन्सेज थ जिन पर विचार कर क अपने सुझाव देने थे । तो जैसा मैंने कहा, इन सुझावों पर विचार करने के बाद हम सदन क पटल पर रखने में सक्षम होंगे । जब तक विचार न हो जाय तब तक सदन के पटल पर रखना सम्भव नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

उस कमेटी के टर्म्स आफ रेफरेन्स क्या थे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इस समिति के विचारणीय विषय जिन पर उसे सुझाव देने थे यह थ:—

1. पावर एकोनामी कमेटी की संस्तुतियों की इस आधार पर जांच कि व कहां तक उत्तर प्रदश राज्य विद्युत् परिषद् में लागू की जा सकती हैं ।
2. राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा विद्युत् प्रजनन, संचार एवं प्रसारण के सम्बन्ध में विचार, जिससे संगठन का कार्यकुशलता बढ़ सके ।
3. ट्रांसमिशन लासेज एवं बिजली की चोरी आदि पर विचार, इस आशय से कि ट्रांसमिशन लासेज, बिजली की चोरी आदि को घटाया जा सके ।
4. तकनीकी दृष्टिकोण से विद्युत् संचार संगठन पर विचार, जिससे यह हल निकाला जा सके कि प्रजनन मौजदा कीमतों से कम में हो सके तथा विद्युत् संचार बिना किसी फेल्योर या अन्तर्रोध के हो सकें ।
5. प्रदेश की विद्युत् की इस दशक में मांग को दृष्टिकोण में रखते हुए स पर विचार विद्युत प्रजनन, प्रसारण योजना में किसी संशोधन की आवश्यकता है या नहीं ।
6. राज्य विद्युत् परिषद् में कन्सल्टेन्सी सर्विस बनाने के सुझाव पर विचार, जिससे नये पावर प्रोजेक्ट्स के बनाने में बाहर के कन्सल्टेन्ट्स की आवश्यकता न पड़ ।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

जो सिफारिशें आयी हैं उनमें से कुछ पर अभी तक विचार किया जा चुका है या नहीं और जिन पर विचार किया जा चुका है वह सिफारिशें क्या-क्या हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

उस पर अभी विचार हो रहा है । पूर्ण रूप विचार हो जाने के बाद सदन के पटल पर रखने में सक्षम हो सकेंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

व्यवस्था का प्रश्न है । आप इस बात की अनुमति देते हैं मन्त्री जी को कि वह इस सूचना को सदन से छिपा कर रखें ?

श्री अध्यक्ष—

जब तक विचार नहीं हो जाता तब तक वह यह कह सकते ह ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

जब कि आजकल प्रदेश में बिजली की कमी है और उसी सम्बन्ध में यह रिपोर्ट है। तो अगर यह रिपोर्ट हाउस में रख दें तो हम भी कुछ सुझाव दें ताकि निर्णय लेने में उन्हें आसानी हो। तो सरकार क्यों नहीं रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह तो तरीका रहा है, जब कोई कमेटी बैठती है, उसकी रिपोर्ट आती है। तो कोई भी रिपोर्ट आये किसी कमेटी की, गवर्नमेन्ट उस पर विचार करती है और कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि कुछ रिपोर्ट गोपनीय रह गयीं, नहीं सदन के पटल पर रखी गयीं। कुछ को जनहित में रखना जरूरी होता है तो रखते हैं। अब इस पर विचार हो रहा है। विचार करने के बाद देखेंगे कि सदन के पटल पर रख दी जाय।

श्री विश्वनाथ कपूर—

बिजली की प्रदेश में त्राहि-त्राहि मची हुई है। तो उसमें निर्णय लेने में क्या कठिनाई हो रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कठिनाई कोई नहीं है, जल्दी ही उस पर फैसला होगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

विचार करने के बाद उसे सदन के पटल पर रखेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यही तो विचार किया जा रहा है। विचार हो जाय तभी तो निर्णय लें।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

15,20 दिन के अन्दर विचार कर के हाउस के सामने वह रिपोर्ट रख देंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आपके सुझाव को भी हमने विचाराधीन रख लिया है।

श्री रामगोपाल संड—

इस कमेटी ने जो यह सुझाव दिया है कि ताप विद्युत गृह बड़ी मात्रा में बनाये जायें, सरकार इस सुझाव को तुरन्त स्वीकार करने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस कमेटी का यह सुझाव हो या न हो, सरकार इसका प्रयास कर रही है कि कोयले के थर्मल पावर स्टेशनों का विस्तार किया जाय।

आगरा कालेज, आगरा के छात्रों व प्रबन्ध समिति में संघर्ष

**3—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा, फतेहाबाद)—

क्या यह सही है कि हाल ही में आगरा कालिज, आगरा के छात्रों ने कालिज के कार्यालय पर जबरन कब्जा करके ताला डाल दिया है और समस्त कागजात को सील कर दिया है, जिससे कालिज का समस्त काम ठप्प पड़ा हुआ है, छात्रों और प्रिंसिपल तथा प्रबन्ध समिति के मध्य छिड़े इस संघर्ष का मूल कारण क्या है ? सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की, अगर नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री राजबिहारी सिंह)—

जी हां। परन्त कक्षायें चल रही हैं।" छात्रों के उक्त संघर्ष का मूल कारण प्रधानाचाय तथा प्रबन्धक समिति में अविश्वास तथा कालज के लेखों की विशेष जांच करवाना है। शासन ने लेखों का विशेष आडिट करने के लिय महालेखाकार को आदेश भेज दिये हैं।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

श्रीमन्, आगरा कालिज का झगड़ा वहां की प्रबन्ध समिति के ही कारण है और उसके ऊपर बहुत से भ्रष्टाचार आदि के भी आरोप ह। तो क्या सरकार प्रबन्ध समिति को भंग कर वहां का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने की कृपा करेगी ?

श्री राजबिहारी सिंह—

अभी तो प्रबन्ध समिति को भंग करने का विचार नहीं है। महालेखाकार की रिपोर्ट आने पर उस पर विचार करने के बाद ही कोई निर्णय इस सम्बन्ध में लिया जा सकता है।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

समय-समय पर सरकार को छात्रों तथा अध्यापकों—दोनों की ओर से ज्ञापन दिये गये हैं जिसमें प्रबन्ध समिति तथा प्रिंसिपल के विरुद्ध बहुत से गंभीर आरोप हैं। तो क्या सरकार उन आरोपों की जांच करवायगी ?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, मांग होने पर ही स्पेशल आडिट कराने के लिय सरकार ने आदेश दे दिये हैं और 12 फरवरी से आडिट हो रहा है। जब तक वह रिपोर्ट न आ जाय, सरकार कुछ करने में असमर्थ है।

श्री रामगोपाल संड—

क्या मन्त्री जी ऐसा आश्वासन देंगे कि एक सप्ताह में जांच कार्य पूरा करा कर तुरन्त कालिज खुलवा देंगे या खुलवाने का तरीका निकालेंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह—

कक्षायें तो दशहरे बाद से ही नियमित रूप से चल रही हैं।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

जब सरकार की जानकारी में यह बात आयी है कि प्रबन्ध समिति ठीक तरह से काम नहीं कर रही है तो क्या सरकार उसे भंग करके प्रशासक नियुक्त करने की कृपा करेगी ?

श्री राजबिहारी सिंह—

प्रबन्ध समिति को भंग करने का ऐक्ट में ऐसा कोई प्रबन्ध नहीं है कि इस तरह से भंग कर दी जाय। हिसाब में यदि गड़बड़ी आदि पायी जायेगी तो उसके बाद ही यह प्रश्न उठ सकता है।

श्रीरामपुर प्राइमरी पाठशाला (बलिया) के हरिजन अध्यापक की राजकीय चिकित्सालय, बलिया में मृत्यु

**4—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जनपद के श्रीरामपुर प्राइमरी पाठशाला में कार्यरत हरिजन अध्यापक राजकीय चिकित्सालय, बलिया में दिसम्बर, सन् 1972 में हाइड्रोसील

के आपरेशन के लिये दाखिल हुए किन्तु डाक्टरों ने एक हफ्ते के मध्य ही उनका हाईड्रोसील और नसबन्दी दो आपरेशन कर दिये जिससे उनकी मृत्यु सरकारी चिकित्सालय में ही दिनांक 28 दिसम्बर, 1972 को हो गई है ? यदि हां, तो क्यों? और यदि नहीं, तो मृत्यु का कारण क्या है ? और दोनों वर्णित आपरेशन कब-कब किय गये हैं ?

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री प्रेमचन्द्र शर्मा)—

श्री फूलचन्द, पुत्र श्री राजकुमार, आयु लगभग 35 वर्ष, साकिन नगवा कोतवाली, जनपद बलिया दिनांक 24–12–72 को जिला चिकित्सालय बलिया, में हाइड्रोसील तथा नसबन्दी आपरेशन के लिये भर्ती हुए थ, तथा उसी दिन उनका हाइड्रोसील तथा नसबन्दी का आपरेशन भी हो गया था। तत्पश्चात् उनकी तबियत 27–12–72 तक ठीक रही और उसी दिन से उन्हें बुखार आने लगा तथा कमजोरी आरम्भ हो गई। सब प्रकार के उचित इलाज के बावजूद वह कमजोर तथा बेहोश होते गये और 29–12–72 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण गुर्दे का ठीक प्रकार से कार्य न करना ही था।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जो बुखार और बेहोशी हुई है, उसका कारण क्या रहा है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

उसके और किसी प्रकार की खराबी पाई नहीं गई, सिर्फ गुर्दे की खराबी के कारण यह सब बात हुई।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

उनको बुखार आया और बेहोशी हुई, तो मैं यह पूछता हूं कि बुखार और बेहोशी का कारण क्या रहा जो वह नहीं बता रहे हैं? वह तो मृत्यु का कारण बता रहे हैं, कृपया उसका कारण बता दें ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

उनके आपरेशन में किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं थी, जख्म बिलकुल ठीक थे, कोई पस नहीं पड़ा था, टांके पके नहीं थे, उनमें किसी तरह की कोई खराबी नहीं थी, केवल गुर्दों ने काम करना बन्द कर दिया था, उसी कारण ये सारी खराबियां थीं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

नसबन्दी और हाइड्रोसील के आपरेशन के पहले बाद जो टेस्ट होते हैं, क्या वह इस सम्बन्ध में ले लिये गये थे या नहीं ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

जी हां, सब टेस्ट ले लिये गये थे।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मन्त्री जी उन टेस्टों के नाम बता दें और उनकी रिपोर्ट को बता दें ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

आपरेशन हेतु जैसे ही मरीज आता है, पेशाब वगैरह का टेस्ट लिया जाता है। उसमें एक डाक्टर पण्डा हैं, जो मरीज की जनरल कंडीशन को टेस्ट करते हैं, उन्होंने उसका सब टेस्ट किया। यूरेन एक्जामेन हुआ। यदि कोई गुर्दे की खराबी होती उसमें, तो उसका पता चल जाता। वह उस समय बिलकुल फिट पाये गये, इसीलिये आपरेशन किया गया।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मन्त्री जी के जवाब में विरोधाभास है। जो आपरेशन के पहले गुर्दा ठीक पाया गया, वही गुर्दे की खराबी से बाद में उसकी मृत्यु हो गई है। तो क्या इस विरोधाभास को दूर कराने के लिए वह जांच करायेंगे कि उसके जख्म में सेप्टिक हो गया था। इसलिए उसे बुखार आया, इसीलिए बेहोशी हुई, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)—

रोगी जिस समय आपरेशन के लिए लाया गया उसे नसबन्दी शिविर में न रखकर जिला अस्पताल में रखा गया, क्योंकि उसको हाइड्रोसील थी। उसका पूरा परीक्षण किया गया, उसके बाद उसका आपरेशन हुआ, सफल हुआ, वह चार दिन तक बिलकुल ठीक रहा। बाद में किसी कारण से उसके मूत्राशय में पस आने लगा, जिसमें उसकी बहोशी बढ़ती चली गई। निरन्तर उसकी चिकित्सा की व्यवस्था की गई और इतनी उसकी देख की जितनी भी सम्भव हो सकता था, जो रिपोर्ट वहां आयी है। किन्तु वह बचाया न जा सका और चार दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गयी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मन्त्री जी ने जो कुछ बताया उससे स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे लक्षण मौजूद हैं जिससे जाहिर है कि जखम सेप्टिक हो गया था। तो मन्त्री जी को क्या आपत्ति है कि इसकी जांच करायी जाय ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

इसकी जांच तो कराई जा चुकी है। जखम बिलकुल सेप्टिक नहीं हुआ था। जखम बिलकुल ठीक हो गये थे। न पस पड़ी थी न पके थे। वह कोई कारण ही नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

एक मन्त्री जी कहते हैं कि पस पड़ गयी थी और दूसरे मन्त्री जी कहते हैं कि पस नहीं पड़ी थी।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने कृपा करेंग कि जो परीक्षण हुआ था आपरेशन के पहले वह किस डाक्टर ने किया था, क्या वह परीक्षण की रिपोर्ट आपके पास है ? जैसा आपने उत्तर दिया उससे मालूम होता है कि राज्य मन्त्री जी स्वयं वहां मौजूद थे और उन्होंने देखा कि आपरेशन ठीक हुआ, मन्त्री जी ने कहा कि पस आ रहा था। क्या यह संभावना नहीं है कि आपरेशन की गड़बड़ी से पस आया और उसके कारण से सेप्टिक हुआ और उसकी मृत्यु हुई ? क्या इस बात की जांच किसी वरिष्ठ चिकित्सक से करवायेंगे जो सारी बातों और परिस्थितियों को देखकर आपको रिपोर्ट दे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

श्रीमन्, वरिष्ठ अधिकारी और वरिष्ठ चिकित्सक से इसकी जांच करवा ली गयी है। पस जहां आपरेशन हुआ वहां से नहीं आया। उसकी मूत्र वस्ति ने काम करना बन्द कर दिया। पस किसी समय आया। उससे ज्वर हो गया। बाकी किसी प्रकार की आपरेशन में त्रुटि नह है। जखम सूख रहा था। उसकी जांच करा ली गयी। सिविल सर्जन और यहां के अधिकारी ने विस्तृत रूप से जांच की है। कोई उपेक्षा किसी प्रकार की डाक्टरों द्वारा नहीं हुई।

श्री प्रियदर्शी जैटली (जिला फैजाबाद)—

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे, कि वह यह कह रहे हैं कि उसके घाव से पस नहीं आया, उसके मुंह से पस आया। दूसरी तरफ आपने कहा कि उसका गुरदा खराब था, तीसरी बात आपने बतायी कि टेस्ट से पहले देखा गया उसका गुरदा खराब नहीं था, ये तीनों बातें जो एक दूसरे से बिलकुल विपरीत हैं, उसके बाद आपका कहना है कि सिविल सर्जन ने जांच की, क्या उसी जिले के सिविल सर्जन ने जांच की जिसके अन्डर में आपरेशन का सारा काम चल रहा था या प्रदेशीय स्तर से कोई डाक्टर गया उसने जांच की ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जांच सिविल सर्जन और उपनिदेशक न की इसमें किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। कभी यह नहीं कहा गया कि किसी प्रकार से जहां आपरेशन हुआ वहां से पस आया। उसकी वस्ति से पेशाब आना बन्द हुआ। पेशाब रुका। उसके कारण कुछ पस के कण पाये गये। उसके कारण ज्वर हुआ। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, जो सूचना अभी तक सामने आयी है उसको देखते हुए राज्य मन्त्री और मंत्री जी में मतभेद है। एक मन्त्री कहते हैं कि वह पूर्ण स्वस्थ था दूसरे मन्त्री कहते हैं कि मूत्र मार्ग से पस आ रही थी। जब उस मरीज की हालत ऐसी हुई तो क्या सरकार बतायेगी कि वहां के सिविल सर्जन ने बलरामपुर हास्पिटल या मेडिकल कालेज में उसको भरती करवाने की व्यवस्था क्यों नहीं की जबकि हालत डेंजरस हो गयी थी ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

इसमें मेडिकल कालेज में दाखिल कराने की कोई बात नहीं है। जो डाक्टर वहां उपलब्ध थे क्योंकि शिविर चल रहा था, वे बहुत क्वालिफाइड थे और उन्होंने उसको देखा। किडनी फेल्योर को आप समझ लें। किडनी फेल्योर होता है तो पेशाब में पस आता है जिससे मालूम होता है कि किडनी काम नहीं कर रही है। यह जो गलतफहमी हो रहा है उसे आप दूर कर लें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

24 दिसम्बर को टेस्ट करने के उपरान्त मरीज स्वस्थ पाया गया और आपरेशन भी सही हुआ फिर अचानक कौन से ऐसे काम्पलिकेशन पैदा हो गये कि किडनी ने काम करना बन्द कर दिया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह अजीब प्रश्न है कि किन कारणों से यह हो गया। लोग बीमार हो जाते हैं और बैठ-बैठे स्वर्ग सिधार जाते हैं। किस कारण से ऐसा हो जाता है यह आप पूछें तो क्या बताया जा सकता है। आप पूछें कि इसकी जांच की गयी या नहीं की गयी तो उत्तर दिया गया कि जांच की गयी। अगर माननीय सदस्य का यह आग्रह हो कि किसी और से जांच करा ली जाय तो उनका नाम बतला दिया जाय, उनसे जांच करा ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य बतला दें नाम तो उनसे जांच करा ली जायगी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

सी० आई० डी० को जांच दे दें।

श्री अध्यक्ष—

स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सी० आई० डी० की जांच नहीं होती।

श्री मनेजर सिंह—

प्रिंसिपल, मेडिकल कालेज, लखनऊ से जांच करा ली जाय ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जो सुझाव आया है वह ठीक है । प्रिंसिपल मेडिकल कालेज, लखनऊ से जांच करा ली जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रिंसिपल, मेडिकल कालेज, लखनऊ से जांच करा ली जायगी ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम, 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बुलन्दशहर शहर में अनाधिकृत रूप से निर्मित अलका रेस्टोरेंट

*1—श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया), श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया), श्री बासुदेव सिंह वक्ष (जिला बहराइच), श्री भगौती प्रसाद (जिला बहराइच), श्री भगौती सिंह (जिला बहराइच), श्री रयासत हुसैन (जिला मुरादाबाद), श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)—

विधान सभा की 10 जनवरी, 1973 की कार्य-सूची में सम्मिलित नत्थी 'ख' के प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अलका रेस्टारेन्ट का भवन, जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर नाजायज कब्जा करके बुलन्दशहर नगर में काले आम के चौराहे पर बना हुआ है और जहां कि इसी कारण कई गंभीर घटनायें हो चुकी हैं उस अतिक्रमण को हटाने के लिये अब तक क्या-क्या कानूनी कार्यवाही हुई है तथा इतना विलम्ब कई वर्ष से अब तक क्यों हुआ और कब तक इसको हटा दिया जायगा ?

सार्वजनिक निर्माण उपमन्त्री (श्री बीरबहादुर सिंह)—

अब तक की गयी कानूनी कार्यवाही का विवरण संलग्न है । इससे स्पष्ट होगा कि विभाग के स्तर पर कोई विलम्ब नहीं हुआ है । वादी के मुकदमेबाजी के कारण विलम्ब है । मुंसिफ, अलीगढ़ की अदालत से निर्णय होने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1235 पर)

श्री मैनेजर सिंह—

मन्त्री जी ने एक दफा यह कहा कि मुंसिफ, अलीगढ़ के न्यायालय से फैसला होने के बाद कार्यवाही की जायगी और दूसरी बार यह कहा कि जिलाधिकारी को सिविल जज, अलीगढ़ की नकल भेजकर पुलिस द्वारा मकान गिरवाने की कार्यवाही करने के लिये लिखा गया है तो दोनों में से कौन सा उत्तर सही है ?

श्री बीरबहादुर सिंह—

स्टैंडिंग कौंसिल की राय ली गयी । उनकी राय यह थी कि कोई कार्यवाही तब तक न की जाय जब तक कोर्ट में मुकदमा चल रहा है ।

श्री मैनेजर सिंह—

आपके स्टैंडिंग कौंसिल की राय यह थी कि मकान गिरवा दिया जाय । फिर फरवरी, 72 में सिविल जज, अलीगढ़ ने फैसला दिया जिसके द्वारा पुलिस द्वारा इमारत को गिराने की

कार्यवाही करने को कहा गया आपने स्वयं लिखा है कि इस भवन को गिरवाने की कार्यवाही करें। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मुंसिफ के आदेश क बाद कार्यवाही होगी। तो इसमें विरोधाभास है। कौन उत्तर सही है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

मान्यवर, यह जरूर लिखा था कि गिरवा दिया जाय लेकिन बाद में यह राय हुई कि जब तक मुकदमा अदालत में है तब तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकती ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट की जगह पर जब कोई आदमी भवन का निर्माण करता है तो उसका नक्शा म्युनिसिपैलिटी से पास करवा लिया जाता है और आपसे भी इजाजत लेता है । जब काफी समय से इस सार्वाजनिक स्थान पर भवन का निर्माण हो रहा था तो सरकार ने उसे रोकने के लिये क्या कोशिश की ?

श्री बीरबहादुर सिंह—

जब विभाग को मालम हुआ तो कलेक्टर को कहा गया कि उसका अतिक्रमण रोकने की कार्यवाही की जाय ।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि यह राय हो गई कि मकान गिरवाया नहीं जा सकता । आपने जो उत्तर दिया है उसमें आपने स्वयं स्वीकार किया है कि गिरवाने की कार्यवाही करें । जिलाधिकारी से पत्र-व्यवहार चल रहा है । अभी उन्होंने इस सिलसिले मे कोइ कार्यवाही नही की है । जिलाधिकारी ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है । आप यह स्पष्ट करें कि आपका यह निर्णय कब हुआ ?

श्री बीरबहादुर सिंह—

इसी उत्तर के पेज दो पर यह दिया हुआ है कि इस सिलसिले में उनसे पत्र-व्यवहार चल रहा है । कानूनी कार्यवाही अब प्राप्त हुई है जिसमें यह कहा गया है कि जब तक केस सब्जुडिस है तब तक कोइ कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, मकान बन गया, वह बनकर तैयार हो गया और अब कानूनी राय ली जा रही है। क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि मकान बनना कब से शुरू हुआ और तभी इस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री बीरबहादुर सिंह—

श्रीमन्, जब से मकान बनना शुरू हुआ तभी से कार्यवाही की जाने लगी ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

यह मकान जो कि पी0 डब्ल0 डी0 की जमीन पर बना और वह बनकर तैयार हो गया। जब वह बन गया तब उसकी इत्तला हुई । मैं जानना चाहता हुं कि यह किसका काम था ? पी0 डब्लू0 डी0 का कार्यालय वहां पर है, उसे क्यों नहीं उस मकान क बनाने की सूचना हुई, क्यों नहीं उसे उसी समय नोटिस दिया गया और कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री बीरबहादुर सिंह—

मान्यवर, ज्यों ही मकान बनना शुरू हुआ त्योंही ही उसको नोटिस दी गई ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मकान को पूरा बनने में कुछ समय अवश्य लगा होगा। सेशन जज ने भी यह कहा होगा कि पुलिस के जरिये से इसका गिरवा दिया जाय जब उसके खिलाफ यह इस्टैबलिश हो गया यह मकान नाजायज तरीके से बना हुआ है। क्या आज तक आपने अपने डिपार्टमेन्ट से मुताल्लिक उस भवन के बनने से अपने ओवर-सियर, इन्जीनियर आदि के खिलाफ कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं की, तो क्यों नहीं की ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जब मकान बन रहा था उसी समय उसे तुरन्त नोटिस दिया गया और जितनी कार्यवाही होनी चाहिये थी, वह हुई।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उसे नोटिस कब दिया गया और किस तिथि को सम्बन्धित व्यक्ति को दिया गया तथा नक्शा किस तिथि को पास हुआ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री रियासत हुसैन—

आपने भले ही पार्टी को नोटिस दिया हो लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि जब वहां एक बिल्डिंग नाजायज तौर पर बनी तो बुलन्दशहर में जो आपके विभाग के आफिसर—ओवरसियर, असिस्टेंट इंजीनियर और एक्जीक्यूटिव इंजीनयर मौजूद थे, उनके खिलाफ आपने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की और अगर कोइ कार्यवाही की जा रही है, तो क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जब मकान बनना शुरू हुआ तभी विभाग के कर्मचारियों ने जो कुछ भी कार्यवाही हो सकती थी, कार्यवाही की।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

सार्वजनिक विभाग की भूमि पर मकान बन गया और उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। उन्होंने मकान को बनने से नहीं रोका, इसलिये विभाग के मंत्री को तो उसी पर इस्तीफ दे देना चाहिये।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मेरा प्रश्न तो यह है कि कोर्ट के इंजंक्शन के बावजूद भी उन अधिकारियों के खिलाफ क्यों कार्यवाही नहीं की गयी ? इसका कोई उत्तर माननीय मंत्री जी नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

प्रथम प्रश्न जो पूछा गया था उसमें था कि सार्वजनिक विभाग की भूमि पर यह मकान वाकई है, यह म्युनिसिपैलटी की भूमि पर नहीं है, तो सीधा सम्बन्ध सार्वजनिक निर्माण विभाग से है। इसलिये यह पूछना चाहते हैं कि जब आपने तत्काल कार्यवाही शुरू की तो उसमें गड़बड़ क्यो हो रही है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जब से मकान बनना शुरू हुआ कार्यवाही शुरू हुई। पहले जो जिलाधिकारी के यहां से, फिर पुलिस और जिलाधिकारी और एस० डी० ओ० वगैरह के जरिये कार्यवाही हुई।

(व्यवधान)

श्री बांके लाल—

बनने से रोका क्यों नहीं ? ये क्या जवाब देंगे, इनको जवाब देने का ढंग ही नहीं मालूम है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अगर आप सेटिसफायड नहीं हैं तो नियम 49 का सहारा लीजिये । मैं उसको स्वीकार कर लूंगा । क्योंकि इसमें परस्पर विरोधी बहुत सी बातें हैं ।

मुखलिसपुर पंप कैनाल (बस्ती) में पानी देने का प्रयास

*2—श्री जगदीश प्रसाद (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थिति), श्री रामलाल भाई (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित), श्री मैनेजर सिंह, (जिला वाराणसी) श्री लाल बहादुर सिंह तथा श्री सन्तू राम (बस्ती)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुखलिसपुर पम्प कैनाल, तहसील खलीलाबाद व बांसगांव, जिला बस्ती में इस वर्ष पानी न मिलने की वजह से करोड़ों रुपये की गेहूं, मटर व चने की फसल बरबाद हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नहर में शीघ्रातिशीघ्र पानी देने की कृपा करेगी ?

श्री राजबिहारी सिंह—

कुआंनो नदी का जल स्तर निम्न स्तर से भी नीचे गिर जाने के कारण कुआनो पम्प नहर (मुखलिसपुर पम्प नहर) ठीक से नहीं चलाई जा सकी । नहर में पाना देने के सम्बन्ध में प्रयास किये जा रहे हैं ।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि मुखलिसपुर पम्प कैनाल की एक शाखा गोरखपुर की तरफ भी जाती है और जब फसल की बोवाई हुई उसके बाद ही तुरन्त एक नोटिस छपवा कर बांट दिया गया कि नहर से पानी नहीं दिया जा सकता और स्थिति भी ऐसी है कि मुखलिसपुर पम्प कैनाल जो है, जो एरिया उसका लिया गया सिंचाई के लिये ईमानदारी से उसकी सिंचाई नहीं कर सकता जब तक कि पानी की दूसरी व्यवस्था न हो । तो क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि मुखलिसपुर पम्प कैनाल में जो एरिया लिया गया है, इस साल कोई दिक्कत न पैदा हो, सिंचाई की कोई दूसरी व्यवस्था करेंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, नहर का निर्माण इसीलिये हुआ था कि उससे सिंचाई की जाये किन्तु दुर्भाग्यवश इतना सूखा पड़ गया कि नदी का स्तर गिर गया जिससे पम्प चलाया नहीं जा सका और किसानों को नोटिस दे दिया गया कि पानी की कमी के कारण पूरी सिंचाई नहीं हो सकती है । अब प्रश्न यह उठता है कि सिंचाई कैसे की जाये । इसके लिये विभाग प्रयास कर रहा है कि नदी के 14 मील ऊपर और 2 मील नीचे जहां नदी अधिक गहरी हो वहां से एक सहायक धारा निकाली जाये और उसको पम्पिंग स्टेशन पर लाया जाये और उससे सिंचाई की जाये ।

श्री रामकरन सिंह—

क्या मंत्री जी इसका सर्वे करायेंगे कि पम्प कैनाल से संबंधित जितना एरिया लिया गया है उसकी वह हर साल सिंचाई कर सकता है जब पम्प नहर चल रही हो ?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, सरकार इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है कि नहर की टेल पर जहां पानी नहीं पहुंच सकता है वहां ट्यूबवेल लगाये जायं ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने कहा कि जल स्तर गिर जाने के कारण सिंचाई में व्यवधान हुआ तो क्या वे जांच करायेंगे कि जो पम्प नहर बिठाई गई थी और उसका जल स्तर नीचे गिर गया था तो क्या पम्प करके पानी नहीं निकाला जा सकता था?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, प्रत्येक प्रयास किया गया और उसके बाद नोटिस दिया गया।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि जहां से पम्प नहर निकली थी वह मिट्टी के पट जाने से बन्द हो गई है जिससे पूरा पानी नहीं आता था और भारतीय क्रान्ति दल के महामंत्री हैं उनका पत्र निकला और वह बस्ती के कलेक्टर तक पहुंचा। उस पर क्या निर्णय लिया गया ताकि यह समस्या आगे न खड़ी हो?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, जहां तक भारतीय क्रान्ति दल के मंत्री और उनके साथियों के पत्र की बात है तो सरकार के पास ऐसा कोई पत्र नहीं आया। लेकिन यह सही है कि जब नदी पटती है तो बालू आ जाती है और सफाई होती रहती है।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि संबंधित पम्प कैनाल से कितने एकड़ भूमि को पानी देने का प्राविधान था और कितना दिया जा सका है और शेष के लिये वे क्या व्यवस्था करेंगे? नलकूप से कितना देंगे और सहायक नहर बना कर कितना देंगे?

श्री राज बिहारी सिंह—

कितना ट्यूबवेल से देंगे इसके लिये तो सर्वे कराने की जरूरत होगी और इसमें देर लगेगी। आपका सुझाव आ गया है इसको देखेंगे।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो मुखलिसपुर की नहर है यह 3/4 वर्षों से पानी नहीं दे पा रही है और वहां बहुत कम सिंचाई हुई है और जो सिंचाई हुई है वह कहां कहां हुई है?

श्री राज बिहारी सिंह—

इसके लिये सूचना की जरूरत होगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, ऐसा देखा गया है कि जहां पम्प नहर बनती है वहां पानी रहते हुये भी पानी नहीं मिलता है। यह विभाग की गलती के कारण है। ऐसी बहुत सी नहरें हैं जैसे कि शोहरत-गढ़ में एक नहर है वहां बगल में भी पानी नहीं मिलता है। क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि नहरों पर जहां ऐसी परिस्थिति है वहां सर्वे कराकर उचित व्यवस्था करेंगे तो कि भविष्य में जहां नहरें जाती हैं वहां खेत सूखे न रहें?

श्री राज बिहारी सिंह—

जहां तक सरकार का संबंध है उसकी जानकारी में है कि नहर ठीक से पानी दे रही है लेकिन वह अगर किसी खास नहर का जिक्र करेंगे तो उसकी तुरन्त जांच कराई जायगी और उसको ठीक कराया जायगा।

श्री बलवीर सिंह—

मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है कि नदी का पानी नीचा हो गया है और सारे प्रदेश में यही स्थति चल रही है कि नहरों में पानी नहीं जा रहा है और किसानों को सिंचाई के लिये पानी नहीं मिल रहा है । इसको देखते हुये क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पूरी जांच के बाद जिन किसानों को नहरों से पानी नहीं मिल सका है, वहां की इस साल की आबपाशी माफ की जाय ?

श्री राजबिहारी सिंह—

यह तो माननवर, एक सुझाव है, उस पर विचार कर लिया जायगा ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या मंत्री जी को मालम है कि बस्ती में उसी तहसील में एक बखटा पम्प कैनाल है और वहां भी उसी से सिचाई होती है और जसा कि अभी प्रश्न में किया गया, तीन चार साल से वह काम नहीं कर रही है । इन तमाम बातों को देखते हुये—आखिरकार इतने दिनों तक यह ढिलाई क्यों रही इस पर मंत्री जी विचार करेंगे और क्या वह कोई ऐसा सर्वेक्षण करा रहे हैं और उसमें कितना समय लगेगा और इस सिंचाई के कार्य में कब तक यह उपेक्षा बनी रहेगी ?

श्री राजबिहारी सिंह—

सिंचाई की इस गम्भीर स्थिति में कोई ढिलाई नहीं है, सतत प्रयास किया जा रहा है लेकिन इसके बावजूद हम कुदरत पर काबू नहीं पा सके हैं ।

श्री सन्तूराम—

यह मुखलिसपुर पम्प नहर गोरखपुर जा रही है, उसमें नीचे से कितना स्थल ऊंचा है और क्या इसकी जांच कराई जायगी कि निचाई को देख कर गोरखपुर पानी कैसे जा सकता है ?

श्री राजबिहारी सिंह—

यह मैं समझ नहीं सका लेकिन जहां ऊंचा नीचा होगा उस की इन्क्वायरी हम करा लेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर दे दें वह इन्क्वायरी करा लेंगे ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

जब पानी का लेबिल नहर में नीचा था तो पम्प द्वारा नहर में पानी डालने का इन्तजाम सरकार ने क्यों नहीं किया ?

श्री राजबिहारी सिंह—

सरकार उसकी व्यवस्था कर रही है और सर्वे करा रही है 14 मील उत्तर तक कि कहां से दूसरी धारा बना कर पम्प के पास पानी लाया जा सकता है ।

मुख्य गड़क नहर (देवरिया से जल स्राव)

*3—श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री को इस बात की जानकारी है कि मुख्य गण्डक नहर की पक्की चुनाई में दराज हो जाने की वजह से देवरिया जिले में मौजा लतवा जीत, लतवा मुरलीधर और कोटवा ल बराय के सामने मील 80 फर्लांग 2 से मील 81 तक नहर का पानी दोनों तरफ नीचे-नीचे खेतों में जा रहा है जिससे नहर के टूट जाने और उससे अनेक गांवों के बह जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है और इसके लिये कौन से लोग दोषी हैं ?

श्री राजबिहारी सिंह—

जी हां। ठेकेदारों के कई बिलों का भुगतान बाकी है। प्रश्न में कथित ठकेदारों में श्री रामजीत सिंह नाम का कोई ठेकेदार नहीं है। सर्वश्री सूर्य नारायण, मिट्ठूलाल, देवता सिंह, तथा मेंहदी हसन ठेकेदार की संविदाओं का अन्तिम भुगतान हो चुका है। बाकी ठेकेदारों के मामले धीरे धीरे निपटाये जा रहे हैं। देर का मुख्य कारण ठेकेदारों द्वारा विभागीय सामग्री का सही लेखा तुरन्त न देना है।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नहर के पानी का जल स्तर क्या है और जिन गढ़ों म पानी भरा है उनका जल स्तर क्या है और वह नहर से कितनी दूरी पर हैं ?

श्री राजबिहारी सिंह—

यह गड्ढे नहर से 20–25 फुट की दूरी पर हैं, उनका पानी का स्तर 1 फुट के करीब है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

प्रश्नकर्ता की शिकायत है कि नहर में दरार पड़ गई और उसकी वजह से जल छीज हो रहा है और उत्तर में निश्चित रूप से नहीं कहा गया, उसमें कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है। श्रीमन्, मंत्री जी का निश्चित उत्तर नहीं आया है। इसमें मजीद जांच की आवश्यकता है। तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी फिर से जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह—

जहां तक दरार पड़ने का ताल्लुक है, निश्चित रूप से उसमें दरार नहीं है। पहले ही माननीय सदस्य ने सिंचाई मंत्री और मुझे भी एक पत्र लिखा। उसके अनुसार विभागीय अधिकारियों से इसकी जांच करा ली थी और माननीय सदस्य को भी एक पत्र इस आशय का लिख दिया गया था कि कहीं भी नहर में कोई दरार नहीं है।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी (जिल देवरिया)—

मान्यवर, यह जो मुख्य गंडक नहर की शाखा है यह 50–60 मील देवरिया जिले में बनायी गयी है और इसके अनेक स्थलों पर दोनों ओर 3–3 और 4–4 फुट पानी भरा हुआ है। मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि वहां भूमि का स्तर नीचा है, नहर से दूर गड्ढों में पानी भर गया था और नहर के बराबर चलते रहने के कारण भूगर्भीय जल स्तर भी ऊंचा हो गया है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करवायेंगे कि क्या यह पानी सीपेज के कारण वहां आ गया है और कैसे उसे दूर किया जाय, उसकी क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री राजबिहारी सिंह—

जब शास्त्री जी ने मुझे लिखा था मैंने उसकी जांच करवा ली थी, जहां तक लीकेज का प्रश्न है, वह ठीक नहीं है।

श्री रामधारी शास्त्री—

जैसा उत्तर में कहा गया कि जहां भूमि का स्तर नीचा है, वहां पर दूर गड्ढों में पानी भर गया था तो जब तक माननीय मंत्री जी दोनों के जल का स्तर नहीं बतायेंगे कि वह क्या है, तब तक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि शिकायतकर्ता को सूचित कर दिया गया था, इस सम्बन्ध में मैं शिकायत कर्ता था लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं हुयी। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने किस अधिकारी के द्वारा इसकी जांच करायी। अब भी मेरी सूचना है कि उसमें दरार पड़ी हुयी है। तो क्या आप फिर से उसकी जांच करावेंगे और हम को भी उसकी सूचना देने की कृपा करेंगे कि वह कब होगी ?

श्री राजबिहारी सिंह—

जहां तक मुझे मालूम है सुपरिन्टेन्डिग इंजीनियर ने उसकी जांच की थी और उसकी कापी आप को भेज दी थी। यदि आप पुनः जांच कराना चाहते हैं तो मैं फिर से जांच करवा लूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

वे कह रहे हैं कि जब दुबारा जांच करायी जाय तो उनको भी सूचित कर दिया जाय !

श्री राजबिहारी सिंह—

श्रीमन्, इनको भी सूचित कर देंगे और यदि सदन के कोई अन्य माननीय सदस्य भी जाना चाहेंगे तो उनको भी सूचित कर दिया जायगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

मध्य मंडलीय परिवहन अधिकारी, मेरठ द्वारा ट्रैक्टरों का फर्जी रजिस्ट्रेशन

*1—श्री मोहनलाल कपूर—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करगे कि 20 जुलाई, 1972 से 15 अगस्त, 1972 के मध्य मण्डलीय परिवहन अधिकारी, मेरठ द्वारा 4 ट्रैक्टर रजिस्टर किये गये हैं जिनकी पंजीकृत सं0 यू0 पी0 पी0 3735, यू0 पी0 पी0 3736, यू0 पी0 पी0 3734 व यू0 एस0 टी0 8920 है ? क्या यह सत्य है कि उपरो क्त ट्रैक्टर यू0 पी0 स्टेट एग्रो-इंडिस्ट्रियल कारपोरेशन, लखनऊ के द्वारा बेचे ही नहीं गये ? यदि हां, तो क्या सरकार इस फर्जी पंजीकरण काण्ड की जांच कराकर उचित व आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

परिवहन उपमंत्री (श्री आबिद अली)—

प्रश्न गत चार ट्रैक्टरों में से ट्रैक्टर संख्या यू0 एस0 टी0 8920 की सही रजिस्ट्रेशन संख्या यू0 एस0 टी0 8923 है और इसका रजिस्ट्रेशन 2 अगस्त, 1972 को तथा शेष तीन ट्रैक्टरों का रजिस्ट्रेशन दिनांक 16 अगस्त, 1972 को किया गया।

विभाग द्वारा आरम्भिक जांच से ज्ञात हुआ कि ये ट्रैक्टर यू0 पी0 स्टेट ऐग्रो इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन, लखनऊ द्वारा नहीं बेचे गये हैं। इस मामले की समुचित जांच पुलिस द्वारा करायी जा रही है ।

श्री मोहन लाल कपूर—

श्रीमन्, जो माननीय मंत्री जी का उत्तर है, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इस मामले को बहुत ही हल्का लिया है । इसमें हजारों रुपये का गोलमाल है और इसमें फर्जी रजिस्ट्रेशन हुआ है । यू0 पी0 ऐग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन में बिना ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया । यह सब फरजी है और यदि हां, तो किस अधिकारी ने यह कार्य किया है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री आबिद अली—

इस मामले में डी0 आई0 जी0 जांच कर रहे हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इस संबंध में सर्टिफिकेट भी इशू हुए हैं । इस रजिस्ट्रेशन के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री आबिद अली—

एक "ई" फार्म होता है जो भर कर दिया जाता है । उसके ऊपर चेसिस और इंजन का नम्बर होता है । वह पेंसिल से एक्स लिया जाता है । फिर दरख्वास्त भी होती है और दूसरी तफसील भी होती है । जहां से खरीदा जाता है उसकी सील और वैरिफिकेशन वगैरह भी होता है । बाद को यह पता लगा कि वह एग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन का ट्रक्टर ही नहीं था । जब नहीं था, तो बेंचा कैसे गया । इन सब बातों के बारे में डी० आई० जी० द्वारा जांच करायी जा रही है । अगर जाली काम हुआ है, तो उस संबंध में आगे कार्यवाही होगी ।

श्री मोहन लाल कपूर—

जब ये ट्रैक्टर थे ही नहीं, और उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, तो जिस व्यक्ति ने यह रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो कैसे कर दिया ? क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अगर गलत रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं हुई ?

श्री आबिद अली—

उसमें कई शक्लें हैं । एक शक्ल यह है कि कोई ट्रैक्टर ले जाया गया हो, उसका नम्बर लिया गया हो । एक शक्ल यह हो सकती है कि वैसे ही कर लिया गया हो । तो इसमें जब तक पूरी जांच हो जाय, कि किस स्टेज पर क्या गल्ती हुई, तो उसमें कैसे कार्यवाही की जाय । उसी संबंध में जैसा कि मैंने बताया, जांच हो रही है।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन चार व्यक्तियों ने पंजीकरण कराया है, उनके क्या-क्या नाम हैं ?

श्री आबिद अली—

एक है श्री राम रतन पुत्र नन्दराम, दूसरे हैं श्री वैकरण पुत्र श्री खामा, तीसरे है मंसाराम पुत्र उमराव और चौथे हैं श्री रिसाल पुत्र श्री मामन ।

श्री बलबीर सिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करगे कि जिन नम्बरों के ये ट्रैक्टर पंजीकृत हुये वे कारपोरेशन में आये थे कि नहीं, या फर्जी ही पंजीकृत हुए ?

श्री आबिद अली—

जब तक पुलिस की जांच न हो जाय, कोई बात नहीं कही जा सकती ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

रजिस्ट्रेशन के वक्त ट्रांसफर लेटर की जरूरत होती है । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस वक्त ट्रांसफर लेटर देखा गया कि नहीं ? अगर देखा गया तो वह ट्रांसफर लेटर कहां का था ?

श्री आबिद अली—

ट्रांस्फर लेटर उसमें नत्थी थे । उसमें बाद में पता चला कि उसमें जाली दरख्वास्त थे ।

श्री मोहन लाल कपूर—

क्या मंत्री जी, जब तक पुलिस की कार्यवाही न पूरी हो, तब तक जिस संबंधित अधिकारी की गल्ती से यह हुआ है, उसको सस्पेंड करके जांच करायेंगे ?

श्री आबिद अली—

उसमें कई चीजें हैं । ट्रैक्टर वहां लाया गया कि नहीं । हो सकता है कि दफ्तर में कोई ट्रैक्टर ले जाया गया हो । तब उसकी गल्ती नहीं । अगर नहीं ले जाया गया है तो उसकी जिम्मेवारी है । इसके लिये डी० आई० जी० की जांच हो रही है कि आया ट्रैक्टर वहां गया है कि नहीं, नम्बर ठीक लिया गया है कि नहीं । जांच में जैसी होगी, वैसी कार्यवाही होगी ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, अभी यह बताया गया कि उसके लिये डी० आई० जी० जांच कर रहे हैं । तो यह जांच सवाल पूंछने के बाद करायी गयी या पहले ? आपके विभाग ने जांच के संबंध में पहले क्या कार्यवाही की थी ?

श्री आबिद अली—

जब मालूम हुआ कि फर्जी कार्यवाही हुई है, तो उसी वक्त डी० आई० जी० को लिखा गया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह कब मालुम हुआ, प्रश्न पूछे जाने के पहले या बाद में ?

श्री आबिद अली—

21-10-72 को मालूम हुआ।

पूरनपुर क्षेत्र (पीलीभीत) में फर्जी मस्टररोल चलाने एवं राजकीय सम्पत्ति का दुरुपयोग करने की शिकायत

*2—श्री दुर्जन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री राम बिलास गुप्ता, कार्यालय मंत्री, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमिक संघ, लखनऊ ने मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रेषित अपने पत्र संख्या श्रमिक 491/72, दिनांक 7 जुलाई, 1972 तथा श्रमिक पत्र संख्या 521/72, दिनांक 14 जुलाई, 1972 में पूर्व प्रांतीय खंड सार्वजनिक निर्माण विभाग, पीलीभीत के अन्तर्गत पूरनपुर क्षेत्र में फर्जी मस्टर रोल चलाने, राजकीय सम्पत्ति का अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग करने और कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में शिकायतें प्रस्तुत करके तत्काल जांच-पड़ताल शिकायतकर्ता के सामने करने की मांग किया था ? यदि हां, तो क्या यह जांच की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नोटः—तारांकित प्रश्न 1 के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

गंडक नहर परियोजना, गोरखपुर में ठेकेदारों के भुगतान में बिलम्ब

*3—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोरखपुर जिले में गंडक नहर परियोजना में कई मामले विभाग में लम्बित पड़े हुए हैं जिसमें बावजूद कई बार शिकायत करने पर भी ठेकदारों के बिल भुगतान नहीं हो सके हैं और उस पर अंतिम कार्यवाही स्थगित है और क्या उन ठेकेदारों में सर्व श्री सूर्य नारायण, रामजीत सिंह, मिट्ठूलाल, देवता, रमाशंकर सिंह, रामसफल, मेंहदी हसन के नाम भी हैं। यदि हां, तो कौन से कारण हैं कि जिसकी वजह से इनके अभी तक फैसले तक नहीं हो सके है तथा अभी और कितना समय लगने की संभावना है ?

सिंचाई मंत्री (श्री महमूद अली खां)—

जी हां, ठेकेदारों के कई बिलों का भुगतान बाकी प्रश्न में कथित ठेकेदारों में श्री रामजीत सिंह नाम का कोई ठेकेदार नहीं है । सर्व श्री सूर्यनारायण, मिट्ठूलाल, देवता सिंह तथा मेंहदी हसन ठेकेदारों की संविदाओं का अंतिम भुगतान हो चुका है । बाकी ठेकेदारों के मामले धीरे-धीरे निबटाये जा रहे हैं । देर का मुख्य कारण ठेकेदारों द्वारा विभागीय सामग्री का सही लेखा तुरन्त न देना है ।

नलकूप डिवीजन, मुरादाबाद में बोरिंग का खर्चा

*4—श्री सुरेंद्र विक्रम—

क्या सिंचाई मंत्री को पता है कि मुरादाबाद नलकूप डिवीजन में 1971–72 में विभाग द्वारा 180 नलकूपों का निर्माण कराया गया जिसका बोरिंग खर्चा 15 रुपया प्रति फिट दिनांक 29 मार्च, 1972 तक स्वीकृत था किन्तु अधीक्षण अभियंता, मुरादाबाद ने दिनांक 30 मार्च, 1972 को एक आदेश भेजकर 18 रुपया प्रति फिट खर्च वसूल किया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां ।

18 रु0 प्रति फुट का रेट वास्तविक खर्चे और नलकूपों के छिद्रण की लम्बाई का परीक्षण कर निकाला गया जो मार्च, 1972 में उचित था ।

[दिनांक 7 मार्च, 1973 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बलिया जिले के गूलों का गलत सत्थापन एवं गाजीपुर लिफ्ट सिंचाई खंड की आडिट रिपोर्ट की जांच

*1—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

विधान सभा सन् 1972 के प्रथम सत्र के नवें बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या 3 व 4 के उत्तर के क्रम में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन ओवरसियर, सहायक अभियंताओं एवं अन्य कर्मचारियों ने करीब 3 लाख रुपये के गूलों का सत्यापन गलत किया है उनके विरुद्ध अब तक क्या-क्या दंडनात्मक कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

*2—विधान सभा सत्र 1972 के प्रथम सत्र के दसवें बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर के क्रम में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि संबंधित आडिट रिपोर्ट में जो आपत्तियां उठाई गयी थीं उसकी जांच कब और किससे कराई गई ? और जांच से क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं ?

श्री महमूद अली खां—

सूचना एकत्र की जा रही है।

मुजफ्फरनगर ट्यूबवेल ड़िवीजन के कैराना ग्रुप में असफल घोषित ट्यूबवेल

*3—श्री चन्द्रभान शर्मा तथा श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुजफ्फरनगर ट्यूबवेल डिवीजन के कैराना ग्रुप में पिछले 6 माह से कितने सरकारी ट्यूबवेल फेल हुए और उनके नम्बर क्या-क्या हैं तथा उनमें से अब तक कितने चालू हुए और कितने बेकार पड़े हुए हैं और उनके बेकार पड़े रहने का कारण क्या है?

श्री महमूद अली खां—

करांना ग्रुप में केवल नलकूप संख्या 4 का निकास अब शून्य हो गया है । अतः यह कूप फेल घोषित कर दिया गया है।

राजकीय चिकित्सालय शामली (मुजफ्फरनगर) की बिल्डिंग

*4—श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या सार्वजनिक मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मुजफ्फरनगर के शामली नगर के राजकीय चिकित्सालय का बिल्डिंग प्लान उनके विभाग को बनाना था ? यदि हां, तो अब तक इस ओर क्या प्रगति हुई है? यदि नहीं बनाया गया, तो बिलम्ब का क्या कारण ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी नहीं।

राजकीय चिकित्सालय भवन पहले ही से बना हुआ है।

सिंचाई विभागीय तथा कथित स्थायी इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल सुपरवाइजरों की वरीयता सूची

*5—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थायी इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल सुपरवाइजरों की सिंचाई विभाग द्वारा वरीयता के अनुसार दिनांक 17 नवम्बर, 1972 की सूची घोषित की गई थी ? यदि हां, तो उक्त सूची में से कितने पदोन्नति सुपरवाइजरों को स्थाई नहीं किया गया और क्यों ? क्या उनकी लम्बी सेवाओं को देखते हुए सरकार उन सुपरवाइजरों को भी अविलम्ब स्थायी करने के आदेश प्रदान करेगी?

श्री महमूद अली खां—

17-11-72 को इस प्रकार की कोई वरीयता सूची घोषित नहीं की गयी ।

बादशाह नगर कालोनी (लखनऊ) में क्वाटर्स का आवंटन

*6—श्री विश्वनाथ कपूर तथा श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बादशाह नगर कालोनी, पी0डब्ल्यू डी0 के यू0 ब्लाक्स के क्वाटर्स ऐसे सचिवालय कर्मचारियों को आवंटित किये गये है जिन्होंने हाउस बिल्डिंग एडवांस ले रखा है और उनको पूर्णतया अदायगी नहीं की है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार तुरन्त उनसे क्वार्टर खाली कराने के आदेश प्रसारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां—

राज्य सरकार के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

किसी सरकारी मकान के आवंटनी द्वारा भवन निर्माण हेतु लिये गये ऋण की अदायगी न किये जाने पर उससे मकान खाली कराने का प्राविधान उक्त स्थानों के अध्यासन की शर्तें और प्रतिबन्ध में नहीं है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंताओं की सेवाओं से संबंधित समिति

*7—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर) तथा श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रदेश के सहायक अभियंताओं की सेवाओं में असमानताओं को दूर करने हेतु एक समिति माननीय राजबिहारी सिंह, राज्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई थी ? यदि हां, तो पुनः इसी कार्य के लिये दूसरी समिति श्री लक्ष्मीशंकर यादव, मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में गठित करने के कौन-कौन से कारण हैं ? तथा क्या पहली समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जौनपुर जिले में पुलों का निर्माण

*8—श्री मोतीलाल यादव (जिला जौनपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कितने पुल निर्माण किये जा रहे हैं और उनका नाम किन व्यक्तियों के नाम पर नामकरण किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जौनपुर जनपद में तीन पुलों का निर्माण हो रहा है और इनका नामकरण नहीं किया गया है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के मजदूरों की मांग संबंधित मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्र

*9—श्री दुर्जन (जिला बांदा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माननीय मुख्य मंत्री को सार्वजनिक निर्माण विभाग के मजदूरों को विधान सभा के सत्रारम्भ दिनांक 15 जनवरी, 1973 से 23 जनवरी, 1973 तक आयोजित भूख हड़ताल के संबंध में श्री गोविन्द सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 22 दिसम्बर, 1972 का प्राप्त हुआ जिसमें भूख हड़ताल के पूर्व ही विभागीय अधिकारियों और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों की बैठक बुला कर वार्ता द्वारा श्रमिकों की मांगों को तय कराने का अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो क्या अधिकारी और संघ के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई तथा मांगों पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

खिर्शू-खेड़ाखाल-खांखरा (पौड़ी-गढ़वाल) का प्रस्तावित मोटर मार्ग एवं कान्ड़ई का पक्का पुल

*10—श्री शेर सिंह दानू (जिला चमोली)—

क्या सार्वजनिक निर्मा ण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी-गढ़वाल के विकास क्षेत्र खिर्शू के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग खिर्शू-खड़ाखाल-खांखरा स्वीकृत हो गई है ? यदि हां, तो इसका निर्माण-कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*11—श्री शेर सिंह दानू—

क्या मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त विकास क्षत्र के अन्तर्गत बछणस्यू गाढ़ पर कान्डई नामक स्थान में पक्का लोहे का पुल निर्माण का काय कब तक पूरा हो जायेग ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

बछड़स्यूं गाढ़ पर कोड़ई नामक स्थान पर लोहे के पुल का निर्माण स्वीकृत नहीं है। अतः इस पुल के निर्माण का कार्य पूरा करने का प्रश्न नहीं उठता।

सलोन में ऊंचाहार व रायबरेली में अनधिकृत रूप से निर्मित दूकानें

*12—श्री शिव प्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी कि जिला रायबरेली के अन्तर्गत विकास खंड सलोन व ऊंचाहार के अन्तर्गत आने वाले नहरों की पटरी पर कुछ लोगों ने अनधिकृत दुकानें बना ली हैं या छप्पर डाल रखे है ? यदि हां, तो सरकार ने उनके हटाये जाने की क्या व्यवस्था की है ?

श्री महमूद अली खां—

सलोन विकास खंड की नहरों की पटरी पर अनधिकृत दुकानें व छप्पर हटवा दिये गये हैं।

ऊंचाहार विकास खंड के अन्तर्गत आने वाली नहरों की पटरी पर किसी ने भी अनधिकृत दुकानें व छप्पर नहीं डाल रक्खे हैं।

बस्ती जिले में बाढ़ से बचाव की योजना

*13—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के बांसी तहवील के अन्तर्गत चंवर-ताल के पानी को निकालने तथा इस तहसील के राप्ती तथा बूढी राप्ती के बीच के क्षेत्र को बाढ़ से बचाने की कोई योजना सरकार के पास है ? यदि हां, तो कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री महमूद अली खां—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बेलवा (लखनऊ) के श्री रघुनाथ आदि की शिकायत

*14--श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या ग्राम बेलवा, डा0 इंटौजा, जिला लखनऊ के श्री रघुनाथ आदि कृषकगण को माह अक्तूबर, 1972 का कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र सरकार को मिला है जिसमें कार्यालय, जिलेदारी प्रथम इटौंजा-बाराबंकी डिवीजन शारदा कनाल, बाराबंकी के अन्तर्गत कार्यरत किन्हीं पतरौल के विरुद्ध अधिक सिंचाई लिखने, अवैध रूप स नहर काटकर सिंचाई कराने तथा अवैधानिक रीति मे कुलाबे लगाने के गम्भीर आरोपों का उल्लेख किया गया है? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्यों?

श्री महमूद अली खां--

जी हां, प्रश्न में उल्लिखित कृषकों से एक पतरौल के विरुद्ध शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था। शिकायतों को जांच मौके पर की गई, सभी शिकायतें निराधार पाई गई।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता (मेकेनिकल) के पद पर नियुक्ति

*15--श्री नेतराम सिंह तथा श्री सियाराम (जिला एटा)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह अक्तूबर-नवम्बर 1972 में सहायक अभियंता (मकेनिकल) के पद के लिय कोई नियुक्ति विभाग ने की थी? यदि हां, तो किस-किस अभ्यर्थी को नियुक्त किया गया और उनको नियुक्त करने का आधार क्या था?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

जी हां। इंगित अवधि में संलग्न सूची में वर्णित अभ्यर्थियों को सहायक अभियंता (मेकेनिकल) के पद पर नियुक्ति की गई थी। इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आधार निम्नलिखित था:-

(1) अभ्यर्थियों द्वारा इंजीनियरिंग डिग्री में प्राप्त अंक।
(2) एम0ई0 की इंजीनियरिंग डिग्री।
(3) अभ्यर्थियों का पिछला अनुभव।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1236 पर)

गाजीपुर जिले में मेसर्स भारत ट्यूबवेल को बोरिंग का भुगतान

*16--श्री देवराम (जिला गोरखपुर)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में मेसर्स भारत ट्यूबवैल द्वारा कुल कितने नलकूप बोर किये गये हैं और उनमें से कितने विस्तारित होकर सिंचाई प्रखंड गाजीपुर को हस्तांतरित हुए हैं तथा कितने अभी तक अवशेष है और क्यों?

*17--क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितने प्रतिशत धनराशि का भुगतान मेसर्स भारत ट्यबवेल को किया जा चुका है क्या यह भुगतान उनके साथ किये गये अनुबन्ध की शर्तो के अनुकूल है या नहीं?

श्री महमूद अली खां--

सूचना एकत्र की जा रही है।

*18--श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी--

[7 वें मंगलवार के प्र0 सं0 14 के अन्तर्गत स्थानातरित]

बेलवा (लखनऊ) के कृषकगण का कुलाबा लगाने हेतु प्रार्थना-पत्र

*19--श्री कल्याण सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बेलवा, डा0 इटौंजा, जिला लखनऊ कृषकगण का कोई प्रार्थना-पत्र माह अक्तूबर, 1972 में सरकार को प्राप्त हुआ है जिसमें उपरोक्त ग्राम के निकट रायपुर अत्यिका (माइनर) में रेलवे लाइन एवं सड़क के मध्य से सिंचाई हेतु कुलाबा लगाने की प्रार्थना की गई है? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है तथा उपरोक्त कुलाबा कब तक लगवा दिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महमूद अली खां--

जी हां, रबी में पानी की कमी के कारण इस स्थान पर कुलाबा देना सम्भव नहीं है।

उन्नाव जिले में सरकारी ट्यूबवेल लगाने की व्यवस्था

*20--श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले, तहसील हसनगंज में अभी तक सरकारी ट्यबवेल की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे छोटे-छोटे किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी है। यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त तहसीलों में 10 ट्यूबवेलों के आवंटन की व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे?

श्री महमूद अली खां--

तहसील हसनगंज में राजकीय नलकूपों के निर्माण कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*21--श्री सजीवन लाल--

क्या यह सही है कि वर्ष 1972-73 में उन्नाव जिले के लिये सरकार द्वारा केवल 5 सरकारी नलकूप के आवंटन की व्यवस्था की गई है यदि हां, तो क्या सरकार उन्नाव जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला होने के कारण कम से कम 25 सरकारी ट्यबवेल की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे यदि हां, तो कब तक ?

श्री महमूद अली खां--

जी हां।

चालू वित्तीय वर्ष में उन्नाव जिले के लिये 5 और नलकूप प्रस्तावित हैं।

मुरादाबाद जिले के राजकीय नलकूप

*22--श्री जितेन्द्र पाल सिंह (जिला मुरादाबाद)--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मुरादाबाद जिले में राजकीय नलकूपों की कुल संख्या अलग-अलग तहसीलवार ग्रामों में क्या है? क्या हसनपुर तहसील की उपेक्षा की गई है? यदि हां, तो विशेष रूप से नलकूप लगान की व्यबस्था करने का कष्ट करगे?

श्री महमूद अली खां—

दिनांक 31 दिसम्बर, 1972 तक मुरादाबाद जनपद में तहसीलवार राजकीय चालू नलकूपों की संख्या निम्नलिखित है :—

बिलारी	..	..	202
सम्भल ..	..	..	274
ठाकुरद्वारा	..	..	12
अमरोहा ..	..	..	152
हसनपुर ..	..	..	82
मुरादाबाद	..	..	32
		योग ..	754

शासन द्वारा नलकूपों का केवल जिलेवार ही वितरण स्वीकार किया जाता है । जिला-स्तर पर यह निणय किया जाता है कि कौन नलकूप कहां लगे ।

*23—श्री जितेन्द्रपाल सिंह—

क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि जिले मुरादाबाद में कितने नलकूप ऐसे हैं जो बेकार पड़े हुए ह क्या सरकार उन राजकीय नलकूपों की शीघ्र री-बोरिंग कराने का कष्ट करेगी?

श्री महमूद अली खां—

वर्ष 1972-73 में जिला मुरादाबाद में फरवरी, 1973 तक 7 राजकीय नलकूप पूर्णतः फेल हो गय थे । इनमें से 5 नलकूपों का पुनः छिद्रण हो गया है । शष दो नल-कपों के पुनः छिद्रण की आवश्यकता कायवाही हो रही है ।

*24—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।]

हुसैनपुर खेड़ा—बरुआ बांध (बदायूं) के निर्माण की योजना

*25—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिले में बदायूं तहसील के अन्तर्गत हुसैनपुर खेड़ा से बहवा बांध बनाने के लिये जिला सिंचाई परामर्शदात्री समिति ने कोई सस्तुति गत वर्ष की है ? यदि हां, तो शासन ने अब तक इस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां, योजना विचाराधीन है ।

गोरखपुर, बस्ती, देवरिया तथा आजमगढ़ के प्रशिक्षित बेरोजगार हरिजन नलकूप चालक

*26—श्री फिरगी प्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मन्त्री द्वितीय सत्र 1972 के दूसरे बुधवार के नत्थी (ख) के प्रश्न संख्या 4 (सिंचाई-5) दिनांक 20 दिसम्बर, 1972 के क्रम में बताने की कृपा करेंग कि गोरखपुर, बस्ती, देवरिया एवं आजमगढ़ में कितने हरिजन ऐसे हैं जो नलकूप चालक का प्रशिक्षण

करके घर पर या लीव-वैकेन्सी पर कार्य कर रहे हैं जबकि इस पद के लिय सुरक्षित प्रतिशत पूरा नहीं है ? यदि हां, तो एसे हरिजनों के नाम एवं पते क्या हैं और इन्ह कब तक कोटे के अन्तर्गत जगह दे दी जायगी ?

श्री महमूद अली खां--

उक्त जिलों में 18 हरिजन एसे हैं जो नलकूप चालक का प्रशिक्षण प्राप्त करके घर पर बैठ हैं या लीव वैकेन्सी म कार्यरत हैं। उनके नाम व पते की सूची संलग्न है। हरिजनों का निर्धारित प्रतिशत पूरा करने का भरसक प्रयत्न किया जाता है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1398 पर)

दोहरीघाट पम्प कैनाल के अन्तर्गत मुरादपुर माइनर हेतु अधिकृत भूमि

*27--श्री राम बिलास पांडेय तथा श्री विश्वनाथ कपूर--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट पम्प कैनाल के अन्तर्गत मुरादपुर माइनर के लिये जमीन अधिकृत की गई है? यदि हां, तो काय क्यों नहीं प्रारम्भ हुआ तथा क्या यह सही है कि उस जमीन की आवश्यकता नहीं रही ? यदि हां, तो क्या उसे किसानों को वापस करन पर विचार करेंगे ?

श्री महमूब अली खां--

सूचना एकत्र की जा रही है।

लिफ्ट सिंचाई खंड तृतीय, वाराणसी के जमानिया पम्प कैनाल का बार्ज

*28--श्री देवराम--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करग कि अप्रल-मई, 1972 में लिफ्ट सिंचाई खण्ड, वाराणसी के अन्तगत जमानियां पम्प कैनाल पर स्थित बार्ज किस अधिकारी की लापरवाही से डूब गया था ? उक्त बाज के निर्माण की क्या लागत थी और उसके निकालन में कितनी धनराशि व्यय हुई ? तथा सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अब तक विभागीय कायवाही क्या की गई ?

श्री महमूब अली खां--

सूचना एकत्र की जा रही है।

डलमऊ (रायबरेली) में गंगा पर पक्का पुल बनाने की योजना

*29--श्री शिवशंकर सिंह (जिला रायबरेली)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलायेंग कि डलमऊ, जिला रायबरेली में गंगा नदी के ऊपर पुल बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह पुल कब तक बन कर तैयार होगा ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

गंगा के पुलों के निर्माण के लिये केन्द्र द्वारा दी गई ऋण सहायता से डलमऊ में पक्का पुल बनान की सहमति भारत सरकार न दे दी है। इस पुल का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि इस पुल का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा।

नलकूप खंड बदायूं में लिपिकों का स्थानान्तरण

*30—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खंड बदायूं के उपखंड कनाल कालोनी में ही स्थित है ? यदि हां, तो उप खंड प्रथम तथा द्वितीय में कौन-कौन लिपिक (प्रथम) कितने-कितन वर्षों से लगातार काय कर रहे हैं ? क्या इन उप खंडीय लिपिकों का स्थानान्तरण नवम्बर, दिसम्बर, 1972 में किया गया था ? यदि हां, तो क्या आदेशों का पालन कराया गया ? यवि नहीं, तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां—

बदायूं में नलकूप के 8 उपखंड हैं जिनमें से 6 उपखंड कैनाल कालोनी में स्थित हैं।

सर्वश्री रामप्रकाश शर्मा तथा सुरेश्वर दयाल, उपखंड लिपिक (प्रथम) तथा द्वितीय उपखंड म क्रमश: साढ़ 6 वर्ष तथा सवा 5 बर्ष से लगातार कार्य कर रहे हैं।

नवम्बर, 1972 में इनके स्थानान्तरण के आदेश कर दिये गये थे किन्तु बाद में जनहित में निरस्त कर दिये गये।

गोरखपुर-देवरिया नहर पर बनने वाले फुट ब्रिज

*31—श्री राम नगीना मिश्र (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बड़ी गंडक से जो नहर गोरखपुर–देवरिया जनपद से होकर बिहार को गई है उस पर दुदही व सेवरही ब्लाक में गौरी जगदीश, भगवानपुर व गौरी इब्राहीम पर फुट ब्रिज बनाने के लिये जिलाधिकारी देवरिया ने जिला परिषद् की हैसियत से अक्तूबर या नवम्बर, 1972 में सिफारिश की है तथा स्थानीय विधायक न उसके लिये हाल में आवेदन-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उपर्युक्त तीनों स्थानों पर फुट ब्रिज बनान हेतु सरकार ने क्या आदेश दिये हैं ? यदि पुल बनाने हेतु सरकार न आदेश दिया है तो पुल बनान का काम कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां।

जहां-जहां फुट ब्रिज आवश्यक समझे जावें बनाये जायेंगे।

शारदा कैनाल के प्रतापगढ़ डिवीजन में कदम पुलिया की मांग

*32—श्री शिव प्रसाद पांडिया—

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि जनपद रायबरेली के शारदा कैनाल के प्रतापगढ़ डिवीजन पर जनता व विधायक के अनुरोध पर मील न0 7 व 8 पर कदम पुलिया बनाई जा रही है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक हो जायगा ?

श्री महमूद अली खां—

प्रश्न में उल्लिखित कदम पुलिया का निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

बरसाना (मथुरा) में गोवर्धन नाले का टूटा पुल

*33—श्री तेज पाल सिंह 'कृष्ण' (जिला मथुरा)—

क्या सरकार को मालूम है कि मथुरा जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बरसाना पर गोवर्धन नाले का पुल गत पांच वर्ष से टूटा पड़ा है और कोसीकलां से बरसाना का यातायात नाले की पटरी पर घुमाया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस पुल को शीघ्र बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां। नये पुल का निर्माण का कार्य शीघ्र आरम्भ किया जायगा।

*34—श्री मनोहर लाल—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित]

रिग्स प्रखण्ड वाराणसी की मशीनों के मैन्टीनेंस इस्टीमेट

*35—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971-72 में रिग्स प्रखंड वाराणसी में विभिन्न प्रकार की कौन-कौन सी मशीनें थीं और उनके मैन्टीनेन्स के इस्टीमेट स्वीकृत है या नहीं ? यदि हां, तो क्या इस्टीमेट स्वीकृत हो जाने के बाद कार्य कराया गया है या कार्य हो जाने के बाद वास्तविक व्यय के आधार पर इस्टीमेट सैंक्शन किया गया है ?

श्री महमूद अली खां—

वर्ष 1971-72 में रिग्स प्रखंड वाराणसी में कुल 29 मशीने थीं। मशीनों का विवरण निम्न प्रकार है :—

1—रिंग मशीन	..	..	11 अदद
2—एयर कम्प्रेशर	..	..	11 अदद
3—ओ0 पी0 यूनिट	..	..	7 अदद
	योग	..	29 अदद

इन सभी मशीनों के मेन्टीनेन्स के इस्टीमेट स्वीकृत हैं। सहायक अभियन्ताओं द्वारा प्रस्तावित इस्टीमेट के आधार पर कार्य कराया गया है जिनकी स्वीकृति माह मार्च, 1972 में प्रदान की गई थी।

*36—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970-71 व 1971-72 में उन विभिन्न प्रकार की मशीन के मेन्टीनेन्स पर लाभ व हानि का एडजस्टमेंट कैसे किया गया है ?

श्री महमूद अली खां—

वर्ष 1970-71 व 1971-72 में उन विभिन्न प्रकार के मशीनों के मेंटीनेंस एवं आपरेशन के इस्टीमेट पर हुए कुल व्यय को नियमानुसार सम्बन्धित कार्य पर समायोजित कर दिया गया था जिससे इन इस्टीमेटों पर अतिरिक्त व्यय शून्य हो जाय।

सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) की सड़कें

*37—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले पांच वर्षों में अलीगढ़ जिले की सिकन्दराराउ तहसील में कौन-कौन सी सड़कें बन चुकी हैं तथा कौन-कौन सी निर्माणाधीन हैं तथा उनकी लम्बाई क्या-क्या है और उन पर कितनी लागत आई है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

पिछले पांच वर्षों में अलीगढ़ जिले की सिकन्दराराऊ तहसील में कोई सड़क नहीं बनी है। इस तहसील में गुजरते हुए केवल 12.40 कि0मी0 लम्बे आगरा-जलेसर-सिकन्दराराऊ मार्ग का निर्माण हो रहा है। इस मार्ग के निर्माण पर 20,40,000 रुपए की धनराशि व्यय होने का अनुमान है।

*38—श्री जगदीश गांधी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ तहसील की तहसील सिकन्दिरा राऊ में कौन-कौन-सी सड़कें अगले 3 वर्षों में सरकार बनाने का विचार कर रही है ? यदि ,हां, तो इसके आरम्भ होने की कब तक सम्भावना है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

इस सम्बन्ध में शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया है। इसलिये यह सूचना इस समय देना सम्भव नहीं है ।

सात सीलिंग थल मोटर मार्ग (पिथौरागढ़) में बसें चलाने हेतु निरीक्षण

*39—श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिथौरागढ़ के सात सीलिंग थल मोटर मार्ग में बसें चलाने हेतु दिनांक 21 नवम्बर, 1972 को कोई निरीक्षण जिला परामर्शदात्री समिति द्वारा किया गया ? यदि हां, तो निरीक्षण के उपरान्त क्या कार्यवाही की गई ?

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री देवकी नन्दन विभव)—

जी हां ।

निरीक्षण के उपरान्त इस मोटर मार्ग को बसों के संचालन हेतु उपयुक्त पाया गया तथा उसकी सूचना अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ द्वारा संभागीय परिवहन अधिकारी, कुमाऊं संभाग, नैतीताल को दिनांक 8 दिसम्बर, 1972 को दी गई। इस सूचना के आधार पर संभागीय परिवहन अधिकारी, कुमाऊं, नैतीताल द्वारा दिनांक 2 जनवरी, 1973 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की 12 गाड़ियों को इस मार्ग पर बसें चलाने के लिए अस्थायी परमिट प्रदान किये गये जो दिनांक 1 मई, 1973 तक वैध हैं। तदुपरान्त प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कुमाऊं संभाग, नैतीताल द्वारा उक्त मार्ग को यू0 पी0 मोटर वैहिकिल्स टैक्सेशन] नियमावली, 1935 के नियम 5 के अन्तर्गत दिनांक 15 जनवरी, 1973 की बैठक में 'सी' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। उक्त मार्ग पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की गाड़ियों का संचालन दिनांक 26 जनवरी, 1973 से आरम्भ हो गया।

बानगंगा बैराज, ट्यूबवेल ड़िवीजन, बस्ती के मजदूरों की मजदूरी न दिये जाने की शिकायत

*40—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का दिनांक 18 दिसम्बर, 1972 का पत्र श्रमिकों की सूची के साथ जिसमें बानगंगा बराज अन्तर्गत ट्यूबवेल डिवीजन बस्ती का काम करने वाले 31 मजदूरों की दिनांक 20 मार्च, 1967 से 30 अप्रैल, 1967 तक की मजदूरी न देने की शिकायत की गई थी, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री महमूद अली खां—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

सिंचाई विभाग द्वारा ली गई कोटवा टीकमपार (देवरिया) के कृषकों की भूमि का मुआवजा

*41—श्री रामधारी शास्त्री तथा श्री बांके लाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मौजा कोटवा टीकमपार, ब्लाक तमकुहीराज, जिला देवरिया के उन लोगों को कब तक मुआविजे की रकम मिल जायगी जिनकी भूमि बरसाती पानी के नाले के लिये लगभग 8 वर्षों पूर्व सिंचाई विभाग द्वारा ली गई थी और जिसकी आदायगी के लिय विधान सभा में 1969 में सरकार ने आश्वासन भी दिया था?

श्री महमूद अली खां—

मौजा कोटवा में अर्जित की गई भूमि का प्रतिकर रु0 5,745.10 पैसा वर्ष 1967 में ही वितरित कर दिया गया था। मौजा टीकमपुर की अर्जित भूमि का प्रतिकर शीघ्र वितरित करने की कार्यवाही की जा रही है।

द्वितीय नलकूप विभाग अलीगढ़ के अभियंता (द्वितीय) के विरुद्ध शिकायतें

*42—श्री सियाराम—

क्या सिंचाई मन्त्री को दिनांक 19 जुलाई, 1972 को एक शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता का अभियन्ता नलकूप (द्वितीय) डिवीजन द्वितीय नलकूप विभाग, अलीगढ़ के विरुद्ध भ्रष्टाचार की अविलम्ब जांच कराने हेतु प्राप्त हुआ? यदि हां, तो सरकार ने उस शिकायती-पत्र के अनुसार क्या जांच की तथा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महमूद अली खां—

जी हां। माननीय सदस्य की शिकायत पर जांच की गई। जांच रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है।

जिला प्रतापगढ़ में स्वीकृत राजकीय नलकूप

*43—श्री गया प्रसाद (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1972 से 31 दिसम्बर, 1972 तक कितने राजकीय नलकूप सरकार द्वारा विकास खंड बिहार, बाबागंज तथा कालाकांकर, जिला प्रतापगढ़ में स्वीकृत हुए हैं और उनके निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री महमूद अली खां--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रतापगढ़ की जेठवारा-कुंड़ा सड़क के निर्माण हेतु प्रार्थना-पत्र

*44--श्री गया प्रसाद--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 मार्च, सन् 1972 से लेकर दिसम्बर, 1972 तक कितने प्रार्थना-पत्र प्रतापगढ़ के अन्तर्गत जेठवारा से कुण्डा तक जाने वाली सड़क निर्माण हेतु प्राप्त हुए और अब तक उन प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण के लिये मार्च से दिसम्बर, 1972 तक 6 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये। धनाभाव के कारण इस मार्ग का निर्माण स्वीकृत नहीं किया जा सका है ।

धनरौल बांध (मिर्जापुर) में पानी के अभाव के कारण फसलों को क्षति

*45--श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर) तथा श्री रामसागर (जिला जौनपुर)--

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि धनरौल, जिला मिर्जापुर के बांध में पानी नहीं है या कम है तथा सिंचाई के पानी के अभाव में मिर्जापुर के इलाकों विशेषत: राबर्ट सगंज तथा मड़िहान के पहाड़ी इलाकों की फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं ? यदि हां, तो किसानों की सहायता के लिये सरकार ने क्या किया ?

श्री महमूद अली खां--

जी हां, वर्ष 1972 में वर्षा कम होने के कारण धनरौल बांध में पानी कम एकत्रित हुआ था तथा खरीफ की सिंचाई में ही अधिकांश पानी समाप्त हो गया था। अत: रबी फसल की सिंचाई हेतु पानी देना सम्भव नहीं हो सका। उक्त इलाकों में जितनी फसलों की क्षति हुई है उनके छूट की कायवाही की जा रही है तथा राहत कार्य चलाये जा रहे हैं। इन कार्यों के लिये दो लाख रुपया प्रदिष्ट किया जा चुका है।

हरदोई शारदा नहर में साइफन बनाने की योजना

*46--श्री हरनारायण (जिला पीलीभीत)--

क्या सिंचाई मन्त्री को विदित है कि हरदोई शारदा नहर से 21 मील तक सीवेज के पानी से लगभग 5 हजार एकड़ भमि जलमग्न है जिसके लिये साइफन बनने की योजना तयार की गई है? उस साइफन को बनाने में क्या कठिनाई है ?

श्री महमूद अली खां--

हरदोई ब्रांच शारदा नहर के मील 21 के निकट सीवेज से लगभग 2,500 एकड़ क्षेत्र प्रभावित होता है। इस समस्या के समाधान के लिये साइफन बनाने हेतु उपयुक्त स्थान निर्धारण हेतु सर्वेक्षण हो रहा है ।

भोगनीपुर (कानपुर) में अमराहट लिफ्ट कैनाल के निर्माणार्थ सर्वेक्षण

*47--श्री ज्वाला प्रसाद कुरील (जिला कानपुर)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अमराहट लिफ्ट कैनाल, तहसील भोगनीपुर, जिला कानपुर के निर्माण की आवश्यकता को ध्यान में रखकर उसका सर्वेक्षण कराया

गया है ? यदि हां, तो कब और उसमें कितनी लागत से कितनी भूमि सिंचित होने का अनुमान है ?

श्री महमूद अली खां--

कानपुर जिले की भोगनीपुर तहसील में सिंचाई की सुविधा देने के लिये पानी लिफ्ट करने की अमराहट पम्प नहर प्रायोजना का सर्वेक्षण कराया गया है और विस्तृत आगणन तैयार किया जा रहा है। आगणन तैयार होने के पश्चात् ही यह बताना सम्भव होगा कि यह प्रायोजना कितनी भूमि को सिंचित कर पायेगी ।

बाम्बे प्लान के अन्तर्गत पश्चिमी प्रदेश में बनने वाली सड़कें

*48--श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ) तथा श्री अनीसुर रहमान शेरवानी (जिला अलीगढ़)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को जानकारी है कि बाम्बे प्लान (योजना) के मातहत पश्चिम उत्तर प्रदेश में सड़कों का निर्माण बहुत कम हो रहा है ? यदि हां, तो सड़कों के निर्माण हेतु पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिये पांचवीं योजना में क्या कोई विशेष धनराशि निश्चित की है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सड़कों का निर्माण यथा सम्भव बम्बई योजना के अनुसार आंकी गई आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही, धन की उपलब्धता के आधार पर, किया जा रहा है ।

पांचवीं योजना का आकार अभी निश्चित नहीं है। सड़कों के निर्माण के लिये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये पांचवीं योजना में कोई विशेष धनराशि निश्चित करने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

*49--श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी--

[7वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सिंचाई विभाग की अधिदर्शक पदोन्नति परीक्षा

*50--श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिसम्बर, 1972 में होने वाली सिंचाई विभाग के अधिदर्शक पदोन्नति परीक्षा का अधिदर्शकों ने बहिष्कार किया ? यदि हां, तो क्यों एव अब पुनः उक्त परीक्षा अब सरकार कब लेगी तथा पुनः परीक्षा का बहिष्कार न हो सके इसके लिये क्या उपाय करेगी ?

श्री महमूद अली खां--

जी हां। प्रश्न-पत्र के लम्बे होने और पाठ्य-क्रम से अलग होने की शिकायत थी। आगामी परीक्षा आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में शासन विचार कर रही है।

कोल्हई लोटन मार्ग (गोरखपुर) में घोघी नदी पर पुल का निर्माण

*51--श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त जिले के कोल्हई लोटन मार्ग पर घोघी नदी पर कोई पुल बनाना स्वीकृत है ? यदि हां, तो अब तक न बनने का कारण क्या है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमिक संघ द्वारा हड़ताल का निर्णय

*52—श्री दुर्जन भाई—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमिक संघ ने संघ द्वारा प्रेषित मांगों पर कोई सन्तोषजनक कार्यवाई न होने के विरोध में हड़ताल बैलेट लेने का निर्णय लिया है जिसकी सूचना संघ के पत्र दिनांक 22 जनवरी, 1973 द्वारा मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा निर्माण मंत्री को भी प्रेषित की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार आम हड़ताल के पूर्व ही मांगों पर सन्तोषजनक कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*53—श्री जगदीश गांधी—

[8वें बुधवार के प्र0 सं0 12 पर स्थानान्तरित]

*54—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता—

[7वें बुधवार के प्र0 सं0 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*55-56 श्री लालसा—

[प्रदेशीय सरकार से असम्बन्ध होने के कारण निरस्त]

*57—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित]

*58—श्रीमती मसाली देवी—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित]

*59-60—श्री राम लाल राही—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित]

*61—श्री शिव कैलाश—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित]

*62—श्री प्रेम नारायण अहेरवार—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित]

*63-64—श्री भारत सिंह चौहान—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित]

*65—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

कंचौसीबाजार (ककोर) की सड़क का निर्माण

1--चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

विधान सभा के दिनांक 13 दिसम्बर, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 33 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि ककोर के कंचौसी बाजार की सड़क के निर्माण का कार्य शासन द्वारा किन कारणों से कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया गया था ? इस सड़क का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ था और कहां से कहां तक कितना कार्य अब तक हुआ है तथा इस सड़क का सम्पूर्ण निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा और देर का क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण शासन द्वारा कुछ प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दिया गया था ।

सड़क का निर्माण जुलाई, 1972 में प्रारम्भ कर दिया गया था और अब तक 3 1/2 किलो मीटर भाग में मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है । रोलिंग के लिये 5 किलो मीटर में ईंट व 1 कि0 मी0 की ईंट की रोड़ी एकत्र कर ली गयी है । निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

मार्ग पर निर्माण कार्य जून 1974 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

भूमि अध्याप्ति के समय किसानों द्वारा प्रतिरोध तथा निर्माण सामग्री की कमी के कारण कार्य में देरी हुई ।

टेढ़ा (हमीरपुर) की बंधी टूटने से फसल की हानि का मुआवजा

2--श्री प्रताप नारायण द्विवेदी (जिला हमीरपुर)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1966 के माह अगस्त, 14 तारीख को ग्राम टेढ़ा, जिला हमीरपुर की बंधी नम्बर 1 टूट गई थी जिसके फलस्वरूप बंधी के पानी के बहाव में श्री राम नारायण अग्निहोत्री की ज्वार, अरहर व मूंग की फसल जो करीब 6.55 एकड़ रकबे में थी नष्ट हो गई थी और उनका लगभग 10,000 हजार रुपये का नुकसान हुआ था ? यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित क्षतिग्रस्त किसान को उचित मुआवजा दिलाने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री महमूद अली खां--

अगस्त 1966 में अत्यधिक वर्षा के कारण टेढ़ा बंधी नं0 1 टूट जाने के फलस्वरूप उसका पानी टेढ़ा बंधी नं0 2 में भर गया था । इससे हुई हानि का मुआवजा देने का कोई औचित्य नहीं है । क्योंकि 15 अक्तूबर तक बंधियों में पानी भरा रहता है और उक्त अवधि में सेमरजेन्स क्षेत्र के अन्तर्गत कृषक फसल अपनी जिम्मेदारी पर बोते हैं ।

बदायूं-बरेली मार्ग पर रामगंगा पुल के निर्माण का व्यय

3--श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य तथा श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं-बरेली मार्ग पर रामगंगा पुल का निर्माण व्यय जो यात्री एवं वाहन कर के रूप में लिया जाता है, पूर्ण हो गया या नहीं ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

जी नहीं ।

बदायूं जिले में नदियों के कटाव से सुरक्षा

4—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले में सन् 1972 में नदियों एवं गंगा की बाढ़ से कितने गांवों का कटाव हुआ एवं सरकार ने उन गांवों की सुरक्षा के लिये अब तक क्या किया ?

श्री महमूद अली खां—

बदायूं जिले में सन् 73 में केवल गंगा नदी की बाढ़ से चार ग्रामों की भमि का कटाव हुआ था । इस क्षेत्र की बाढ़ से सुरक्षा के लिये गंगा–महावा बांध का निर्माण किया गया था । गंगा की धारा बांध की ओर अग्रसर हो गई है और गत कई वर्षों से इस बांध को जगह-जगह पर काट रही है । इस कटाव को रोकना सम्भव न होने के कारण इसके पीछे निवृत्त बांध बनाने की योजना शासन द्वारा स्वीकृत की गई है परन्तु स्थानीय जनता के विरोध के कारण निवृत्त बांध का निर्माण नहीं हो पाया है। उक्त का टनों को टेस्ट वर्क के अन्तर्गत बंद कराने की व्यवस्था जिलाधिकारी, बदायूं द्वारा की जा रही है ।

रायबरेली जिले में सड़कों के नव निर्माण की योजना

5—श्री शिव प्रसाद पांडिया—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जनपद रायबरेली के ब्लाक ऊंचाहार व सलोन के किन–किन गांवों की सड़कों के नव निर्माण की योजना 1972–73 वर्ष में बनाई गई है और उन पर कार्य कब से अरम्भ हो जायेगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

1972–73 में जनपद रायबरेली के ब्लाक ऊंचाहार व सलोन में परसेंदपुर-लोधवारी मार्ग का निर्माण स्वीकृत किया गया है । इसका निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

फरेंदा–महाराजगंज रोड (गोरखपुर) की लिंक रोड

6—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के फरेन्वा-महाराजगंज रोड पर त्रिमुहानी घाट से फरेन्दा तक किन-किन ग्रामों को लिंक रोड द्वारा फरेन्दा–महाराज-गंज रोड से जोड़ रही है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

इस समय प्रश्नगत सड़क से किसी भी ग्राम तक लिंक मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं है।

जिला वाराणसी में नलकूप योजना

7—श्री सजीवन लाल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव धरसौना, कामापुर, सहमलपुर, रोह, अजईपुर, कैथेउली, थरी, बरजी, मरूई, बेलारी, दिनदासपुर, सगुनहां, परगना कोल असला तथा रायपुर बैरहना, कोईलार, असवारी जनकपट्टी परगना पन्द्रह व कविरामपुर, भटौली, परगना अठगौंवा, जिला वाराणसी में सिंचाई हेतु नलकूप लगाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

जी हां, ग्राम कामापुर तथा रोड को छोड़कर शेष सभी ग्रामों में नलकूप लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। जिला परामर्शदात्री समिति सिचाई, वाराणसी द्वारा स्वीकृति मिलने पर काम शुरू किया जायेगा ।

नलकूप मण्डल, बरेली एवं बदायूं प्रथम तथा द्वितीय के लिपिक

8---श्री मोहम्मद असरार अहमद--

क्या सिचाई मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि नलकूप मंडल, बरेली में कुछ लिपिक मंडल के बाहर के अन्य जिलों के भी रहने वाले हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन और किस-किस जिले के हैं? क्या बदायूं प्रथम तथा द्वितीय नलकूप खंड में कुछ लिपिक बरेली तथा अन्य जिलों के भी हैं ? और क्या बदायूं में जो लिपिक अन्य जिलों के हैं उनको शासन के आदेशानुसार उनके जनपदों में स्थानान्तरण करने का विचार है ? यदि हां, तो कब ?

श्री महमूद अली खां--

जी हां। ऐसे लिपिकों के नाम तथा उनके निवास-जिले के नाम की सूची संलग्न है। बदायूं प्रथम तथा द्वितीय नलकूप खंड में कुछ लिपिक बरेली तथा अन्य जिलों के भी हैं। बदायूं में जो लिपिक अन्य जिलों के हैं उनको जनहित में अभी अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार नहीं है।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 1239 पर)

फर्रुखाबाद जिले में गंगा नदी पर बैराज बनाने की योजना

9---श्री नेत राम सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के गंगा नदी पर कोई बैराज बनाने की योजना चल रही है ? यदि हां, तो योजना कब तक पूरी हो जायेगी और सरकार का इस योजना पर कितना धन व्यय किये जाने का अनुमान है और इस योजना से किस-किस जिले की कितनी भूमि सिंचित होगी ?

श्री महमूद अली खां--

जी हां। इस परियोजना पर प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार 53·61 करोड रुपये व्यय होने का अनुमान है। इसका प्रारम्भिक सर्वेक्षण हो चुका है और तदनुसार आगणन तैयार किया जा रहा है। आगणन तैयार हो जाने पर ही यह बताना सम्भव हो सकेगा कि इससे कितना क्षेत्र सिंचित होगा । वैसे इस परियोजना से कानपुर, फतेहपुर व इलाहाबाद जिलों को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।

मिर्जापुर में सोन नदी से लिफ्ट द्वारा सिंचाई योजना

10---श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला मिर्जापुर में सोन नदी से लिफ्ट द्वारा सिंचाई की योजना चल रही है और उसे वृहद रूप देने की बात सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा होगा तथा उस पर अब तक कितना धन व्यय किया जा चुका है ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां, मिर्जापुर जिले के पठारी क्षेत्र को सिंचाई सुविधा देने के लिये सोन नदी से जल पम्प करने की योजना शासन के विचाराधीन है। प्रा योजना का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। इसके सर्वेक्षण कार्य पर जनवरी, 1973 तक लगभग 16,000 रुपया व्यय हुआ।

झगहां (गोरखपुर) के ग्रामों में नलकूप

11—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मंत्री जांचकर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र झगहां में वर्ष 1968–69 से वर्ष 1972–73 तक किन-किन ग्रामों में नलकूप बने एवं बनाये जावेंगे ?

श्री महमूद अली खां—

गोरखपुर जनपद के झगहां निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1968–69 से 1972–73 के माह जनवरी, 1973 तक कुल 6 राजकीय नलकूप निम्नलिखित ग्रामों में बनाये गये—

(1) राघोपट्टी
(2) लालापुर
(3) पचदेवरी
(4) हरैया
(5) बाहुपार (महादेवा)
(6) तरकुल्ही।

1972–73 में अब और कोई राजकीय नलकूप उक्त निर्वाचन क्षेत्र में बनाने हेतु प्रस्तावित नहीं है।

जौनपुर के नवनिर्मित सड़कों का उद्घाटन

12—श्री मोती लाल यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के अन्तर्गत वर्ष 1972–73 में कितनी सड़कों का निर्माण आरम्भ हुआ तथा कितनी सडकों के काय पूर्ण करके उनके उद्घाटन किसके द्वारा सम्पन्न हुए ? तथा कितनी सरकारी धनराशि उद्घाटन समारोहों पर व्यय हुई है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

1—बेरोजगारी दूर करने की विशेष योजनाय के अन्तर्गत			9 सड़कें
2—नयी सड़कों के निर्माण की योजनायें		..	2 सड़कें
3—पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य	..	..	1 सड़क
4—टेस्ट वर्क के अन्तर्गत	.. ..	..	20 सड़कें
5—वर्तमान सड़कों का आधुनीकरण व सुधार	..	..	1 सड़क

वर्ष 1972–73 म कोई भी मार्ग पूर्ण नहीं हुआ अत: इनका उद्घाटन कराने तथा सरकारी धनराशि व्यय करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

छजनेट–नूरपुर सड़क (मुरादाबाद) का पुल

13—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मुरादाबाद में एक सड़क छजनट-नूरपुर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही है जो कि मुरादाबाद से बिजनौर जिले को सीधा जोड़ती है परन्तु उस सड़क म करुला नदी पर पुल का प्राविधान शासन द्वारा नहीं किया गया है जिसके कारण से उस सड़क की उपयोगिता नष्ट होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करन की कृपा करेगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

कथित सड़क पर करुला नदी पर अस्थाई पुल के निर्माण का प्राविधान है । धनाभाव के कारण उक्त पुल का प्राविधान सम्भव नहीं हो सका है ।

मुरादाबाद जिले की स्वीकृत सड़कें

14—श्री जितेन्द्र पाल सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंग कि जिला मुरादाबाद में 1970 से 1972 तक कितनी सड़क स्वीकृत हुईं और उनको अलग-अलग कितनी धनराशि स्वीकृत हुई और कितनी सड़कें कितन मील तक बनकर तयार हो गई ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नलकूप मण्डल, मुरादाबाद में परिगणित जाति के वर्क चार्ज कर्मचारियों का स्थायीकरण

15—श्री जितेन्द्र पाल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप मंडल मुरादाबाद के खंडों में अनुसूचित जाति एवं परिगणित जाति के कितने सदस्य कितने वर्षों के वर्क चाज पर काय कर रहे हैं और उनको अब तक स्थायी पद पर क्यों नहीं किया गया जब कि उनके बाद म बहुत से पदों पर अन्य जाति के सदस्यों को रखा गया है ?

श्री महमूद अली खां—

उक्त मंडल के खंडों में अनुसूचित जाति एवं परिगणित जाति के 112 सदस्य गत लगभग पास से लेकर 9 वर्षों तक की अवधि से वक चार्ज अधिष्ठान म काय कर रहे ह । वर्क चार्ज कमचारियों को नियमित अधिष्ठान में लाने के बाद ही स्थायी करना संभव हो सकता है ।

सार्वजनिक निर्माण विभागीय श्रमिक संघ, लखनऊ की मांगे

16—श्री दुर्जन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 6 नवम्बर, 1972 को उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमिक सघ, लखनऊ के प्रतिनिधियों न उपमत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग के निवास स्थान पर मिलकर कोई मांग-पत्र प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो इस -पत्र में कौन-कौन सी मांगे थीं तथा इन मांगों पर क्या कायवाही हुई ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

लोहरगांव, सकौरा (शाहजहांपुर) में नहर की पटरी पर टीले

श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर)—

17—क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम लोहरगंज, ब्लाक निगोही, जिला शाहजहांपुर से रेलवे स्टेशन जिन्दपुरा बाजार जिन्दपुरा अस्पताल निगोही आदि पंहुचने का एक मात्र रास्ता नहर की पटरी है किन्तु नहर के अधिकारियों ने पटरी पर ऊंचे टीले बना दिये हैं जिसके कारण लोहर गांव सकौरा ग्राम के निवासियों को बड़ी असुविधा हो गई है ? क्या सरकार तुरन्त ऐसा आदेश देने की कृपा करेगी कि जब तक किसी सड़क की व्यवस्था न हो जाये टीले हटा दिये जायं ?

श्री महमूद अली खां—

नहर की सड़क पर अनधिकृत यातायात को रोकने के लिये नहर विभाग द्वारा ईटगांव रजवहे के मील 14 फर्लांग 3 फीट 278 पर चेक रैम्प बनाया गया है । ग्रामीण यातायात के लिये ग्राम लोहरगवां तथा चक सफैश से रेलवे स्टेशन जिन्दपुरा, बाजार जिन्दपुरा तथा अस्पताल निगोही आदि के लिये ग्रामीण मार्ग बने हैं ।

झांसी जिले में सड़कों के निर्माणार्थ लिये गये निर्णय

श्री सुदामा प्रसाद गौस्वामी (जिला झांसी)—

18—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला झांसी में सन् 1970–71, 1971–72 तथा 1972–73 में कौन-कौन सी सड़कें कितने मील लम्बी बनाने का निश्चय किया गया था और इनका निर्णय किस आधार पर किया था ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जिला झांसी में वर्ष 1970–71, 1971–72 तथा 1972–73 में स्वीकृति सड़कों की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई है । इन सड़कों का निर्णय बम्बई योजना के अनुसार आंकी गई आवश्यकता के आधार पर किया गया ।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 1240 पर)

राप्ती गोर्रा नदियों के दोआबा (गोरखपुर) के तटबन्ध बनाने का कार्य

19—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1972 के 26 अप्रैल, 1972 के तारांकित प्र0 सं0 13 के उत्तर के क्रम में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र झंगहा में राप्ती गोर्रा नदियों के दोआबा एवं गोर्रा नदी के उत्तरी तटबन्ध बनान म कितना अनुमानित खर्च पड़गा तथा अब तक कितना खर्च हो चुका है ? पूरे तटबन्ध का निर्माण कब तक हो जायगा एवं कितने एकड़ खेतों की फसल की रक्षा हो सकेगी ?

श्री महमूद अली खां—

राप्ती गोर्रा दोआब के तटबांधों के कार्यों में रु0 3.53 लाख का अनुमानित व्यय होगा जिसमें से रु0 1.62 लाख व्यय हो चुका है । शेष कार्यों को अगली वर्षा के पहले पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है । गोर्रा नदी के उत्तरी तट बांध बनाने हेतु सर्वेक्षण किया जा रहा है । इन सब बांधों से अनुमानतः 15,000 एकड़ भूमि को लाभ होगा ।

पिन्डरा–कठिराव मार्ग (वाराणसी) को पक्का करने की स्वीकृति

20—श्री अमर नाथ दुबे (जिला वाराणसी) श्री सुरेन्द्र विक्रम तथा श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वाराणसी जनपद म पिंडरा-कठिराव मार्ग की पक्की सड़क बनने की स्वीकृति कब हुई और यदि हुई तो उस पर आज तक क्या काम हुआ ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

इस मार्ग का निर्माण कार्य फरवरी, 1971 म स्वीकृत हुआ है। इस मार्ग पर 2, 3 व 4 कि0 मी0 को छोड़ कर अन्य लम्बाई में सामग्री का एकत्रीकरण करीब-करीब समाप्त हो चुका है ।

विधान सभा सदस्य, श्री चन्द्रपाल आजाद तथा भूतपूर्व सदस्य श्री राजनारायण मिश्र के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, हमारे विधान सभा के साथी, श्री चन्द्रपाल आजाद का 26 जनवरी को निधन हुआ मथुरा में । वह एक प्रतिष्ठिति कार्यकर्ता थे । अपने जिले में बड़े लोकप्रिय थे । जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आये थे बी0 के0 डी0 के टिकट पर उनके निर्वाचन क्षेत्र में उनका बड़ा सम्मान था । वह बड़े प्रतिष्ठित थे और उस क्षेत्र के लिये उनकी बडी सेवायें थीं । मथुरा जिले के स्वाधीनता संग्राम के बडे माने-जाने सैनिक रहे हैं । 1937 में उन्होंने कार्य आरम्भ किया था और कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उस जमाने में । वे मथुरा जिले की कांग्रेस कमेटी के मंत्री रह चुके हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे हैं । हमारे साथी भी रहे हैं । स्वयं सेवक संगठन के अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं ।

अलीगढ़ और उस क्षेत्र के बड़े पुराने क्रांतिकारियों के साथ और उनकी प्रेरणा से देश-सेवा और स्वाधीनता के युद्ध में आये । स्वर्गीय श्री मलखान सिंह जैसे प्रसिद्ध लोगों, जिन्होंने न केवल अहिंसात्मक आन्दोलन में भाग लिया, वरन् उससे पूर्व के क्रांतिकारी आन्दोलन में भाग लिया था, के साथियों में से रहे हैं । गांधी जी के नेतृत्व में जो असहयोग और सविनय अवज्ञा का आन्दोलन हुआ सन् 1942 में, उसमें भी वह हिस्सा लेते रहे । हमारे प्रदेश में इन लोगों का स्थान रहा है और उन्हीं के नेतृत्व में और उन्हीं के प्रेरणा से श्री चन्द्रपाल जी देश की सेवा और स्वाधीनता के युद्ध में सम्मिलित हुये ।

अभी उनकी अवस्था अधिक नहीं थी । अभी हमारी विधान सभा के सदस्य रहे हैं । उनको कुछ हृदय का कष्ट था । कुछ समय पूर्व वे यहां थे और बलरामपुर अस्पताल में अपना उपचार करवा रहे थे । अब वे अपने घर गये तो उसके बाद 26 जनवरी को उनका देहावसान हो गया । एक पुराने सार्वजनिक कार्यकर्ता, देशभक्त स्वाधीनता संग्राम के सैनिक, व्यवस्था से जिन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय देश की सेवा में लगाया, का निधन हो जाने पर से मान्यवर, सार्वजनिक जीवन को, हमारे देश के, एक बड़ी क्षति पंहुची है । हम आज उनके निधन पर यहां शोक प्रगट करते हैं और उनकी पवित्र आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं । हमारी आपसे यह विनती होगी कि आप हमारे यह भाव, हमारा यह शोक उनके परिवार तक पहुंचा दें । उनका अच्छा खासा परिवार है, उन तक हमारी यह वेदना पहुंचा दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

मान्यवर, दूसरी एक ऐसी ही दुखद घटना 13 फरवरी को घटी उरई में जब श्री राज नारायण मिश्र जो हमारे प्रदेश के युवक कार्यकर्ता थे, उनकी हत्या उनके घर पर कुछ लोगों ने कर दी । श्री राज नारायण मिश्र सन् 1962 से 1967 तक इसी विधान सभा के सदस्य रहे हैं । कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं । इलाहाबाद युनिवर्सिटी के छात्र रहे और वहीं से उन्होंने एल-एल0 बी0 पास किया। छात्र आन्दोलन में भाग लिया करते थे और अपनी पढ़ाई-अध्ययन समाप्त करने के बाद उन्होंने अपनी वकालत शुरू की थी।

कानपुर के भोगनीपुर के इलाके में और उरई के कालपी में जहां उनका निवास स्थान है वहां काम करते थे और उरई की अदालत में अपनी वकालत करते थे । बड़े लोकप्रिय और मृदुभाषी थे । मान्यवर, कुछ ऐसा संयोग होता है कि 13 तारीख को झांसी में स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों को उनका सम्मान और ताम्रपत्र वितरण करने के लिये एक बड़ा भारी आयोजन हुआ जहां कमिश्नरी भर के स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक बुलाये गये थे और उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिये उन्हें एक ताम्रपत्र वितरित किया गया और सम्मान प्रदान किया गया । मेरा सौभाग्य था कि मैं उस आयोजन में सम्मिलित हुआ 12 फरवरी की रात को जब मैं झांसी जा रहा था और यहां ट्रेन पकड़ने गया स्टेशन पर तो राज नारायण जी वहीं मुझसे मिले । यह जानकर कि मैं झांसी जा रहा हूं और वह बुंदेलखंड के कार्यकर्ता थे तो मुझसे यह कहने आये कि मैं कल झांसी नहीं पहुंच रहा हूं । और इसके लिये वह क्षमा चाहते थे । मैंने उनसे बाराह कहा कि आप ट्रेन से ही झांसी चलिये । हमारे साथ गोस्वामी जी भी थे । उनको पकड़कर ट्रेन के डिब्बे में बैठाया और उनसे कहा कि झांसी चले चलो । उन्होंने कहा कि आज तो नहीं चलूंगा कल शाम को चार बजे आयोजन में झांसी पहुंच जाऊंगा ।

वह यहीं लखनऊ रह गये और दूसरे दिन अपनी जीप से लखनऊ से रवाना हुए । शायद झांसी जाने का इरादा रहा हो या न रहा हो लेकिन यहां से गये और उरई करीब तीन बजे पहुंचे और जैसे ही उन्होंने अपने मकान में प्रवेश किया उन्हें गोली मारी गयी और वहीं उनकी हत्या हुई । एक युवक थे जिसका अभी खिलता हुआ जीवन था और एक कर्मठ कार्यकर्ता थे, जो पढ़े लिखे और सार्वजनिक सेवा की वृत्ति रखने वाले सम्भ्रांत परिवार के थे उनकी इस प्रकार हत्या हुई । हम सभी इस घटना से दुखी हैं और दुखी इसलिये भी हैं कि एक अच्छे पढ़े-लिखे सक्रिय और कर्मठ नवयुवक कार्यकर्ता का इस संसार से प्रयाण हो गया । उनका परिवार है । उनकी पत्नी की सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं, कर्मठ सदस्या हैं, सार्वजनिक कार्यों में भाग लेती हैं ।

मान्यवर, राजनारायण जी का इस प्रकार निधन हो गया दुर्घटना में, एक रोमांचकारी घटना में । हम सब उनके निधन पर शोक संतप्त हैं और हमारी आपसे विनती है कि आप हमारा यह दुख उनके परिवार तक पंहुचा दें और हम उनकी आत्मा की शान्ति के लिये भगवान से प्रार्थना करते हैं। मान्यवर, हम लोगों का यह दुर्भाग्य होता है कि जब कभी इस सदन का सत्र आरम्भ होता है हमारे किसी न किसी कार्यकर्ता के अपने बीच से उठ जाने का समाचार हमें मिला रहता है । और हमें इस दुखद परिस्थिति पर अपनी भावनायें व्यक्त करनी पड़ती है । सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले अच्छे लोगों के जिनका जीवन अधिक से अधिक देश के हित में और समाज सेवा में लगा हो, यह हमारी कामना होती है कि वह अधिक से अधिक हमारे बीच में रहे और जब ऐसे लोग चले जाते हैं तो दुख होना स्वाभाविक है । जब कोई साथी चला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे परिवार को चोट पहुंची हो । ऐसी स्थिति में आपसे हमारा नम्र निवेदन है कि आप हमारी इन भावनाओं को इन व्यक्तियों के परिवार तक पहुंचा दें और हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको शान्ति प्रदान करे । मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

श्री शिव सम्पत्ति शर्मा (जिला जालौन)—

त्रिपाठी जी के भाषण में 3 बजे का समय आया है । यह 5.30 बजे है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ठीक है, यह संशोधन हो जावेगा ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय चन्द्रपाल आजाद और श्री राज नारायण मिश्र के निधन पर मुख्य मंत्री ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं । स्वर्गीय चन्द्रपाल आजाद एक पुराने कार्यकर्त्ता थे । उनका जन्म एक गांव में सन् 1922 में हुआ था और छोटी अवस्था से सन् 1939 से ही उन्होंने राजनीति में सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया था। पहले तो वह अपने जिले के क्रांतिकारी लोगों के सम्पर्क में आये और उनके साथ काम करते रहे लेकिन बाद में वह गांधीजी के आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे और मैं समझता हूं कि सन् 41 और 42 के आन्दोलनों में उन्होंने सक्रिय भाग लिया और जेल की यातनायें भोगीं ।

श्री चन्द्रपाल आजाद यहां लखनऊ में थे । यहीं पर उनको हार्ट अटेक हो गया था और यहां बलरामपुर हास्पिटल में भर्ती रहे । उनका ऐसा ख्याल हो गया था कि उनकी तबियत ठीक हो गई है और इस कारण मना करने पर भी वह कुछ कार्य के सम्बन्ध में अपने जिले को वापस चले गये । वहां पर 26 जनवरी, 1973 को जिला अस्पताल में उनका स्वर्गवास हो गया । वह अपने परिवार के सम्बन्ध में काफी दुखी रहते थे । उनके परिवार के लोग कुछ ऐसी बीमारियों से दुखी रहते थे । जिससे आजाद जी को बराबर चिन्ता बनी रहती थी। अब उनके न रहने पर उनके परिवार के लोग बहुत दुखी होंगे और यह बात बहुत निश्चित नहीं है कि उनके परिवार की जिसमें उनकी स्त्री है, 5 लड़के और 2 लड़कियां हैं, ठीक से देख-भाल हो सकेगी या नहीं ।

श्री चन्द्रपाल आजाद जैसा कि मैंने कहा, शुरू में कांग्रेस में थे और कांग्रेस में वह बहुत सक्रिय काम करने वाले थे । वे विभिन्न कमेटियों के सदस्य थे । मथुरा में वे जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री भी रहे । प्रादेशक कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य रहे और सेवा दल के वे अलीगढ़ के कप्तान भी रहे । बहुत सक्रिय भाग वे कांग्रेस के काम में ले रहे थे और बहुत ही जन प्रिय थे । वे अच्छे और दृढ़ विचार के व्यक्ति थे और सदा सामाजिक सेवाओं में लगे रहते थे। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में उनका बराबर प्रयास रहता था और उनसे जो कुछ हो सकता था उसे वे बराबर करते रहते थे । जिस बात को वे ठीक समझते थे उसे करने में कभी उनको हिचक नहीं होती थी और बड़ी से बड़ी कठिनाई का मुकाबला करने के लिये बराबर तैयार रहते थे । वे बहुत ही जन प्रिय अपने पूरे जिले में । उनके प्रति लोगों में बड़ी श्रद्धा थी और लोग बड़े प्यार की नजर से उनको देखते थे ।

सन् 1969 के मध्यावधि चुनाव में वह विधान सभा के लिये गोकुल क्षेत्र से खड़े हुये बी0 के0 डी0 के टिकट पर और सफल हो कर यहां आय । तब से हमारे बीच में वे सदा काम करते रहे। सदन में भी और सदन के बाहर भी वे बराबर सक्रिय रहते थे और अपनी शक्ति भर बराबर काम करते रहते थे । जैसा कि मैंने कहा कि वे जो ठीक समझते थे उसको करने में कभी उनको हिचक नहीं थी और निडर हो कर सभी कठिनाइयों का बराबर मुकाबला करते रहते थे ।

[श्री जय राम वर्मा]

वे एक गांव के रहने वाले थे । अपने काम के सम्बन्ध में वे शहर से भी सम्बन्धित हो गये थे और अपने काम को बिना किसी रूकावट के कर रहे थे । जैसे कि वे कांग्रेस के संगठन में विभिन्न कमेटियों के सदस्य थे वैसे ही बी0 के0 डी0 में आने के बाद बी0 के0 डी0 पार्टी के जिला संगठन के अध्यक्ष थे और बी0 के0 डी0 की राज्य समिति के भी सदस्य थे । जैसे कि कांग्रेस में रह कर वे अपने काम में सक्रिय भाग लेते थे वैसे ही बी0 के0 डी0 में आने के बाद भी अपने काम में बराबर सक्रिय भाग लेते रहे यद्यपि उन्हें अपने घर की चिन्तायें रहती थीं । अन्त में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। स्वास्थ्य के बिगड़ जाने के बाद भी वे वे काम से मुंह नही मोड़ते थे और काम में बराबर लगे रहते थे । जैसा कि मैंने कहा कि उनको हार्ट एटेक हो गया था । हम लोग सभी चाहते थे कि ऐसी स्थिति में वे यहां रहें और जब तक बिल्कुल ठीक न हो जायें तब तक वे यहां से न जायें, लेकिन उन्हें संगठन के काम की कुछ चिन्ता थी । वे सोचते थे कि उनके बगैर गये ठीक नहीं होगा इस लिए हम लोगों के मना करने के बावजूद भी वे चले गये और जाने के बाद 26 जनवरी को संसार से उठ गये ।

ऐसे कार्यकर्ताओं के उठ जाने से जो बराबर सामाजिक और राजनीतिक सेवाओं में लगे रहे हो और जो बिना किसी भेदभाव के सेवा करते रहें हों, जिनकी प्रतिष्ठा सब जगह हो, उठ जाने से स्वाभाविक है कि सभी लोगों को बहुत दुख होता है । हम लोग सभी उनके उठ जाने से बहुत दुखी हैं । इससे और भी दुख है कि उनका परिवार काफी परेशानी में है और उनकी देखभाल का कोई समुचित प्रबन्ध दिखाई नहीं पड़ता है । हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शान्ति मिले और उनका वियुक्त परिवार इस कठोर दुख को सहन कर सके और आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनके संतप्त परिवार के पास हमारी संवेदना भेज दी जाय ।

इस सिलसिले में एक बात मैं और कहना चाहूंगा हूं कि सदन की ऐसी परम्परा बन गयी है कि जब कोई वर्तमान सदन का सदस्य उठ जाता है तो सदन उस दिन जिस दिन निधन के बारे में निदेश होता है, बन्द कर दिया जाता है । तो इसको भी देख लिया जाय ।

माननीय स्वर्गीय श्री राजनारायण मिश्र एक नवयुवक काम करने वाले थे बड़े दुख की बात है कि वह किसी बीमारी से नहीं संसार को छोड़े, बल्कि उनकी हत्या सवा छः बजे शाम 13 फरवरी को कर दी गयी । बड़ा दुख होता है कि जब इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि किस तरह से राजनैतिक हत्या हमारे प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं । खास तौर से इस बात को देखने की जरूरत है कि इस तरह की राजनीतिक हत्यायें अच्छे-अच्छे काम करने वाले की कर दी जायं तो फिर कितनी तकलीफ और दुख होता है ?

श्री मिश्र जी एक बहुत अच्छे काम करने वाले तथा मृदु भाषी थे मेरा भी उनसे बहुत निकट का सम्बन्ध था । वह नवयुवक तो थे ही, एल0 एल0 बी0 पास करने के बाद वह उरई में और कालपी में वकालत भी करते थे और अच्छे वकीलों में उनकी गिनती हो गयी थी । 1962 में कानपुर जिले से भोगनी क्षेत्र से इस सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे और 1967 तक इस सदन के सदस्य रहे । कांग्रेस के नवयुवक संगठन में उनका काफी हिस्सा था और बड़े अच्छे काम करने वाले थे और उनकी अच्छी प्रतिष्ठा नवयुवक कार्यकर्ताओं में थी । हमारे साथी श्री बहुगुणा जी के वे सम्बन्धी भी थे । किसी राजनीतिक दुश्मनी में इस तरह की हत्या करके ऐसे कार्यकर्ता हमारे बीच से उठा दिये जायं यह कभी सहन होने लायक बात नहीं है । उनके इस तरह से उठ जाने से हम सभी लोग बहुत दुखी हैं । भगवान उनकी आत्मा को शान्ति दे और उनके परिवार को ऐसी शक्ति दे कि इस कठोर दुख को वह सहन कर सके । मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेरे और मेरे दल की संवेदना उनके संतप्त परिवार के पास कृपया भेज दी जाय ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, स्वर्गीय श्री चन्द्रपाल आजाद और श्री राजनारायण मिश्र जी के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी तथा माननीय वर्मा जी ने जो अपनी भावनायें व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं ।

व्यक्तिगत रूप से तो मैं उनके जीवन से परिचित नहीं था पर यह सब सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है और स्वाभाविक भी है कि जब कोई सामाजिक कार्यकर्ता अपने बीच से उठ जाता है तो हृदय को बड़ी वेदना होती है। मैं इन दोनों आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इन आत्माओं को वह शान्ति दे तथा इन दोनों व्यक्तियों के परिवारों को यह शक्ति और धैर्य दें कि इस महान दुख को वह सहन कर सके । मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इन दोनों व्यक्तियों के परिवारों तक हमारी भावनायें और संवेदना पहुंचा दें ।

हमारे माननीय वर्मा जी ने एक बात और कह दी कि ऐसा रहा है कि अगर इन सदन का कोई वर्तमान सदस्य हमारे बीच से उठ जाता है तो सदन का कार्य स्थगित हो जाता है ऐसी परम्परा अपनी रही है । तो इस परम्परा को निभाया जाय तो अच्छा होगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, स्वर्गीय चन्द्रपाल आजाद और श्री राजनारायण जी मिश्र के सम्बन्ध में जो भाव नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य नताओं ने व्यक्त किये हैं मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं । हृदय बड़ा दुखी है और इस दुखी हृदय से आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम लोगों के भाव उनके संतप्त परिवारों तक पंहुचाने का कष्ट करें ।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, श्री राजनारायण जी मिश्र और श्री चन्द्रपाल जी आजाद के निधन पर मुख्य मंत्री जी ने और नेता, विरोधी दल और दूसरे नेताओं ने जो भावनायें व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध कता हूं । उनके निधन से मुझे और मेरे दल को बहुत दुख है। आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी संवेदना उनके परिवारों तक पंहुचा दें ।

एक शब्द और कहना चाहता हूं कि राजनारायण जी मिश्र दूसरे व्यक्ति हैं जो इस साल हिंसा के शिकार हुये हैं । इसके पहले आपको याद होगा कि बदायूं के त्रिवेणी सहाय जी भी हिंसा के शिकार हुये थे । गांधी जी या उस युग के जो दूसरे बड़े नेता थे उनका असर जैसे समाप्त हो रहा है और हिंसा की प्रवृत्ति आमतौर से जनता में और जो असमाजिक तत्व हैं उनमें विशेष रूप से बराबर बढ़ रही है और उनके हाथ इस हद तक बढ़ गये हैं कि वे प्रदेश के गणमान्य राजनीतिक नेताओं तक पंहुच जाते हैं। लगता यह है कि ऐसे तत्वों का पुलिस से गहरी सांठ गांठ है और वह निडर हो कर जब जिसको चाहते हैं उसको उठा देते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा आपके जरिये से सरकार वह इस ओर भी ध्यान दें ।

श्री गोविन्दसिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, स्वर्गीय श्री चन्द्रपाल जी आजाद और राजनारायण जी मिश्र के बारे में जो बातें माननीय मुख्य मंत्री जी ने तथा अन्य नेताओं न व्यक्त की हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । यह बहुत चिन्ता का विषय है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की प्रदेश के अन्दर इस तरह से हत्या की जा रही है । आपको याद होगा कि एक इसी प्रकार की राजनीतिक हत्या देहरादून के अन्दर भी हो चुकी है । मैं आपके माध्यम से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन हत्याओं की गम्भीरता पूर्वक जांच करायें ताकि इनके पीछे जो असली हाथ है उसको मालूम किया जा सके। इन शब्द के साथ में आपसे निवेदन करूगा कि मेरी और मेरे दल की भावनाय भी सतप्त परिवारों तक पंहुचान की कृपा करें।

*श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)—

मान्यवर, माननीय नेता सदन तथा विरोधी दल के अन्य नता ने जो विचार एवं भावनायें दिवगत श्री राजनारायण मिश्र तथा श्री चन्द्रपाल आजाद के बारे में व्यक्त की हैं उन सभी के साथ म अपने को तथा अपन दल को सम्बद्ध करता हूं। आजाद जी मेरे पड़ोस के जिले के ही रहने वाले थे और मेरे परम मित्रों में से थे। आगरा जिले में भी उनके बहुत सारे मित्र थे। उन्होंने आगरा जनपद में बहुत काम किया है। आगरा और मथुरा के निवासी अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंन स्वतत्रता संग्राम में किस तरह से भाग लिया। वे 24 घंटे के सामाजिक कायकर्ता रहे हैं। आज उनके निधन से आगरा और मथुरा जनपद के सभी निवासी दुखी हैं। उनके चले जाने से सामाजिक और राजनतिक जीवन की बड़ी क्षति हुई मेरी तो व्यक्तिगत रूप से हानि हुई है क्योंकि वे मेरे परम मित्र थे। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से सतप्त परिवार के प्रति सवेदना व्यक्त करता हूं। आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी भावनाय उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें। ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे।

श्री अध्यक्ष—

श्री चन्द्रपाल आजाद तथा श्री राजनारायण मिश्र के निधन पर माननीय नेता सदन तथा अन्य विरोधी दलों के नेताओं न जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपन को सम्बद्ध करता हूं। श्री चन्द्रपाल आजाद तो पुरान कार्यकर्ता थे और उन्होंने देश के लिये बड़ी कुर्बानियां की हैं। वे क्रांतिकारी लोगों में शामिल हुये और फिर गांधी जी के साथ हो गये। इनके अतिरिक्त श्री राजनारायण जी नवयुवक थ। इनकी हत्या तो उस रोज हुई जब कि माननीय मुख्य मंत्री जी झांसी में राजनैतिक कैदियों को ताम्र पत्र वितरित करने गये थे। वे एक नवयुवक थ और नवयुवक वर्ग के नेता भी थे। वे भी सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके प्रति सदन न जो भावनायें व्यक्त की हैं वे ठीक हैं। उनकी हत्या सुनकर गहरा दुख सदन को होना स्वाभाविक ही है। यह बड़े दुख की बात है कि राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं की इस तरह से हत्या की जाय। इस सम्बन्ध म जैसा कि अन्य माननीय नेताओं ने भी कहा है माननीय मुख्य मंत्री जी गम्भीरता के साथ जांच करान का प्रयत्न करें जिससे कि ऐसी घटनाय पुनः न होने पायें। इन शब्दों के साथ जो भावनायें यहां सदन में व्यक्त की गयी हैं, उनके साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह इनकी आत्माओं को शान्ति प्रदान करे साथ ही उनके परिवारों को इतनी शक्ति दे कि वे इस दुख को सहन कर सकें। मैं सदन की भावनाओं को उनके संतप्त परिवार वालों के पास पहुंचा दूंगा।

अब हम दो मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सभी सदस्य अपने अपने स्थान पर 2 मिनट के लिये खड़े हुये।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरवलोकन नहीं किया।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

श्रीमन्, आपको याद होगा सौभाग्यवती जी का जब निधन हुआ था तो वर्मा जी ने आपसे निवेदन किया था ...

श्री अध्यक्ष--

आप क्या कहना चाहते हैं ? आप सदन को एडजर्न करने के विषय में कहना चाहते हैं ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

जी हां, वही मैं कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

यह एक आध केस में हुआ है, जब यहां पर किसी की मृत्य हुई है--लखनऊ में, उसके लिय ऐसा हुआ है और शवयात्रा में शामिल होन जाने के लिये सदन स्थगित कर दिया गया था लेकिन मुझे और कोई दूसरी मिसाल का पता नहीं है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

सौभाग्यवती जी की मृत्यु लखनऊ में नहीं कलकत्ता में हुई थी । तब सदन नें यह निर्णय लिया था । मैं अपने मुख्य मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि सौभाग्यवती जी का निधन यहां नहीं कलकत्ता म हुआ था, उस दिन सदन उठ गया था, इसलिये आप उसी पर विचार कर लें ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

मान्यवर, जैसा आपने कहा, आप ठीक कह रहे थे और यह कहा कि जब असेम्बली अधिवेशन चलता रहे, दुर्भाग्य से हमारे किसी साथी का सत्र चलते हुए देहासवान हो जाये तो । सौभाग्यवती जी का भी ऐसा था, सदन चल रहा था, दो दिन की छुट्टी उस समय पड़ी थी, उस समय में उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई । एसी स्थिति में आपने अनुमति दे दी थी कि सदन स्थगित कर दिया जाये । जसा हमारे सदस्य कह रहे हैं, वैसी तो परम्परा है नहीं । अब सदन चलता रहे ।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)--

मैं मुख्य मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि सेशन चल रहा था उस समय, उस दौरान गॅ उनकी मृत्य हुई । अब भी आप कहते हैं कि सेशन चल रहा है तो यह डबल स्टन्डर्ड क्यों आप कर रहे हैं । यह भेदभाव बरतना ठीक नहीं है। इसके लिये शब्दों की जगलरी करना शोभा नहीं देता है । इसके लिये तो सदन को उठना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि सदन चलता हो, उस वक्त मृत्यु की खबर आये या लखनऊ में हो जाये तो ऐसी हालत में यह चीज हो । ऐसी हालत में भी सदन स्थगित कर दिया है जब किसी महान नेता की मृत्यु हो जो देश भर का नेता हो तो उसके सम्बन्ध में ऐसी बात हुई है । मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने जो कहा है, वह ठीक है, मैं उससे सहमत हूं । ऐसी परिस्थिति में इस सदन को स्थगित करना कोई आवश्यक प्रतीत नहीं होता है । अब आगे का कार्य हो ।

श्री बलवीर सिंह---

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । आप मेरी बात को ठीक से समझ लें । सदन चलने का क्या मतलब है । क्या आप या मुख्य मंत्री जी कह सकते हैं कि सेशन नहीं चल रहा है । तो और चलना क्या है । सदन चलने के दौरान में इनकी भी मृत्यु हुई है । जैसा मैंने पहले कहा यह तो केवल वर्डस की जग्लरी हो जायेगी । कांस्टी-ट्यूशनली चलता है तो सदन चल रहा है या आपने सदन प्रोरोग किया है ?

बजट अधिवेशन प्रारम्भ होने के पूर्व श्री राज्यपाल का अभिभाषण न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं जो हमारे व्यवस्था का प्रश्न है । मैं जो पहले प्रश्नोत्तर काल में एक सवाल उठाना चाहता था वह बात यह थी कि संविधान के अनुच्छेद 176 के अन्तर्गत जो हमारी नियमावली बनायी गयी है, उसके नियम 19 में आप देखेंगे तो यह लिखा है--सभा के प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के आरम्भ में तथा प्रतिवर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में राज्यपाल विधान मंडल क एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों को अभिभाषित करेंगे तथा विधान मंडल को आह्वान के कारण बतायेंगे जो इसमें लिखा है, इस काम के लिये लिया जाता है, सरकार की जो नीतियां होती हैं वे नीतियां राज्यपाल के अभिभाषण में आती हैं । जब वे नीतियां सदन से स्वीकृत हो जाती हैं तो उन्हीं के अनुसार इस सदन में सरकार का बजट आता है । जब राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण किया ही नहीं, न इस सदन को सम्बोधित किया, न उस सदन को सम्बोधित किया, न दोनों सदनों को सम्बोधित किया, ऐसी अवस्था में सरकार का कोई नीति सम्बन्धी पत्र इस सदन के सामने नहीं आया, जो राज्यपाल के अभिभाषण के अनुरूप आना चाहिये था । यही नहीं है अखबारों में बड़े जोर से इस बात की भी चर्चा है कि 50 करोड़ रुपये का टैक्स यह सरकार लगाने जा रही है ।

श्री अध्यक्ष---

यह दूसरा प्रश्न आ गया ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

सरकार से सम्बन्धित वह बात है । वित्त सचिवालय में 14 सूत्री फार्मूला बना है जिसके अन्तर्गत 50 करोड़ का टैक्स लगाने का प्राविधान करने जा रहे हैं । ये सारी बातें राज्यपाल के अभिभाषण में आनी चाहिये थीं । लेकिन इस प्रदेश के लोगों को शंका हो रही है । चूंकि राज्यपाल एक अल्पसंख्यक समुदाय के हैं और इस सदन को उनके अभिभाषण से वंचित किया जा रहा है यह हर प्रकार से, न कानूनी तरीके से, न संवैधानिक तरीके से, न आर्थिक तरीके से किसी भी तरह से, न परम्परा के अनुसार किसी भी तरह यह बात ठीक नहीं मालूम होती है कि आज राज्यपाल का अभिभाषण इस सदन में न होता । जब प्रथम सत्र की बात होती है, तो प्रथम सत्र में जब आपने कार्यक्रम बना लिया है, 9 तारीख को बजट पेश होगा, ऐसी अवस्था में बजट होने के पूव राज्यपाल महोदय का भाषण इस सदन को सुनने का पूरा अधिकार है और यही नहीं है अगर यह सदन राज्यपाल महोदय के भाषण में कोई संशोधन कर दे तो उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये जब तक राज्यपाल महोदय का भाषण और उस भाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पारित न हो जाय तब तक इस सदन में इस सरकार को बठने का कोई औचित्य नहीं है न कानूनी परम्परा के अनुसार इसलिये श्रीमन्, आप हमारे इस संवैधानिक अधिकार की रक्षा

के लिये राज्यपाल महोदय को आमंत्रण दें और उनका भाषण इस सदन में करवायें और इस असंवैधानिक, नीतिविहीन सरकार को यहां से जल्दी से जल्दी राज्यपाल महोदय से बरखवास्त करवायें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

एक बात श्रीमन्, कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

कृपा करके आप बैठें । संवैधानिक प्रश्न आपने...

श्री नित्यानन्द स्वामी---

संवैधानिक प्रश्न इसी विषय में रख रहा हूं ।

श्री बलवीर सिंह---

मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो अभी निर्णय लिया गया...

श्री अध्यक्ष---

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

मूल प्रश्न उठाया गया है संविधान के बारे में । मैं बहस की इजाजत नहीं दे सकता ।

श्री बलवीर सिंह---

आप इस पर बहस नहीं करने देंगे ?

श्री अध्यक्ष---

मैं इस चीज को जानता हूं । उसके बारे में बहस की आवश्यकता नहीं है ।

श्री बलवीर सिंह---

हम भी कानूनी पहलू आपके सामने रखना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

उसे बतलाना मेरा काम है ।

श्री बलवीर सिंह---

आप समय हमको भी दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

जी नहीं । इसमें बहस का सवाल नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

आप सुनना भी नहीं चाहते । यह तो गलत बात है । हमने संविधान की रक्षा करने का प्रण लिया है ।

श्री अध्यक्ष---

जो चीज पहले से चली आ रही है उसकी रक्षा ही की जा रही है ।

श्री बलवीर सिंह—

संविधान के खिलाफ कोई परम्परा नहीं हो सकती अगर ऐसी कोई परम्परा है तो गलत है ।

श्री अध्यक्ष—

एक प्रश्न उठाने की इजाजत दी । पहले मैं उसका उत्तर दे दूं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अगर कोई संवैधानिक प्रश्न उठ खड़ा हुआ हो तो क्या हम उस पर अपने विचार भी प्रकट नहीं कर सकते !

श्री अध्यक्ष—

आप उस पर बहस नहीं कर सकते । मैं पहले फैसला दे दूं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप फैसला देंगे तो हम क्या बोलेंगे । पहले हमारी बात सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें । आप जबरदस्ती सुनने के लिये मजबूर नहीं कर सकते । मैं इजाजत नहीं देता ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

संविधान हमसे और आपसे दोनों से बड़ा है । पहले मुझ सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास भी संविधान है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

आपको यह मालूम होगा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर ही चन्द्रभानु गुप्त जी ने त्याग-पत्र दे दिया था ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अनुच्छेद 176 में इस प्रकार है:—विधान सभा के लिये प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरम्भ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में विधान सभा को अथवा राज्य में विधान परिषद् होने की अवस्था में साथ समवेत हुए दोनों सदनों को राज्यपाल सम्बोधन करेगा तथा आह्वान के कारण विधान मंडल को बतलायेगा । यही आपका नियम भी है 19वां । उसमें यह जिक्र किया गया है जैसा कि कल्पनाथ सिंह जी ने पढ़ा सभा के प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के आरम्भ में तथा प्रतिवर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में राज्यपाल विधान मंडल के एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों को अभिभाषित करेंगे तथा विधान मंडल को आह्वान के कारण बतायेंगे । अभी तो पहला सत्र यानी 1972 का सत्र अभी चल रहा है । सन् 1973 का यह पहला सत्र नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

1972 के सत्र में जो कार्य होने जा रहा है वह 1973–74 का बजट पेश होने जा रहा है । बजट किन नीतियों के अनुरूप होगा ?

श्री अध्यक्ष--

सन् 59 में राज्यपाल का अभिभाषण जुलाई में हुआ और सन् 60 में भी ऐसा ही हुआ तो यहां तो आप देखेंगे यह प्रथा रही है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

सन् 59 तथा 60 की जो बात आप कह रहे हैं उसकी पूरी कार्यवाही आप जरा सदस्यों को सुना दीजिये । मान्यवर, मैंने यह निवेदन किया था कि जो राज्यपाल का अभिभाषण होगा वह सरकार की नीतियों का एक दिग्दर्शन होगा । राज्यपाल कोई अलग से भाषण नहीं करते । वे सिर्फ यही कहते हैं कि हमारी सरकार की ये-ये नीतियां हैं । उनके भाषण के अनुरूप ही बजट आता है । जो बजट 9 तारीख को 5 बजे सन् 73-74 का बजट पेश होने वाला है और आपने यह सारी सूचनायें दिलवा दी हैं तो उसके सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि बजट पेश हो जाने के बाद राज्यपाल के अभिभाषण का कोई औचित्य नहीं रह जायेगा । राज्यपाल कौन-सा अभिभाषण करेंगे, कौन-सी बात सदन के सामने कहेंगे और किस नीति का दिग्दर्शन करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

हमारा फैसला यह है कि राज्यपाल का अभिभाषण बजट के पहले होना जरूरी नहीं है । पहले भी ऐसा नहीं हुआ ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, एक औचित्य का प्रश्न है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, आपने दो व्यवस्थायें एक साथ दे दीं । माननीय बलवीर सिंह जी ने कहा कि जब एक माननीय सदस्य का देहान्त हो गया तो इसी सत्र में हुआ, उस पर आपने कहा कि वही सत्र चल रहा है, दूसरे जब एक दूसरे माननीय सदस्य सौभाग्यवती जी के देहावसान पर आपने कहा कि यह सत्र वह नहीं है । तो मैं जानना चाहता हूं कि आपकी कौन-सी व्यवस्था सही है ।

श्री अध्यक्ष--

जब सदन की बैठक एक रोज होती है तो वह सत्र नहीं कहलाता है । यदि बीच में ही किसी माननीय सदस्य की मत्यु हो जाती है... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, एक औचित्य का प्रश्न है ।

(सचिव, विधान सभा के पुकारे जाने पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, एक दूसरा प्रश्न है, उसे आप सुन लें । मैंने, आपको लिखकर दिया है कि यहां पर बजट का लीकेज हो गया है और वह बड़ा भारी लीकेज हुआ है । हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा है ।

श्री अध्यक्ष--

वह नवम्बर 7 पर आ सकता है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

उस समय आप उसे लेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

साढ़े ग्यारह बजे आपका आया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपकी नियमावली में कोई प्राविधान है कि एक या डेढ़ घंटे पहले आप उसे लेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मुझे कोई व्यवस्था के प्रश्न को नहीं उठाना है किन्तु जो आपकी व्यवस्था है वह शिरोधार्य है किन्तु उसके बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूं । जिस सम्बन्ध में आपने व्यवस्था दी है उसके बारे में हमारे कुछ माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते थे । पहली बात तो यह है कि जो व्यवस्था आपने दी कि यह नये वर्ष का नया सत्र नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन कानूनी पेंच को लेकर जो कर्तव्य सरकार का था वह उसने नहीं किया । उस पर हमें बोलने का मौका नहीं मिला । यह सरकार कानून को आड़ लेकर जो गैर-मुनासिब काम कर रही है उसी को हम सारी जनता को बताना चाहते थे । इनकी नीतियों से जनता पिस रही है । जनता में भुखमरी है, बेकारी है, और महंगाई चरम सीमा को छू रही है । हम आशा करते थे कि इन कष्टों के निवारणार्थ सरकार की कोई नयी नीति हमारे सामने आयेगी । इनके पास कोई नीति नहीं है । उनका दिमाग बिल्कुल बक्राट हो गया है ।

श्री अध्यक्ष—

क्या आप बजट में नहीं कहेंगे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आपने इनकी नीतियों के बारे में विरोधी दल को इस विषय में बोलने नहीं दिया । उससे जनता भी इनकी कानूनी आड़ जान जाती ।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा पहले भी हो चुका है ।

इंडियन फारेस्ट, (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1973

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त इंडियन फारेस्ट, (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1973 जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन के पटल पर रखता हूं ।

[देखिये नत्थी "च" आगे पृष्ठ 1241 पर) ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1973 में किये गये शाब्दकि संशोधन

सचिव विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1973 में किये गय शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी "छ" आगे पृष्ठ 1244 पर) ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1973

सचिव विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1973 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 जनवरी, 1973 के उपवेशन में पारित किया था, जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 19 जनवरी, 1973 को वापस प्राप्त हुआ था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 21 जनवरी, 1973 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1973 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 13 दिसम्बर, 1972 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 11 जनवरी, 1973 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 जनवरी, 1973 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1973 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 13 दिसम्बर, 1972 की बैठक में पारित किया था, तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 18 जनवरी, 1973 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 जनवरी, 1973 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1973 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 11 जनवरी, 1973 की उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 19 जनवरी, 1973 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 जनवरी, 1973 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1973 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षाण संस्था (निवारण) विधेयक, 1972, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 14 दिसम्बर, 1972 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 जनवरी, 1973 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 जनवरी, 1973 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1973 का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन), विधेयक, 1972 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 1 दिसम्बर, 1972 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 19 जनवरी, 1973 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 जनवरी, 1973 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1973 का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1973

सचिव, विधान सभा---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1973 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 18 जनवरी, 1973 की बैठक में पारित किया था, तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 जनवरी, 1973 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति, महोदय की अनुमति दिनांक 31 जनवरी, 1973 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1973 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

अध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक मिनट दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

इस पर मैं कल फैसला दूंगा। जब आपने आज साढ़े 11 बजे भेजा है और उसे मैंने पढ़ा भी नहीं है तो इसमें व्यवस्था कल दूंगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

कल लेंगे लेकिन आप हमें सुनते क्यों नहीं। आखिर आप इतना सख्त क्यों हैं ?

श्री अध्यक्ष—

साढ़े 11 बजे तो आपने दिया और उसे मैंने अभी पढ़ा नहीं है। तो पहले आप मुझे पढ़ने तो दीजिये। कल मैं आपको इस पर बोलने के लिये मौका दूंगा।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम को स्वीकार करता है।

(प्रस्ताव के लिये देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 1245 पर)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कार्य मन्त्रण समिति द्वारा जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसको सदन स्वीकार करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

देहरादून में श्री अमरनाथ आनन्द की हत्या तथा अन्य हत्याओं के संबंध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

देहरादून में श्री अमरनाथ आनन्द तथा अन्य हत्याओं के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री केवल वक्तव्य देंगे।

गृह राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माह जनवरी, 1973 के तीसरे सप्ताह में जिला देहरादून में तीन हत्या की घटनाओं की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई जिनमें से दो हत्याओं की सूचना दिनांक 17 जनवरी, 1973 को तथा एक हत्या की सूचना दिनांक 20 जनवरी, 1973 को मिली।

सदस्य सिटी बोर्ड देहरादून व मजदूर नेता श्री अमरनाथ आनन्द की हत्या की सूचना थाना डोईवाला पर दिनांक 17 जनवरी, 1973 को प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अमरनाथ आनन्द का शव उन्हीं की कार में शहर से लगभग 12 कि0मी0 दूर देहरादून डोईवाला सड़क पर मिला। इस हत्या के सम्बन्ध में मुकदमा धारा 302 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। जांच सी0आई0डी0 द्वारा करायी जा रही है।

दूसरी हत्या की सूचना भी दिनांक 17 जनवरी, 1973 को थाना डोईवाला पर प्राप्त हुई, जिसमें एक रिटायर्ड फौजी सूबेदार, श्री रामसरन दत्त का शव ग्राम बालावाली के पास जंगल में मिला। इस हत्या के सम्बन्ध में मुकदमा धारा 302 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दर्ज करके जांच प्रारम्भ की गयी है।

तीसरा हत्या की सूचना दिनांक 20 जनवरी, 1973 को थाना कोतवाली देहरादून पर प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के अनुसार मोहल्ला खुड़बुड़ा में आस-पास के कुछ व्यक्तियों ने श्री देवी सिंह भिस्त्री की हत्या चाकू मार कर की। 7 नामजद अभियुक्तों में से 5 अभियुक्तों को उसी रात गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन्हे जेल भेजा गया। एक अभियुक्त ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है तथा एक अभियुक्त के विरुद्ध धारा 87–88 जा0 फौ0 के अन्तर्गत कार्यवाही कर दी गई है। घटना से सम्बन्धित मुकदमों की जांच अभी जारी है।

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

इन तीनों हत्याओं में से किन्हीं में भी आग्नेय अस्त्र का प्रयोग नहीं हुआ है।

कुछ संस्थाओं ने शोक सभायें कीं परन्तु यह कहना सही नहीं है कि इन घटनाओं से जिले में आतंक है अथवा राजनैतिक कार्यकर्ताओं का जीवन संकट में है। शहर के साधारण जीवन में कोई अन्तर नहीं आया है और न किसी प्रकार की असुरक्षा की भावना व्याप्त है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या मन्त्री जी को सूचना है कि श्री अमरनाथ आनन्द का शव जिस कार में मिला है वह उनकी स्वयं की कार है और उसम से एक लम्बा बाल मिला है जिसकी सम्भावना महिला के बाल की है। उसको जांच के लिये भेजा गया है क्या उसकी जांच रिपोर्ट आई या नहीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, यह जांच सी० आई० डी० को दे दी गई है जब तक उसकी जांच रिपोर्ट न आ जाये तब तक इस प्रकार की अलग सूचनाओं के बारे में न कोई जानकारी है और न जानकारी प्राप्त की गई है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मन्त्री जी इसकी जानकारी करायेंगे कि ऐसा कोई बाल मिला है और पुलिस उसके बिना ही कार्यवाही करना चाहती है ? सी० आई० डी० के काम में पुलिस दखल-न्दाजी कर रही है जिससे दोनों में मतभेद हो गया है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

सी० आई० डी० के काम में पुलिस दखलन्दाजी नहीं कर सकती है और सी० आई० डी० उसको रोक सकती है। जब मामला सी० आई० डी० को दे दिया जाता है तो पुलिस का इन्वेस्टीगेशन बन्द हो जाता है। यह हो सकता है कि पुलिस की कार्यवाही बन्द हो गई हो, क्योंकि मामला सी० आई० डी० को दे दिया गया है। वैसे मैं इसको देख लूंगा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

सी० आई० डी० की प्राइमरी रिपोर्ट आ गई है उसको मन्त्री जी बता दें।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, मैंने वक्तव्य में स्पष्ट किया कि जांच चल रही है। जब तक वह उपलब्ध न हो जाये उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है।

(इस समय 10 बजकर 6 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री बासुदेव पीठासीन हुए।)

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

यह दूसरी हत्या जो रिटायर्ड सूबेदार की हुई है उसकी जांच कौन कर रहा है, वह सी० आई० डी० क्यों नहीं कर रही है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यह जांच पुलिस कर रही है, इसको सी० आई० डी० को नहीं सौंपा गया है, इस की आवश्यकता हमें प्रतीत नहीं होती है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मन्त्री जी निश्चित रूप से सूचना दे रहे हैं कि सी० आई० डी० इस मामले की जांच कर रही है लेकिन वहां की स्थानीय पुलिस के दरोगाओं और अधिकारियों ने वहां

के सम्मानित नागरिकों को परेशान कर रखा है और उन्हें जंगलों में ले जाकर तंग कर रहे हैं, इसी तरह से एक जनसंघ के म्युनिसिपिल कमिश्नर को बिना कारण जंगल में ले जाकर तंग किया गया और तरह तरह से लोगों को पुलिस परेशान कर रही है तो क्या मन्त्री जी ऐसा आश्वासन देंगे कि जब सी० आई० डी० की जांच चल रही है तो उस में इस प्रकार की दखलन्दाजी वहां की पुलिस न करे ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

आश्वासन देने का प्रश्न नहीं है, नियम ही यह है कि जब सी०आई०डी० की इंक्वायरी चले तो पुलिस दखलन्दाजी न करे। मैं इसकी जानकारी करा लूंगा। और अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी और सी० आई० डी० निष्पक्ष रूप से जांच की प्रक्रिया पूरी करेगी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या मन्त्री जी को सूचना है कि हत्या से कुछ दिन पहले ही से पत्थर की खानों के मालिकों और मजदूरों के बीच में झगड़ा चल रहा था और पुलिस की जांच से जो रिपोर्ट शासन को मिली है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि इस हत्या के पीछे पत्थर की खानों के मालिकों का हाथ है और इसके बावजूद सी० आई० डी० उन के ऊपर हाथ नहीं लगा रही है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

ऐसी कोई सूचना नहीं है कि सी० आई० डी० इसकी जांच कर रही है, वह किस पर हाथ रखते रहे और किस पर नहीं, जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता ।

रुड़की विश्वविद्यालय की सीनेट के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

गृह राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें रुड़की विश्वविद्यालय की सीनेट में रुड़की विश्वविद्यालय ऐक्ट, 1947 की धारा 16 की उपधारा (1) के वर्ग (3) की मद (11) के अनुसार पूर्व निर्वाचित चार सदस्यों के कार्यकाल के दिनांक 12 जुलाई, 1973 को समाप्त होने के कारण रिक्त होने वाले स्थान पर विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करें, जिन का कार्यकाल उक्त दिनांक के बाद सीनेट की प्रथम बैठक के दिनांक से तीन वर्ष अथवा उन के विधान सभा के सदस्य बने रहने तक, जो भी पहले हो, होगा ।"

श्री उपाध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, रुड़की विश्वविद्यालय की सीनेट में रुड़की विश्वविद्यालय ऐक्ट, 1947 की धारा 16 की उपधारा (1) के वर्ग (3) की मद (11) के अनुसार पूर्व निर्वाचित चार सदस्यों के कार्यकाल दिनांक 12 जुलाई, 1973 को समाप्त होने के कारण रिक्त होने वाले स्थान पर विधान सभा के 4 सदस्यों का निर्वाचन करें, जिन का कार्यकाल उक्त दिनांक के बाद सीनेट की प्रथम बैठक के दिनांक से तीन वर्ष अथवा उनके विधान सभा के सदस्य बने रहने तक, जो भी पहले हो, होगा ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

एक हमारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव है ...

श्री उपाध्यक्ष--

आज जो 8 कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं उन सबको माननीय अध्यक्ष न अस्वीकार कर दिया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यह तो श्रीमन, हमारे साथ बड़ी ज्यादती है कि बिना हमें सुने आपने निर्णय सुना दिया। हम ऐसी आशा नहीं करते थे, हम आशा करते थे कि आप हमारे प्रस्ताव को पढ़कर सुनायेंग और इसलिए हम बठ गये थे, यह तो इस चीज को प्रोत्साहित करता है कि आपकी आज्ञा की अवहेलना कर के ही हम कहना शुरू कर दें। मैं इस विषय पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। इस तरह के महत्वपूर्ण कार्य-स्थगन प्रस्तावों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है और इससे जनतन्त्र खतरे में पड़ गया है। लेखन, भाषण द्वारा अपनी भावनायें प्रकट करने का हमारा सवैधानिक अधिकार है और हम इनके द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं लेकिन जब हमारी प्रधान मन्त्री जी इलाहाबाद आईं तो वहां के जन प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन किया और उस पर उनके ऊपर बिना कारण लाठी प्रहार हुआ, वे चली गयीं।

मैंने उनका भाषण भी पढ़ा। उन्होंने एक शब्द भी उन्होंने दुर्व्यवस्था का नहीं कहा। यद्यपि वे यह अवश्य कह गयीं कि जितने विरोधी पक्ष हैं, वे एन्टी नेशनल हैं। ऐसा कहने पर लाठी प्रहार किया गया। सैकड़ों जनसंघ, सोशलिस्ट और कांग्रेस (ओ0) के कार्यकर्ताओं को चोट लगी। आज यहां पर राज्यपाल का अभिभाषण नहीं कराया जाता है। जब हम प्रदर्शन द्वारा बात सुनाना चाहते हैं तो लाठी चार्ज कराया जाता है। नतीजा यह होता है कि सारे प्रदेश में यह धारणा बन गई है कि सरकार तो कुछ कर नहीं सकती और यदि विरोधी पक्ष अपने प्रदर्शन द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करना चाहते हैं तो उन्हें कहने नहीं दिया जाता है। हमारा जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव है, उसे पढ़ा भी नहीं जाता है। उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उस पर पुनर्विचार करें और उस पर चर्चा कराने का अवसर दें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद में माननीया प्रधान मन्त्री के आगमन पर जिस प्रकार से लोगों के ऊपर लाठी चलाई गयी, सिर तोड़े गये और बेरहमी से व्यवहार किया गया, जिस प्रकार से घसीट-घसीट कर लोगों के कपड़े फाड़े गये, दुर्व्यहार किया गया, जैसा दुर्व्यवहार इस राज्य सरकार की पुलिस ने वहां पर किया है, उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप वहां जाकर देख लिए होते तो शायद आपके वश में अगर होता तो न केवल इस सरकार को वरन सारी पुलिस के अधिकारियों को बर्खास्त कर दिये होते क्योंकि आप भी इस मत के हैं कि वाणी की अभिव्यक्ति तो होनी ही चाहिए। जब वाणी की अभिव्यक्ति का अधिकार है तो क्यों ऐसा किया गया? लोगों को यह पहले मालूम होगया था कि प्रदेश की सरकार यहां राज्यपाल महोदय का अभिभाषण कराकर उनकी नीतियों को नहीं आने देगी। सरकार की नीतियां नहीं आवेंगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

केन्द्रीय सरकार ने अत्याचार कर रखा है, जो उन्होंने टैक्स लगाया है वह सारे देश के लोगों को मालूम है और माननीय इंदिरा जी इलाहाबाद में पधारी ह, तो जो लोग अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से कहने जाते हैं, कोई मिमोरेन्डम पेश करना चाहते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। यहां तक कि जन प्रतिनिधियों के साथ, इलाहाबाद की नगर महापालिका के मेयर भी मौजूद थे, भूतपूर्व विधायक भी कई मौजूद थे, वे सब के सब पीटे गये, प्रेमपूर्वक पीटे गये, और ऐसे पीटे गये कि शायद उनको याद रहे और यह सरकार धींगा मस्ती करती रहे और साधारण नागरिक कोई बोलने की हिम्मत न करे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप कृपा करके, जिसे आपने अस्वीकार कर दिया है, स्वीकार करके बहस करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष

मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। अध्यक्ष जी ने इसे अस्वीकार किया है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

अध्यक्ष महोदय ने इसे अस्वीकार किया, मैं यह मान लेता हूं। अगर ऐसा है तो अब आप आदेश दे दें कि इस कामरोको प्रस्ताव पर नियम 52 के अन्तर्गत ढाई घटे की चर्चा करा दें अन्यथा आप देखें कि सदन के बाहर जो जन मानस उद्वेलित हो चुका है, जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है, लोग अपने आक्रोश को जाहिर कैसे करें। जब ये यहां पर पर्चे बाजी करते हैं तो इधर बैठने वाले लोग और उधर बैठने वाले लोग कहते हैं कि शोभनीय नहीं है तो उनको अवसर कहां है कि ये अपवी बात प्रधान मन्त्री और अपने मुख्य मन्त्री से कह सकें? इसलिए म यह नहीं कह रहा हूं श्रीमन, कि प्रधान मन्त्री के आगमन पर कोई भाषण हो, उनकी नीति पर कोई भाषण हो सके, मैं तो केवल यही बात कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की निरंकुश पुलिस और नौकरशाही और प्रदेश की सरकार की दुनीतियों के कारण बदले की भावना के कारण इन सारे लोगों की पिटाई हुई है। इस पर निश्चितपूर्वक ढ़ाई घंटे की बहस होनी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)--

क्या प्रदर्शन का यही तरीका था कि दफ्तर लूट लिये जायं?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य, ये सरकार के सदस्य नहीं हैं। इनको अधिकारिक बयान देने का औचित्य नहीं है ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

मुझे बड़ा दुख है कि माननीय सदस्यों ने बीच में इस तरह उठकर अपनी बात कहने का प्रयास किया। मान्यवर, इस संविधान के अन्दर यह विधान सभा बनी है। इस संविधान के अन्दर देश और प्रदेश का प्रशासन चल रहा है। जब इस तरह से कुठाराघात होता है, तो वह शर्मनाक बात है । भाषण देकर, लिखकर और प्रदर्शन द्वारा अपने भाव प्रकट करने का अधिकार विधान सम्मत है। माननीय प्रधान मन्त्री जी आई 16 फरवरी को। कोई सरकार की ओर से समाचार-पत्रों में वक्तव्य नहीं। जो प्रदर्शनकारी थे, कोई हिंसात्मक ढंग से कोई बात करना चाहते थे, कोई ऐसी बात नहीं। बेरोजगारी, महंगाई और भुखमरी के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना चाहते थे। प्रधान मन्त्री इलाहाबाद में आईं तो क्या हिन्दुस्तान के संविधान में, प्रधान मन्त्री के राज्य

[श्री रामश्रारी शास्त्री]

में या पं० कमलापति त्रिपाठी के राज्य में जनता को यह अधिकार नहीं कि वह महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी के खिलाफ प्रदर्शन कर सके ? शांतिपूर्ण ढंग से । मान्यवर, प्रधान मन्त्री की गाड़ी जब आगे चली गई तो कतिपय लोगों के इशारों पर मंगला प्रसाद जी, भूतपूर्व मन्त्री, वहां मौजूद थे, सोशलिस्ट पार्टी के नेता मौजूद थे उनके ऊपर लाठियां बरसाई गयीं और उनको खींच-खींच कर मारा गया। इधर प्रधान मन्त्री समाजवाद का स्वांग भर रही थीं, और ऊपर कमलापति त्रिपाठी जी की पुलिस बहुत ही बेशर्मी से पिटाई कर रही थी। मैं समझता हूं कि यह केवल इस प्रदेश के लिये ही नहीं, सारे देश के लिए एक बहुत ही शर्मनाक काण्ड है। मान्यवर, सदन जन प्रतिनिधियों का आयना है। अगर इस सदन में हम अपनी भावना व्यक्त नहीं कर सकते, तो हमें यहां बैठने का कोई औचित्य नहीं है। इतना बड़ा शर्मनाक काण्ड हुआ है। कार्य-स्थगन अगर मंजूर हो जायगा तो यह सरकार उलट जायेगी । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि दफा 52 में निश्चित रूप से बहस की आज्ञा दें ।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मुझे लाठी लगी थी। मैं बताना चाहता हूं कि जिला मजिस्ट्रेट ने एक सर्वदलीय सभा बुलाई। उसमें संसोपा, बी०के०डी० और जनसंघ आदि के नेताओं को अनुमति दी कि मेडिकल कालेज के सामने कम्पाउन्ड के अन्दर प्रदर्शन करने का हक है और हम लोग मांग पत्र दें। सभी दलों के नेता वहां मौजूद थे। मान्यवर, लिखित आज्ञा के अनुसार हमने प्रदर्शन निश्चित स्थान पर किया.....

श्री उपाध्यक्ष—

किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की आज्ञा आवश्यक नहीं थी।

श्री रामगोपाल सण्ड—

मान्यवर, अगर आप जांच करेंगे तो आपको लिखित आज्ञा मिलेगी। बाबू मंगला प्रसाद, जनसंघ के लोग, हम, भारतीय क्रांति दल के लोग, श्री रूपनाथ सिंह, नगर प्रमुख सभी उपस्थित थे और श्रीमती इन्दिरा गांधी जब चली गयीं, तो उनके चले जाने के बाद पुलिस के अधिकारियों ने बड़ी बेरहमी से पीटा। मान्यवर, 10 हजार लोग वहां थे उस प्रदर्शन में। हमारी तीन मांगें थी, इलाहाबाद को बिजली दी जाय, पानी जो 24 घंटे मिलता था अब 4 घंटे मिलता है, पानी दिया जाय, बेरोजगारी और महंगाई को रोका जाय । मान्यवर, हमने कोई नारे नहीं लगाये थे। यह अभूतपूर्व प्रदर्शन था। मान्यवर, लगभग 144 लोग घायल हुए और डाक्टरों ने जांच की। मान्यवर, माधो बाबू ने सदन में यह बात उठाई है तो आप उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। मैं यह मांग करता हूं कि इस पर आप ढाई घंटे की चर्चा करायें और जिला अधिकारी को और पुलिस कप्तान को यहां पर बुलाया जाय और उनसे यह सिद्ध करने को कहा जाय कि प्रदर्शनकारियों ने क्या नारे लगाये थे, क्या उन्होंने कोई हिंसात्मक कार्य किया था ? मान्यवर, ऐसा अभूतपूर्व प्रदर्शन पंडित नेहरू के समय भी नहीं हुआ था। उस प्रदर्शन में अध्यापक, कर्मचारी, सारे दूकानदार, मिल मालिक, गरीब लोग थे जो बेरोजगारी समाप्त करने, बिजली देने, काम देने, गेहूं के दाम सस्ते करने की मांग कर रहे थे, और उनको बेरहमी से पीटा गया और आप चर्चा उठाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। क्या हमें बिजली की समस्या, पानी की समस्या, आदि बातें उठाने का भी हक नहीं है ? इसलिए मान्यवर, ढाई घंटे की चर्चा आप अवश्य कराने की अनुमति दें ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी नीतियों के खिलाफ जिससे परेशानी हो और लोगों में त्राहि-त्राहि मची हो, प्रदर्शन और वह भी शांतिमय प्रदर्शन करने का अधिकार हर एक

व्यक्ति को होना चाहिए। ऐसे प्रदर्शन के लिए किसी मजिस्ट्रेट की अनुमति की जरूरत नहीं है। यह तो वैधानिक अधिकार है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ जिससे बहुत परेशानी पैदा हो गई हो, प्र..न करें। जब इलाहाबाद में इस तरह से विभिन्न राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता, वहां के नेता, माननीया प्रधान मन्त्री के आने पर प्रदर्शन करना चाहते हों तो अवैधानिक नहीं था। अगर ऐसे प्रदर्शन को रोक दिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि अधिनायकवाद चल रहा है । अगर इस तरह की बात हो और यहां भी आवाज उठाने का मौका नहीं मिले तो कौन सा ऐसा रास्ता है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर इस तानाशाही के विरुद्ध आवाज उठाकर हम उसका विरोध कर सकें। यह तो अधिकार हमें होना चाहिये।

अगर इस तरह के कार्य स्थगन का प्रस्ताव आने पर कोई, बहुत नाराजगी लोगों को हो, तो दूसरा रास्ता यह है कि आप उस पर चर्चा करवा दें ढाई घंटे की । यदि ऐसी कार्यवाही का विरोध नहीं हुआ तो इसका अर्थ कुछ और हो जाता है। और सदन उसको महसूस नहीं कर रहा है। उनके प्रशासन के अधिकारियों ने इस तरह की कार्यवाही की तो सरकार को उसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। उनको नाराजगी का इजहार करना चाहिए। अगर उनकी समझ म आय कि गलत कार्यवाही हुई है तो उन्हें इस पर विचार करके कार्यवाही करनी चाहिए। आज तो उनका नारा है कि समाजवाद लाना है। तानाशाही की बात तो कही नहीं जाती है। हम तो समाजवाद लाने की बात करते हैं। समाजवाद में अपनी बात स्वतंत्रतापूर्वक कहने का अधिकार न हो तो यह उचित नहीं है। हां, तानाशाही में इस प्रकार का अधिकार नहीं हो सकता है। लेकिन जब प्रजा-तन्त्र है और समाजवाद की बात कहते ह तो इस तरह का अधिकार होना ही चाहिए। अगर उधर के लोग कार्य-स्थगन के लिये तैयार न हों तो ढाई घंटे की चर्चा हो जाय।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, तथ्यों में जाने की जरूरत नहीं है लेकिन एक बात जरूर दोहराना चाहता हूं। संड जी और रूपनाथ जी सदन के सम्मानित सदस्य हैं। उनका कहना है कि जिन लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी वे वह लोग थे जिनको पानी, बिजली, खाना, काम नहीं मिल रहा है। यह सब लोग अपनी मुसीबत प्रधान मन्त्री के सामने ज्ञापन देकर रखना चाहते थे । मजमुआ दस हजार का जरूर था लेकिन वह पूर्णतः शान्तमय था और यहां तक शान्तमय था कि लोग बतलाते ह कि प्रधान मन्त्री या उनके साथ जो गाड़ियां थीं उनके लिये आने जाने का रास्ता छोड़ दिया था। माननीय संड जी ने कहा और दूसरे लोग भी कहने के लिय तयार ह कि प्रधान मन्त्री की गाड़ी गुजर गई लेकिन मजमुआ इतना बड़ा था वह अपनी सभा नहीं कर पायीं और बगैर सभा किये उन्हें जाना पड़ा। जब वे निकल गयीं तो प्रधान मन्त्री को खुश करने के लिये लाठी चाज कराया गया। मुख्य मन्त्री भी वहां थे, बहुगणा जी भी थे और दूसरे लोग भी मौजूद रहे होंगे। जब प्रधान मन्त्री की सवारी निकल गयी तो बदले की भावना से विपक्ष के लोगों को पीटा गया। उनसे मांग की गयी कि न्यायिक जांच कराई जाय। लेकिन उसको सरकार ने नहीं माना।

इस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए कि सरकार ने उचित मांग को नहीं माना कि न्यायिक जांच कराई जाय। इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है कि न्यायिक जांच करायी जाय जिससे दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाय। लेकिन उसको भी नहीं माना । सम्मान की बात तो जान दें । उस प्रदर्शन म वयोवृद्ध लोग थे । मंगला प्रसाद जसे लोग थ जो शासन म कई बार मन्त्री रह चुके थे । रूपनाथ जी थे । बाबा राम-धार थे जो राजेंद्र कुमारी के खिलाफ चुनाव में खड़े हुये थे । वार इन सबके ऊपर हुआ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

और किसी का दांत टूटा तो किसी का हाथ टूटा । लाठी चार्ज हुआ । इस एडजर्नमेंट मोशन को स्वीकार किया जाना चाहिये था लेकिन उसको नहीं माना गया। हमारे साथ, विपक्ष के साथ और जनता के साथ यह अन्याय किया गया है। चूंकि न्याय नहीं किया गया है इसलिए हम मजबूर हैं कि हम अपने शोक को प्रकट करने के लिये इस सदन से, मैं दूसरों से भी दरख्वास्त करूंगा, दस मिनट के लिये बहिष्कार करें।

(श्री अनन्तराम जायसवाल अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग कर चले गये)

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, कोई औचित्य नहीं था कि इस पर चर्चा न होती। इससे सरकार का भी स्पष्टीकरण आ जाता। मैंने अपने कार्य स्थगन प्रस्ताव द्वारा दूसरे मामले की ओर ध्यान आकर्षित किया था।

आप देख लें सारे उत्तर प्रदेश में कितना गम्भीर संकट है। कल कारखाने बन्द हैं, खेतों को पानी नहीं मिल रहा है और सरकारी दफ्तरों में काम धन्धा नहीं चल रहा है। सारे उत्तर प्रदेश का जीवन त्रस्त है। आज तो सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य आना चाहिये था। आखिर बिजली का सकट क्यों हो रहा है और महंगाई क्यों बढ़ती चली जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपके नाम से कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

है मेरे नाम का।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

पहले हमारा हो जाय। आप तो वाक आउट में भी साथ नहीं देते हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मेरा प्रस्ताव है, मिसप्लेस हो गया होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने समय के बाद दिया होगा। आपने किस विषय पर दिया था?

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

बिजली के संकट के बारे में।

श्री बंशीधर पांडेय--

यह बिजली का संकट नहीं है।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी के खड़े होने पर)

वे बाद में बोल लेंगे, पहले हमारी तो सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

जहां तक बिजली के संकट की बात है जब आय-व्ययक का अनुदान आये तब चर्चा कर लें।

श्री बंशीधर पांडेय---

अभी मुझे भी कहना है । विरोधी पक्ष के लोगों ने इस बात को रखा । इनडायरेक्ट तरीके से एक गम्भीर चेतावनी डिमोक्रसी को है। प्राइम मिनिस्टर सिम्बल होता है नेशन का। उनके सामने जो बात हुई उस पर आप भी विस्तृत रूप से विचार करियेगा।

इस देश में एक नई घटना शुरू हो रही है। उन्होंने तो एक एक घटना की बात कही । बिजली, पानी, खाद, रोटी, नौकरी कुछ नहीं मिल रहा है । ये सारी चीजें आसमान से छूती चली जायेंगी । अभी कल परसों मैंने सरकार का एक पैम्फलेट देखा या किसी पत्रिका में पढ़ा कि रुपए का मूल्य 39.2 हो गया है। यह सरकार की ओर से जस्टिफाई किया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष---

39.9 या 39.2 ।

श्री बंशीधर पांडेय---

39.9 होगा। आप बड़े हैं, आपकी बात मान लूंगा।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)---

जब मोरारजी देसाई थे तब क्या हो गया था ?

श्री बंशीधर पांडेय---

उधर बैठने वाले 200 वर्ष तक उनसे इकोनामी सीखेंगे । वे तो उनके बाप के जमाने में फाइनेंस मिनिस्टर थे, इनके जमाने में नहीं। उन्नाव के लोग स्वामी भक्त सेवक होंग इस सरकार के, मगर मैं आपको एक बात बताये देता हूं। राधाकृष्ण गोस्वामी पुलिस मिनिस्टर हैं। अगर इनके कार्यकाल में कोई गड़बड़ी होगी तो बांदा, इलाहाबाद, वाराणसी की जनता इनके सामने प्रदर्शन करेगी कि उन्होंने विरोधी दल के लोगों पर लाठी चार्ज क्यों करवा दिया। मैं चेतावनी देना चाहता हूं और माननीय मन्त्री जी आप भी सुन लीजिये कि मेरा भी जिला इलाहाबाद के पास है। मेरे दोस्त और रिश्तेदार इलाहाबाद में रहते हैं और भाग्यवश मैं इलाहाबाद म पढ़ा भी हूं। राजित राम पांडेय जी यहां बैठे हैं कि नहीं मगर मुझे हण्डिया तहसील के लोगों ने कहा कि विरोधी दलों के लोगों को, कांग्रेस संगठन, बी0के0डी0, सोशलिस्ट पार्टी को ही मारा गया ।

मेरी कांस्टीचुएन्सी चार फर्लांग पर लगी हुई है। मेरे घर से 4 फर्लांग पर मेरी कांस्टीचुएन्सी है। वहां से लोग आये थे और बात हो रही थी कि सत्तारूढ़ दल के लोग भी इस मारपीट में आ गये हैं। पुलिस क्या समझे, यदि वहां पर राधाकृष्ण गोस्वामी मंत्री जी भी आ जावें तो पी0ए0सी0 वाला कैसे पहचानेगा। यदि बंशीधर पांडेय पर डंडा चलेगा तो गोस्वामी पर भी चल सकता है। यह बात सत्तारूढ़ कांग्रेस वाले नहीं कहेंगे लेकिन हंडिया तहसील में पचासों लोग कहते हैं कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के लोग भी पीटे गये। विरोधी दल वाले इलाहाबाद में गये और प्रधान मंत्री के सामने प्रदर्शन किया। अब राम प्यारे जैसे लोग जो नये नय मुसलमान हुये हैं वह गये और चरन सिंह जी की सभा में गड़बड़ की। मैं पूछता हूं कि यदि कोई गड़बड़ी चल रही है तो उसके लिये चरन सिंह जी या गुप्ता जी की कैसे जिम्मेदारी है। जनतंत्र में किसी गड़बड़ी के लिये सरकार जिम्मेदार होती है और जनता जब परेशान होती है तो प्रदर्शन करती ह। मैं विषयान्तर नहीं होना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो भाषण है ।

श्री बंशीधर पांडे---

इसलिये मैं चाहता हूं कि इस सरकार की तानाशाही को देखते हुये हम विरोधी पक्ष के लोग बोलने नहीं पायेंगे तो जनतंत्र कहां रह जायेगा। इस सम्बन्ध में श्री राजगोपालाचारी ने कहा था कि जिस देश में जनता गूंगी हो और सरकार बहरी हो तो जनतंत्र कायम नहीं रह सकता है। तो हमारी आवाज गूंगी बनी हुई है और सरकार बहरी हो गई है, तो जनतंत्र कैसे कायम रह सकता है। अब मैं इस कारण कहना चाहता हूं कि आप ढाई घंटे का विवाद करा दें, क्योंकि जब प्रधानमंत्री के नगर में प्रदर्शन किया गया तो सैम्पुल सरवें हो गया कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिये भी जनता की मुहर नहीं रह गई है।

श्री उपाध्यक्ष---

अब एक घंटा तो हो गया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

आपने निर्णय लिया या नहीं कि हमें आप बोलने का अवसर देंगे ? विरोधी पक्ष सरकार के लिये कितना आवश्यक है यह आप जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप तो बोल चुके हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

आपने निर्णय लिया या नहीं। अगर आपने निर्णय ले लिया होता तो यह बात नहीं होती।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य ने इस पर कहा है कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछ लें। आय-व्ययक पर जब बहस होगी तो इस पर भी चर्चा हो सकती है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

हम अल्पसूचित तारांकित प्रश्न नहीं करना चाहते हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हम चाहते हैं कि इस पर हर एक को बोलने का अवसर दिया जाय। हम लोग इस कारण 5 मिनट के लिये सदन त्याग करते हैं।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (संपत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, 1972†

श्री उपाध्यक्ष---

अब स्वायत्त शासन मंत्री जी संख्या 12 लें।

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)---

मैं आपकी आज्ञा से (संपत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, 1972 जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

इस वक्त जिस तरह से प्रदेश में तानाशाही चलायी जा रही है...

---

† 21 दिसम्बर, 1972 की कार्यवाही में छपा है।

श्री उपाध्यक्ष---

एक ही विषय पर एक माननीय सदस्य कितनी बार बोलेंगे ?

श्री कल्पनाथ सिंह---

जब तक हमारा प्रस्ताव मंजूर नहीं हो जायगा तब तक बोलेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बात कर लीजिये उनसे ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

किस से बात कर लें ? आप बुलाइये उनको ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---

कार्य-स्थगन के प्रस्ताव और भी थे, उनके बारे में सुन लीजिये। एक हमारे दल की तरफ से भी था ।

श्री उपाध्यक्ष---

सब अस्वीकार किये गय ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

कह दीजिये पं0 कमलापति की सरकार से कि हरगिज हरगिज-लाठी-गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी । कान खोल कर सुन लीजिये कि जो लाठी-गोली की सरकार इस प्रदेश में चलायी जा रही है वह नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ! जो सरकार रोजी-रोटी. . . नहीं चलेगी नहीं चलेगी. .

(व्यवधान)

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

जो अधिक अनुशासित हैं उनको आप मौका ही नहीं देते, जो. . .

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

जो कायदे कानून को नहीं मानते उनको मौका देते हैं, हम लोगों को नहीं देते ।

श्री जयराम वर्मा---

मैं इसके विरोध में वाक-आउट करता हूं ।

(श्री जयराम वर्मा अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

हमारे दल के जो सचेतक हैं, श्री मोहनलाल कपूर, उनको ब्लैक दिसम्बर ने धमकी दे दी है. . . . एक मिनट के लिए सुन लीजिये। सारे प्रदेश के अन्दर ब्लैक दिसम्बर वाले लोग. . . यह हमारे एक सदस्य का मामला है, इसको गम्भीरता से देखें ।

श्री उपाध्यक्ष---

हम आइटम नम्बर 12 पर चले गये ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (संपत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, 1972 जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

पहले जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव लिया था उसके बारे में...

खण्ड 2, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (संपत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, 1972

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, 1962 की अवधि को और बढ़ाने के लिये विधेयक

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1962

संक्षिप्त नाम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1962 की धारा 1 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, 1962 की धारा 1 की उपधारा (3) में शब्द "दस वर्ष" के स्थान पर शब्द "बारह वर्ष" रख दिये जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री यादवेन्द्र सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (संपत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, 1972 जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (संपत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकर) (जारी रखने का) विधेयक, 1972 जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1973†

कारागार मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट डीजल तथा आयल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1973 पर विचार किया जाय।

---

† 10 जनवरी, 1973 की कार्यवाही में छपा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

आज मैंने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया था। हमारे मोहन लाल कपूर जी को ब्लैक दिसम्बर संस्था ने—आप सुनते क्यों नहीं हैं, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है—यह धमकी दी है...

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय नित्यानन्द स्वामी।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, पहले वाले पर तो बहस ही नहीं करने दिया आपने।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

विधेयक तो पास हो ही जायेंगे लेकिन आप औरों को बोलने की भी इजाजत नहीं देते।

श्री उपाध्यक्ष—

नित्यानन्द स्वामी जी को बोलने के लिये आप मौका नहीं दे रहे हैं।

*श्री नित्यानन्द स्वामी—

जिस विषय को मैंने उठाया था वह नियम 51 के समय उठाऊंगा। इस समय मैं अपना प्रस्ताव रख रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1973 को जनमत संग्रह हेतु 3 माह तक परिचालित किया जाय। श्रीमन्, हमारी इस सरकार से और कम से कम माननीय स्वामी प्रसाद सिंह जी से तो यह उम्मीद नहीं थी कि वह एक ऐसा विधेयक ले आयेंगे। तानाशाही करने के लिये तो और लोग हैं। इस विधेयक के अनुसार तो जो जरा सी कसूरवार होगा उसको सजा दे दी जायेगी। आप सजा दीजिये, इसमें एतराज नहीं है। लेकिन किस को सजा देनी है, कितनी देनी है और कब देनी है, इसके बारे में भी तो कोई माप दंड आपका होना चाहिये। लोग करों की चोरी करते हैं। करों की चोरी कोई अच्छी बात नहीं है। करों की चोरी करने वाले को आप अधिक से अधिक दंड दें, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। लेकिन जब बाबू जगजीवन राम जी दस साल तक इंकम टैक्स न दें और दबा कर बैठ जायें तो हमारी सरकार यह कह दे कि उनसे भूल हो गयी और श्रीमती इंदिरा गांधी भी उनको डिफेंड करने लग जायें और एक छोटा सा व्यापारी जिसका एक पैट्रोल पंप है, मामूली सा जिसके पास डीजल आयल है, अगर उससे थोड़ी बहुत देर देने में हो गयी तो आप उसको 6 महीने की सजा देना चाहते हैं।

आप माप दंड बराबर रखिये। अपने लोगों को तो आप प्रश्रय दें। मैंने बाबू जगजीवन राम की बात कही। हो सकता है कि बुरी लगे। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आज कितने ऐसे लोग हैं हमारे प्रदेश के अन्दर जो हजारों, लाखों रुपये सरकार के दबाये बैठे हैं। सेल्स टैक्स की जो बड़े बड़े चोरी करने वाले लोग हैं, जिनके अभी सदन के अन्दर कुछ दिन पहले आंकड़े दिये गये थे तो बताया गया था कि करीब 40 करोड़ रुपये सेल्स टैक्स के अभी तक बकाया है। उनके लिये कोई दंड का प्राविधान नहीं है। इस विधेयक में जो है यह कितना छोटा व्यापारी है। मैं इसको भी डिफेंड नहीं करना चाहता। आप इसको भी दंडित कीजिये, लेकिन आप अपने कर्त्तव्य की ओर भी ध्यान दीजिये कि आपका कर्त्तव्य क्या है। आज हमारे प्रदेश के अन्दर कौन सी ऐसी चीज है जो जनता को एकदम उपलब्ध है। श्रीमन्, यह जो मिनी असेम्बली माननीय राजमंगल पांडेय जी की है इसको बन्द करा दीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

श्रीमन्, इन्होंने हमारे साथ वाक आउट किया है ।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर कोई कहे कि मैं वाक आउट करता हूं और फिर भी बैठा रहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री रामगोपाल संड---

वह इतने क्षुब्ध हैं कि इधर आ गये हैं, प्रधान मंत्री जी की मीटिंग में जो लाठीचार्ज हुआ है उसके वजह से वह परेशान हैं । अब वह हम लोगों की तरफ आ गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह था और यह होने वाला है यह तो मालूम था, लेकिन इस तरह नहीं . . (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी---

ठीक है, आप उस पर और किसी समय किसी अन्य तरह से बहस करा दीजियेगा ।

मैं मंत्री जी के बारे में जानता हूं, उनका हमेशा जनहित का प्रयोजन रहा है चाहे जो भी विभाग उनके पास हो । इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि इसको एक बार जनता की राय के लिये छोड़ दिया जाये, अभी कोई आसमान नहीं गिर रहा है । या तो आप सब को समान स्तर पर ले आएं चाहे जितने ही चोर हैं सभी को फांसी दे दीजिये, चाहे वह डीजेल आयल के कर की चोरी का हो या कपड़े या आटे का अन्य किसी चीज की बिक्री में कर की चोरी करता हो या इसकी आवश्यकता नहीं है । आपका कानून एक के लिये एक बन जाये और दूसरे चोरों के लिये दूसरा बन जाए, यह उचित नहीं लगता है ।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि अब जब आप यह व्यवस्था लागू करते हैं तो आपको इसे भी ध्यान में रखना है कि सरकार का क्या कर्त्तव्य है । आप इस पर भी ध्यान दीजिये कि जो डीजेल आयल है या मोटर स्प्रिट है आज उसकी क्या स्थिति है । आज लोगों को कई कई बार कई-कई दिन तक इसके लिये परेशान रहना पड़ता है, यह मिलता नहीं है, साथ ही इसकी कीमतें भी बराबर बढ़ती जा रही हैं । आप जितना इसके बिक्री-कर के बारे में ध्यान रखना चाहते हैं उतना ही इसकी कीमतों की तरफ ध्यान दें, कीमतों को नीचे लाने, समान स्तर पर लाने का प्रयास करें । यदि आप ऐसा करेंगे और वह होगा तभी इसका औचित्य सिद्ध हो पायेगा । ऐसी दशा में मंत्री जी विधेयक लाते कि हम किस तरह से कीमतों पर नियंत्रण रख सकते हैं, कोई ऐसा कानून इस समय लाते कि इसकी कीमतों पर हम किस प्रकार काबू करें तो शायद इसका सदन में स्वागत होता । लेकिन आप तो एक तरफा कार्यवाही कर रहे हैं । फिर भी क्या उससे चोरी रुक सकेगी ?

इस व्यवस्था के अन्दर लोग चोरी तो फिर भी करेंगे । जिस आदमी से आप सेल्स-टैक्स ले नहीं सकते हैं, तो उसे सजा कैसे दे सकते हैं ? जब आप उसको पकड़ा ही नहीं सकते हैं तो आप उसे जेल कैसे भेजेंगे ? जब आप किसी को पकड़ेंगे तभी तो आप उसे जेल भेजेंगे । आज तो चोरी करने के सैकड़ों हजारों रास्ते हैं, आप उनको रोकिये पहले । आपके अधिकारी, सेल्स टैक्स अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं कि उनकी कोई सीमा नहीं है । 50-50 रुपये लोगों से मांगते हैं, यह उन्हें दे दो और चाहे जितना सेल्स टैक्स लगवा लो। जब आप इस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो उस व्यवस्था का क्या फायदा होगा । दो-एक आदमियों को सजा दिला दी तो उससे प्रदेश का फायदा होने वाला नहीं है । इसलिये मेरा सुझाव है कि इसे तीन मास के लिये जनता में परिचालित किया जाए ताकि आम जनता इस विषय में अपनी राय दे सके, प्रभावित होने वाले और जन प्रतिनिधि अपनी राय दे सकें ।

इन शब्दों के साथ में मंत्री जी से आग्रह करूंगा कभी-कभी दो-चार साल में एक बार तो सही बात को मान लिया जाये । या उन्होंने इस बात का ठेका ले लिया है कि कोई सही बात नहीं मानेंगे । आप तो कम से कम इस प्रथा को तोड़िये । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री रामगोपाल संड---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1973 को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन 3 माह के भीतर दे और जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो । मैंने विधेयक की परिधि बढ़ाने के अधिकार के लिये इसलिये लिखा है कि आपने देखा होगा इस सदन में एक प्रश्न उठाया गया---लोग मोटर स्प्रिट से टिंचर-जिंजर बनाते हैं और उसके पीने से सैकड़ों आदमियों की अकाल मृत्यु हो गई और हजारों बीमार हो गये । यह घटनायें सिर्फ अपने प्रदेश भर में नहीं बल्कि पूरे देश भर में हो रही हैं ।

मैं केवल अपने प्रदेश के लिये चाहता हूं कि इस विधेयक की परिधि बढ़ायी जाय और वह इस बात पर विचार करे स्प्रिट से बनने वाला टिंक्चर--जिंजर जहां पर शराब बन्दी है या चोरी से मिल जाती है वहां पर मजदूर या गरीब आदमी उसको पीता और मृत्यु को प्राप्त कर लेता है । माननीय मंत्री जी ने इस सदन में वादा भी किया था कि यहां पर एक विधेयक लाया जायगा कि स्प्रिट से टिंचर-जिंजर नहीं बनेगा और लोग उसके शिकार नहीं हो सकेंगे । इसमें सरकार चाहती है कि जो लोग इसको बेचते है उस पर सरकार को ठीक प्रकार से बिक्री कर मिलना चाहिये । इसी सदन में 16 जनवरी को बताया गया था कि सारे प्रदेश में बिक्री-कर की बकाया 46 करोड़ 8 लाख रुपये है । आज और अधिक बाकी होगा । यह सरकार बड़े बड़े लोगों से ले नहीं पाती है । जुलाई--अगस्त में इलाहाबाद के संबंध में सवाल उठाया गया था, जिसमें बताया गया था कि इलाहाबाद के चन्द व्यापारियों पर लगभग एक करोड़ रुपया बाकी है । छोटे व्यापारियों को पकड़ने के लिये जल्दबाजी में सरकार यह विधेयक ले आयी है । मैं इसका तब स्वागत करता जब स्प्रिट से बनने वाली टिंचर--जिंजर पर पाबन्दी लगायी जाती और जो इसको बेंचता है उसको दंड दिया जाता । यह विधेयक अपूर्ण है । इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है । मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे आश्वासन दें कि स्प्रिट से बनने वाले टिंचर--जिंजर पर पाबन्दी लगायी जायगी । इसीलिये "परिधि" शब्द का मैंने प्रयोग किया है । इसलिये इस संशोधन को मैं सदन में रख रहा हूं ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

मान्यवर, माननीय संड जी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं । मान्यवर, यह सही है कि जैसा कि विधेयक के उद्देश्य में कहा गया है कि इसके दो कारण हैं । एक तो अधिकारी प्रभावकारी ढंग से चोरी को रोक नहीं पाते । दूसरे सेल्स टैक्स की चोरी हो रही है । इन दोनों से बचने के लिए माननीय मंत्री ने विधेयक को प्रस्तुत किया । निषधात्मक तरीके से कोई चीज चल नहीं सकती । देखना यह चाहिये कि ऐसा होता क्यों है । इसका कारण यह है कि इस प्रदेश की सरकार या केन्द्रीय सरकार की दाम नीति नहीं है कि किसी चीज का दाम कैसे तय करें । यह उनकी कोई स्पष्ट नीति नहीं है कि कितने में पैदा होती है और कितना अधिक से अधिक महंगी हो सकेगी, इस पर इनका कोई नजरिया नहीं है जिसकी वजह से बराबर इस तरह की गड़बड़ियां हुआ करती हैं । ऐसी चीजों पर जिस पर सरकार का नियंत्रण है, जिसका उत्पादन सीमित है उस पर बजाय उत्पादन के वितरण ठीक से हो सके, लोग चोर दरवाजे से न जायं, उसके वितरण को रेगुलेट करके सेल्स टैक्स की चोरी न हो, इसकी व्यवस्था करने के लिये इस ऐक्ट में दो तीन व्यवस्थायें कर दीं । एक

[श्री रामधारी शास्त्री—]

यह कर दिया कि इनका एक्साइज इंस्पेक्टर थाने के इंचार्ज के बराबर किसी अफसर को अधिकार दे देंगे । जहां शक हो जाय .....

श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)—

कोरम नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

यह गवर्नमेंट मस्ती में सोई हुई है।

(गणपूर्ति के लिये घंटी बजायी गयी।)

कोरम दो बजे के बाद भी नहीं हो पाया है । घर पर मजे से सो रहे हैं । इनके आदमी क्यों नहीं इकट्ठा होते । जब तक कोरम नहीं है तब तक हाउस नहीं चल सकता।

श्री उपाध्यक्ष—

बिलकुल सही आप कह रहे हैं । जब कोरम नहीं है तो कैसे चलेगा?

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री रामधारी शास्त्री—

मैं निवेदन कर रहा था कि इस ऐक्ट में कुछ नयी दफायें जोड़ी जा रही हैं । एक्साइज इन्सपेक्टर को बहुत अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं । वह जिसके यहां चाहेगा तलाशी ले सकेगा । तलाशी लेकर बिना वारेंट वह गिरफ्तार भी करवा सकता है । जो अधिकार एक मजिस्ट्रेट को होते हैं वही अधिकार आप एक एक्साइज इन्सपेक्टर को देने जा रहे हैं जो बहुत गलत है । आबकारी इन्सपेक्टरों के करिश्में किससे छिपे हैं । इनके आफिसर चोरी करने वालों से मिले रहते हैं । गांजे के ही केस में जाने कितने लोग उनसे मिले हुए पकड़े भी गये हैं ।

मान्यवर, इसमें धारा 20—क को आप देखें । इसमें लिखा है "इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किये गये प्रत्येक व्यक्ति को अविलम्ब निकटतम थाने के प्रभारी अधिकारी अथवा धारा 10—ख के अधीन अधिकृत किसी आबकारी अधिकरी के पास ले जाया जायगा जो या तो उसे अधिकारितायुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने के लिये जमानत पर छोड़ देगा, अथवा जमानत के अभाव में उसे अभिरक्षा में ऐसे मजिस्ट्रेट को भज देगा । इससे आपने एक नया आफिसर पैदा कर कर दिया । फिर आबकारी इन्सपेक्टर यदि चाहे तो जमानत ले, नहीं तो न ले, मजस्ट्रेट को भेज दें ।

फिर 14-क द्वारा जो शक्ति आप आबकारी इन्सेपेक्टर को दे रहे हैं वह बहुत व्यापक है । इसमें लिखा है "यदि राज्य सरकार किसी आबकारी अधिकारी को धारा 13 तथा धारा 14 के खंड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के निमित्त अधिकृत करती है तो उन उपबन्धों में जिला मजिस्ट्रेट के अभिदेशों का यह अर्थ लगाया जायगा कि उसके उन्तर्गत ऐसे आबकारी अधिकारी का अभिदेश भी है ।"

मान्यवर, कहने का तात्पर्य यह है कि जो अधिकार पहले एक जिला मजिस्ट्रेट को थे वही आज आप एक आबकारी इन्सपेक्टर को देने जा रहे हैं । इससे बड़ा नुक्सान होगा।

एक बात म स्प्रिट के लिये खासतौर से कहना चाहता हूं । हमारे यहां खासतौर से फैक्टरियों में जो शीरा पैदा होता है उससे स्प्रिट बनती है । 1971—72 में 32 1/2 लाख क्वीन्टल शीरा हमारे प्रदेश में हुआ । जितनी डिस्टलरीज की फैक्टरीज हमारे यहां हैं अगर वे पूरी रफ्तार से चलें तो हमारे प्रदेश के लिये 50 लाख टन शीरा चाहिये

स्प्रिट तैयार करने के लिये और जब कि 71-72 में केवल साढ़े 32 लाख टन शीराहुआ और उसी बीच में एक्साइज विभाग तथा उद्योग विभाग दोनों ने मिलकर सांठगांठ करके एक फर्जी चीटा उद्योग के नाम पर लाखों टन शीरा बड़े बड़े मुनाफाखोरों को नेताओं, मंत्रियों के इशारे पर दे दिया । नतीजा इसका यह हुआ कि आज बरेली में जो रबड़ का कारखाना है, उसको जितनी स्प्रिट की की जरूरत है वह पूरी नहीं हो रही है।

मेरी जानकारी यह भी है कि ब्राजील अथवा विदेशों से स्प्रिट मंगाने की व्यवस्था हो रही है जबकि अपने यहां लाखों टन का शीरा इन्हीं अधिकारियों ने जिनको, आप मजिस्ट्रीरियल पावर्स देने जा रहे हैं, 60 पैसे से लेकर 70 पैसे कुंटल पर रिलीज कर दिया जब कि उसका बाजार भाव 8 रु0 से लेकर 10 रुपये कुंटल था । जिन अधिकारियों ने यह सब किया उनको अगर आप यह पावर देने जा रहे हैं तो कैसे आशा की जा सकती है कि वे चोरी को रोक सकेंगे इस कानून के बना देने के बाद ? यह संशोधन इसीलिये रखा गया है कि आप इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें जहां पर एक कम्पोजिट बिल बने और जिसमें सभी संभावनाओं पर विचार हो सके ।

केवल इतना संशोधन कर देने से कि कितनी स्प्रिट रख सकते हैं, बदली हुई स्थिति में किस दाम पर उसे बेचा जा सकता है और किस कंडीशन में उसे लिया जा सकता है इससे काम चलने वाला नहीं है और पहले से ही जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको अधिकार देना गलत होगा । अगर आवश्यकता ही है तो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों की संख्या सरकार बढ़ा दे लेकिन क्या आवश्यकता पड़ गयी कि हर आबकारी के अधिकार को मैजिस्टीरियल पावर्स दे दी जायं ? हुकूमत के इशारे पर वे जिसे चाहेंगे गिरफ्तार कर लेंगे और यह बात आगे चल कर जनतंत्र के लिये खतरनाक साबित होगी। इसलिये मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करें और एक कम्पोजिट बिल वह लायें सारी स्थिति पर विचार करके ।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

यह बिल जो स्वामी प्रसाद सिंह जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसके लिये मैं उनकी इस बात के लिये सराहना करता हूं कि जब से वह मंत्री हुए हैं तब से एक्साइज डिपार्टमेंट में चोरी को पकड़ने के लिये तथा भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करने के लिये वह अग्रसर रहे हैं और इस भावना को ले कर जो यह बिल लाया गया है उसके लिये मैं उनका स्वागत करता हूं । चोरी को कसे पकड़ा जाय और भ्रष्ट अधिकारियों को कैसे दंडित किया जाय इसका समावेश उन्होंने इस बिल में कर दिया लेकिन मुझे दुख होता है कि स्वामी प्रसाद जी एक अच्छे वकील हैं उसके बावजूद भी आनन फानन में जल्दी में उन्होंने यह बिल तैयार करवा दिया है और इस प्रकार जो उसका मंतव्य है वह आखिर में फेल हो जायगा । आप इसे पढ़ेंगे तो इस निष्कर्ष पर पहुंच जायेंगे कि जिनको हम बन्द करना चाहते हैं और जिनको इस जेल के सींखचों में डालना चाहते हैं क्या आप उनको इह बिल के आधार पर पकड़ पायेंगे ?

एक ओर तो आप कहते हैं कि तलाशी लेने का हमको अधिकार दिया जाय और जो स्प्रिट या डीजल नाजायज तरीके से बेचते हैं उनका डीजल छीनने का हमको अधिकार दिया जाय, जो कि आपने प्राप्त कर लिया है । हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि बिना लाइसेंस के डीडल बेंचते है। यह तो आपने ठीक किया, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो आपने इसमें यह जोड़ दिया है कि वह इस तरीके से जानबूझ कर तलाशी लेगा, तंग करने की दृष्टि से और उसे 2 हजार रुपया दंड देना पड़ेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री त्रिवेणी सहाय—]

मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सा ऐसा व्यापारी है जो कि आपके शासन से प्रभावित नहीं है और जिसका कि आपके शासन पर पूरा प्रभाव नहीं है। स्प्रिट लाइसेंसी आपके शासनारूढ़ लोगों के साथ चिपका हुआ है। मैं पूछना हूं कि क्या आपका इक्साइज इन्स-पेक्टर किसी व्यापारी की तलाशी ले सकता है? नहीं ले सकता है। जो प्राविधान आपने इस विधेयक के सेक्शन 10 में किया है, ऐसा करके आपने क्या कर दिया। तलाशी लेगा या नहीं लेगा, कल क्या होने वाला है इसका पता किसको है। इक्साइज इन्सपेक्टर डर के मारे किसी व्यापारी को पकड़ भी नहीं सकता। और यदि मान भी लिया कि उसने पकड़ लिया किसी भी नीयत से चाहे वह धन की नीयत से ही क्यों न हो, और यदि उसने ऐसे व्यक्ति को पकड़ लिया जो कि बिना लाइसेंस के बेंच रहा हो तो वह बाद में आपके ही पास आयेगा और कहेगा कि फलां इन्सपेक्टर की उससे दुश्मनी थी, उसने कोई स्प्रिट नहीं बेचा और जबरदस्ती उसे पकड़ लिया गया। तब आपके सामने क्या स्थिति होगी?

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आपके पास संवधानिक पहलू है सी० पी० सी० का उसमें लिखा है कि कोई व्यक्ति कैसे पकड़ा जायेगा। आप कहते हैं कि बिना वारन्ट के आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेंगे। आपने इसके सेक्शन 3(ग) में कहा है कि जिस व्यक्ति के संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध किया है, बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपका इक्साइज इन्सपेक्टर किसी व्यक्ति के ऊपर संशय करता है आपने उसे गिरफ्तार कर दिया तो इसके माने यह होते हैं कि जिस प्रकार पुलिस का दारोगा होता है जिसको कि पूरा अधिकार होता है कि वह किन्हीं परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर दे, उसी प्रकार की छूट आपने इनको भी दे दी है। यदि वह किसी व्यक्ति की शिकायत कर दे और वह 2/4 गवाही भी सामने रख दे तो वह बिना वारंट के दंडित किया जायेगा। यह तो एक गैर जिम्मेदाराना बात होगी। इसका प्रयोग पूरी तरह से हो सकता है। जैसा कि माननीय रामधारी शास्त्री ने बताया कि मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया जाय यह बिलकुल जायज बात है किन्तु इसके साथ ही यह भी प्राविधान होना चाहिये कि उस व्यक्ति को 24 घण्टे तक पेश किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो संवैधानिक स्थिति है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

जब तक इसमें प्राविधान नहीं करेंगे....

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें और भी तो है, वह अपना निवास स्थान वगैरह नहीं बतायेगा——

श्री त्रिवेणी सहाय—

मैं तो 10 (क) के बारे में कह रहा हूं। इसमें जो व्यक्ति पकड़ा जायेगा उसे आबकारी अधिकारी के सामने रखा जायेगा और जब उसके पास कोई गवाही न हो..मेरा कहना यह है कि वह उसे तीन दिन तक अपने सामने रख सकता है और बहाना कर सकता है कि मजिस्ट्रेट नहीं था। इसमें इस प्रकार का प्राविधान होना चाहिये कि 24 घंटे के अन्दर किसी मजिस्ट्रेट के सामने वह उस व्यक्ति को पेश कर देगा। यह बात नहीं आयी उनका कहना है।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर नहीं है तो संविधान में जो प्राविधान है उसी के अनुसार तो कार्यवाही होगी।

श्री त्रिवेणी सहाय—

संविधान में जहां तक प्रोविजन की बात है, यह तो इस ऐक्ट में साफ दिया हुआ है कि गलत सूचना देगा उसे दंडित किया जायेगा। गलत सूचना देने वाले को दंडित करने का हर जगह प्राविधान है। उसके ऊपर दफा 82 का मुकदमा चला कर पुलिस परेशान कर सकती है कि तुम झूठ बोले हो। इसलिये उसका प्रोविजन तो हर जगह है लेकिन जब आप एक स्पेशल ऐक्ट बना रहे हैं तो इस तरह के बहाने की गुंजायश न रहनी चाहिये कि किसी न किसी बहाने को लेकर पुलिस या अधिकारी जिसको चाहें 24 घंटे के बजाय 36 घंटे या तीन चार दिनों तक बन्द रहें और किसी मैजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश न करें।

दूसरी बात जो आपने की है वह सेक्शन 12 में परिवर्तन किया है। जो इस प्रकार है "जो कोई भी निम्नलिखित अपराध करता है, अर्थात् (क) धारा 6 क उपबन्धों का उल्लंघन करता है अथवा (ख) इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर के भुगतान में अपवंचन करता है, अथवा (ग) कोई ऐसी सूचना देने में चूक करता है जिसकी उससे इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षा की जाय, अथवा असत्य सूचना देता है (जब तक कि उसे सकारण विश्वास न हो कि उसके द्वारा प्रदत्त सूचना सत्य है, जिसे सिद्ध करने का भार उसी पर होगा) अथवा (घ) खंड (क) तथा (ख) में उल्लिखित अपराधों में से कोई अपराध करने का प्रयास करता है, अथवा उन्हें करने के निमित्त दुष्प्रेरित करता है तो उसे प्रत्येक ऐसे अपराध के निमित्त ऐसी अवधि के लिये कारावास का दंड दिया जायेगा जो छः माह तक हो सकता है, अथवा अर्थ दंड दिया जायेगा (जो दो हजार रुपये तक अथवा धारा 6 के उपबन्धों के उललंघन में ऐसे व्यक्तियों द्वारा की गयी किसी बिक्री के संबंध में इस अधिनियम के अधीन देय कर की धनराशि की दुगुनी धनराशि अथवा जैसी भी दशा हो, अपवंचित कर की दुगुनी धनराशि जो भी अधिक हो तक हो सकता है) अथवा दोनों दंड दिये जायेंगे।

मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि यह अबेटमेंट की बात कहां से आगयी, इस पर आप प्रकाश डालेंगे तो अच्छा होगा जब सारी बातें सामने आयेंगी तभी तो हम भी कुछ कह सकेंगे मूल चीज जो दी हुई है उसी के आधार पर यह होना है। मैं समझता हूं कि बिना सोचे समझे जल्दी में कुछ ऐसे प्रोविजंस इसमें रख दिये गये हैं जो आपस में एक दूसरे को बार करते हैं। जैसे क्षोभकारी तलाशी, अभिग्रहण इत्यादि के बारे में है अगर कोई गलत जाल किसी को पकड़ने के लिये फेंकता है तो उसे दंडित किया जा सकेगा। इसका परिणाम यह होगा कि इस ऐक्ट का जो उद्देश्य है वह फारफिट हो जायेगा।

इसमें है कि ऐसे किसी व्यक्ति को जो जान बूझ कर तथा विद्वेषतः असत्य सूचना देता है और इस प्रकार इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी अथवा अभिग्रहण कराता है, अर्थ दंड दिया जायेगा जो दो हजार रुपये तक हो सकता है अथवा कारावास का दंड दिया जायेगा जो दो वर्ष तक हो सकता है अथवा दोनों दंड दिये जायेंगे। मेरा कहना है कि इस ऐक्ट के तहत आप किसी प्रकार से किसी पर 2 हजार रुपये का जुरमाना कर सकते हैं, ऐसा करने के लिये आखिर कौन सा प्रोसिज्योर व तरीका है ? क्या आप लिख कर कह दें कि दंडित कर दिया जायेगा तो वह दंडित हो जायेगा। मेरे खयाल से इसके लिये आपको रूल बनाना पड़ेगा और और बहुत सोचने समझने के बाद किसी को दंड दिया जायेगा। ऐक्ट में लिख देने मात्र से आप किसी पर दो हजार रुपया जुरमाना नहीं कर सकते है। अगर ऐसा करते हैं तो वह हाई कोर्ट में चैलेंज हो जायेगा और उसे कोर्ट से अल्टरावायरस तक करार दिया जा सकेगा। जो पुराना नियम 17 था उसमें भी आपने संशोधन किया है और कहा है कि आपको रूल बनाने का अधिकार है। रूल बनाने के बाद उसे 30 दिन के अन्दर गजट में प्रकाशित किया जायगा और यदि विधान सभा या विधान परिषद् सत्र में न हो तो उसे उसमें रखा हुआ मान लिया जायेगा। यह कहा जाता है कि इसमें काफी देर लग सकती है। हम कहते हैं कि विधान

[श्री त्रिवेणी सहाय---]

सभा या बिधान परिषद में उसके विस्तरण के लिये रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने भी अधिनियम बने हैं बिधान सभा द्वारा उसके रूल्स भी बनते हैं लेकिन विधान सभा या विधान परिषद् में उन पर कोई चर्चा नहीं होती ।

श्री उपाध्यक्ष---

सदन के पटल पर नियम रखे जाते हैं उन पर चर्चा नहीं होती।

श्री त्रिवेणी सहाय---

इसमें तो यह सिद्धांत निहित है कि सरकार ईमानदारी से इन नियमों को सदन के पटल पर रखे तथा सदन के अधिकारों का विस्तरण हो । सरकार को नियम बनाने का पूरा अधिकार है और उसमें जो कुछ भी गड़बड़ी होती है उसे देख कर विधायन समिति उसे ठीक करती है। अनावश्यक रूप से अगर हर अधिनियम के रूल्स बनने लगेंगे और चर्चा होने लगेगी तो बड़ी दिक्कत होगी । आप इस विधेयक को लाये हैं और हमें पढ़ने का मौका मिला है तो यह अच्छी बात है । लेकिन इससे कोई अच्छा निष्कर्ष निकलेगा ऐसा मैं नहीं समझता हूं । मैं माननीय नित्यानन्द स्वामी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इसको जनता में प्रसारित किया जाये ।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

मान्यवर, यह जो बिधेयक आया है बहुत ही छोटा है और यह उचित है कि और हम लोगों की राय है कि इसका विरोध नहीं होना चाहिये। लेकिन इसमें कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर बिचार होना जरूरी है । इसलिये इसको प्रवर समिति में भेजने का हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है । जो विधेयक यह लाये हैं और जो पुराना विधेयक है उसमें धारा 10, 11 तथा 12 को निकाल कर दूसरी धारा रखी है । 14 में कुछ बढाया है और 17 में एक धारा को निकाला है और कुछ बढ़ाया है । श्रीमन्, 10 में पहले था कि "राज्य सरकार अपने नियंत्रणाधीन किसी बिभाग के किन्हीं भी अधिकारियों को" और अब है कि "राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिकृत कोई अधिकारी" तो इसमें क्या अन्तर हो गया । इसमें कोई अन्तर नहीं मालूम होता है । उस समय था कि तलाशी लेने का अधिकार सरकार को था । अब आप कर रहे हैं कि कोई अधिकारी, इससे हमें संदेह हो रहा है कि आपका मतलब अपने विभाग से है यानी एक्साइज इन्सपेक्टर से । हमें यह शंका हो रही है । बर्तमान स्थिति में पुलिस का अधिकार न होने से गड़बड़ी हो रही है।

हमारे मंत्री जी जलीलाबाद गये हुये थे । मुझे मालूम हुआ कि एक आदमी डीजल बेंचता है और उसमें कैरोसीन आयल मिलाता है । मैंने एस0 पी0 को फोन किया । उसने कहा कि हमें अधिकार नहीं है। उनके आने के दो रोज तक मामला खटाई में पड़ा रहा । हमें सूचना मिली कि एक्साइज इन्सपेक्टर उससे मिला हुआ है हमारे सामने समस्या खड़ी हो गई कि एक्साइज इंसपेक्टर मिला हुआ है और एस0 पी0 कहता है कि हमें कोई अधिकार नहीं है । फिर पकड़ कसे हो ।

श्री उपाध्यक्ष---

10(ख) में है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

वह तो अन्वेषण करने का अधिकार दिया है लेकिन तलाशी लेने का अधिकार पुलिस को नहीं दे रहे हैं। हमारे यहां यह घटना घटी। जब मंत्री जी वहां पहुंचे तो हमें रास्ते में मिल गये, मैंने उनसे कहा और संयोग से जहां वे दावत खा रहे थे वही आदमी मिलावट किये हुये था। मंत्री जी ने आदेश दिया। लेकिन कोई कुछ तय नहीं कर पा रहा था। कलेक्टर वगैरा ने कहा कि हमें एक्साइज इंस्पेक्टर को बताना जरूरी है। मैं कहता था कि अगर उसको बताया जायेगा तो मकसद पूरा नहीं होगा।

आबकारी मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)---

माननीय सदस्य कहां का उदाहरण दे रहे हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

बलिया का उदाहरण दे रहा हूं। वह भी आपके अन्तर्गत है। मंत्री जी को याद होगा कि जब मिलावट का हमें पता चला तो हमने उनसे कलेक्टर को फोन करने के लिये कहा था और उन्होंने फोन किया भी था, मैंने उन्हें बताया था कि शीशी बदली जा रही है। मैं एक ही बार यह काम लेकर गया था।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

एक ही बार आप केस में इन्टरेस्टेड हुये इसलिये एक ही बार कहा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

यह मैं केवल इसलिये कह रहा हूं कि बड़ी विकट स्थिति है और किस प्रकार पकड़ वहां हुई, एक बार हमने कहा और पकड़ हुई और उसके बाद वहां शीशी तोड़ी फोड़ी गई। हमने अन्य घटनायें भी मंत्री जी को बतायी थीं और कलेक्टर को उन्होंने भेजा भी था। आप अगर इसमें तलाशी का अधिकार नहीं देंगे तो लोक पकड़ से छूट जायेंगे क्योंकि आम तौर से अगर किसी चीज की थाने पर जानकारी हो जाती है तो पुलिस वहां से आसानी से मिल जाती है और तलाशी आसानी से वक्त से हो जाती है, अगर यह चीज आबकारी इन्सपेक्टर कर देंगे तो काम जल्दी नहीं होगा बल्कि ज्यादातर कामयाबी होगी ही नहीं। मुझे इसमें ऐसा लगा कि जिस तरह से पुलिस को अन्य अपराधों में अधिकार हैं वह अधिकार इस ऐक्ट में नहीं हैं और इस तरह से अपराधी बच जाते हैं। इसकी आप अच्छा है कोई उचित व्यवस्था कर दें।

इसमें 10-ख (1) में है "कि कोई पुलिस अधिकारी, जो किसी थाने के प्रभारी अधिकारी से नीचे के पद का न हो, अथवा कोई आबकारी अधिकारी, जो ऐसे पद से नीचे का न हो जैसा राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, अपनी अधिकारिता की सीमा के भीतर इस अधिनियम के अधीन किए गये किसी दण्डनीय अपराध के संबंध में अन्वेषण कर सकता है।" इसमें आप ने तलाशी की व्यवस्था नहीं रखी है.....

श्री उपाध्यक्ष---

इसमें "कोई अधिकृत अधिकारी" है, वह किसी को अधिकृत कर देंगे।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

मेरा सुझाव है कि पुलिस को यह अधिकार देना चाहिये, इससे आप की मनशा पूरी हो जायगी। एक बात मुझे और खटक रही है कि कहीं इसका और प्रतिकूल असर न हो जाय। जिस तरह से कि इंडियन पेनल कोड के अपराधों में ऐसी व्यवस्था है और उसमें एक शब्द

[श्री शम्भूनाथ चौधरी---]
आता है कि अगर नियत खराब न हो तो अदालत में वाद नहीं चलेगा। एक वाक्य लिखा जाता है। आपने 2,000 रुपया जुरमाना और कुछ लिख दिया।

आज स्थिति यह है कि डीजल के मामले में अराजक तत्व इस समय काम कर रहे हैं और उससे इनके पास पैसा भी काफी हो गया है। जिस अधिकारी को भी कहेंगे, कोई भी अधिकारी अगर सूचना मिलने पर तलाशी ले और नीयत खराब नहीं है तो कुछ नहीं मिला। लेकिन इसमें ऐसी बात रखी है कि उसकी आड़ में अगर तलाशी नहीं करते तब भी फर्जी इस्तगासा ले आते हैं ताकि कोई ऐसा न करे। मैं नहीं चाहता कि जैसे अन्य कानूनों में एक वाक्य में रहता है वह रहे नियत साफ है तो गलती होगी नहीं। आप ने दंड की मूल प्रक्रिया रखी है, वही आपने 10 (ग) में डाल दी। जो अधिकारी करते हैं, उसका नतीजा यह होता है कि सब अधिकारी डरने लगते हैं। अधिकारी कहेंगे कि कौन बवाल अपने सिर लेगा, 2 हजार रुपये का जुर्माना कौन देगा। "ग" के रहने से मेरा खयाल है कि आपकी मंशा पूरी नहीं होने वाली है। जिनको आप अधिकृत करेंगे, वे उनसे डरने लगेंगे।

अब मैं धारा 11 पर आता हूं। उसमें आपने प्राविधान कर दिया है कि आप माल को लेंगे और उसके साथ गाड़ी को या ट्रक को भी जब्त कर लेंगे। पशुओं को भी जब्त कर लेंगे। एक स्थिति होती है कि डीजल और जो मोटर स्प्रिट है उसे कोई न ले जाता हो। अगर कोई किराये पर बैलगाड़ी में ले जाता है तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि उसके पास लाइसेंस हो। अगर वह गाड़ी उसकी निजी गाड़ी हो, जो चोरबाजारी करता है, और वह जब्त हो जाय तो ठीक बात है। आप जब्त कर लें लेकिन मंत्री जी देहात से आते हैं और मैं भी देहात में रहता हूं लोग गांवों में गाड़ियों पर एक या दो ड्रम रखवा कर ले जाते हैं। उसे नहीं मालूम होता है कि ले जाने वाले के पास लाइसेंस है या नहीं। इस बात को कोई नहीं देखता। मान लीजिए वह अपनी गाड़ी पर ले जाता है, आपने उस गाड़ी वाले को पकड़ लिया। माल भी गया और उसकी गाड़ी भी जब्त हो गयी, जो उसकी जीविका का साधन है। तो इस धारा 11 से ऐसी स्थिति हो सकती है। माल लेजाने वाले का अगर निजी वाहन है तो बात समझ में आती है। लेकिन गाड़ी वाले, जिसका उस माल से कोई सम्बन्ध नहीं है, केवल किराये पर माल ले जाता है उसकी आप गाड़ी भी जब्त कर लेंगे। इससे उनकी जीविका भी चली जायगी।

मैं इस बिल से सहमत हूं पर आप इन श्रंखलाओं का समाधान कर लें तो हमें पारित करने म कोई आपत्ति नहीं है।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, यह जो विधेयक माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। इसलिए कि प्रदेश के अन्दर बहुत दिनों से यह प्रश्न था कि एक्साइज में 33 करोड़ की आमदनी इस समय है। सभी का यह ख्याल है कि अगर इसकी चोरी और बिक्री कर आदि की चोरी को रोकने का कोई तरीका हो जाय जिससे रोकथाम हो जाय तो 10 करोड़ रुपये की आमदनी बढ़ा सकते हैं। इस चीज को सामने रखते हुए इस चीज का एहसास हुआ कि कौन कौन पावर्स को एक्साइज इन्सपेक्टर्स को शुरू शुरू में डेलीगेट की जायं जिनसे चोरी वगरह, जिनकी ओर माननीय रामधारी शास्त्री ने ध्यान दिलाया है, दूर हो सकें।

आज इस प्रदेश में शीरे के मामले को लीजिए। जिस प्रकार से फैक्ट्रीज से सारा शीरा लेकर डिस्ट्रिलरीज और रबर फैक्ट्रीज को दिया जाता है वह 1 रुपया प्रति क्विंटल पर लेकिन उसमें जो कटेगरी करने का ए0 बी0 और सी0 की बात होती है। फैक्ट्री के आदमी मिल कर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिस तरीके से उसमें पानी मिलाकर, गर्द मिलाकर बाहर 40 रुपये प्रति क्विंटल पर बेंचते हैं और जब खाने वालों या तम्बाकू वालों के पास पहुंचता है तो 80 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव हो जाता है।

उन चोरियों को रोकने के लिये जब यह देखा गया कि ये चोरियां क्यों नहीं रुकती हैं, तो मालूम हुआ कि केवल एक एस0 आई0 और दो कांस्टेबिल एक जगह पर रहते हैं किसी भी फैक्ट्री में । उनके जिम्मे है कि वे देखें कि ये चोरियां न हों। लेकिन उनको कोई अख्त्यारात नहीं है, सिवाय इसके कि वे चौकीदारी करें। जब तक उनको पावर न द कि वे गिरफ्तारी आदि कर सकें, तो उस हद तक उस चोरी को रोकना गैरमुमकिन है ।

आप जानते हैं कि डीजल, किसान लोग आपने पम्पिग सेट में इस्तेमाल करते हैं । जब वे डीजल बेंचते हैं तो किसान से पूछते हैं कि आपको पर्ची चाहिये कि नहीं । सीधे-साधे किसान कहते हैं कि पर्ची लेकर क्या करेंगे । वे उनको एक या दो पैसे छोड़ देते हैं । लेकिन दूसरी तरफ सेल्स टैक्स की चोरी कर लेते हैं पर्ची न देकर । उसी तरह से, स्प्रिट में रिटेल स्प्रिट की प्राइस फिक्स नहीं है। अगर गैर कानूनी तरीके से ज्यादा पैसा लेने की बात वे कर रहे हैं तो इक्साइज इंस्पेक्टर को पावर नहीं है कि वह उसको गिरफ्तार करले या किसी किस्म की कार्यवाही करे । यह इक्साइज का मुहकमा ऐसा मुहकमा है कि जिसमें सबसे ज्यादा कम ऐडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च होता है । लेकिन इस विभाग से बहुत बड़ी आमदनी होती है । अगर जितनी चोरी होती है, उसको रोका जाय और जितने रुपये मिल सकते हैं, वे सरकार के रेवेन्यू में आयें तो हम और अधिक रुपया विकास-कार्यों में खर्च कर सकते हैं ।

इन बातों को ध्यान में रखकर ही माननीय मंत्री जी ने यह प्रयास किया कि इस विभाग का ऐडिमिनिस्ट्रेशन और अधिक पावरफुल बनाया जाय ताकि उसमें जो चोरी होती है, उसमें रुकावट पैदा हो । वैसे एक स्कीम और आने वाली है कि किस तरह से इसमें स्टाफ बढ़े, कमिश्नर आदि बढ़ाये जांएं जिससे इक्साइज विभाग से अधिक से अधिक आमदनी बढ़ाई जा सके । लेकिन यह बीच में एक तरीका अपनाया गया है कि जिससे तुरन्त कोई कार्य-वाही इस दिशा में हो और चोरी न हो सके । अगर इसको प्रवर समिति में भेजने की बात करेंगे, तो इसके मानें हुआ कि इसमें दो-चार महीने और चोरी हो जायेगी। और प्रदेश की जो भावना है कि जल्द से जल्द चोरी रोकी जा सके, वह कामयाब न हो सकेगी। इसमें यह बात नही है कि यह कोई अंतिम विधेयक है। अगर भविष्य में इससे भी ज्यादा पावरफुल विधेयक की जरूरत पड़ी चोरी रोकने के लिये तो ऐसा विधेयक पारित किया जायेगा। उसमें जो माननीय सदस्यों के और चौधरी साहब के सुझाव आये हैं, उन सबको सामने रखकर मंत्री जी उसको देखेंगे । अत: मैं समझता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेजने की जरूरत नहीं है । यह इसी तरह से बिल पास किया जाय ताकि चोरियां न बढ़े और उन पर कन्ट्रोल हो ।

*श्री पन्नालाल गुप्त (जिला फतेहपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मंत्री महोदय बिल लाये हैं, इसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । चूंकि आजकल इक्साइज में स्प्रिट में और मोटर स्प्रिट में इस तरह से चोरियां हो रहीं हैं, मिलावट हो रही है, जिसको कि इक्साइज इंस्पेक्टर और पुलिस वाले छू नहीं सकते । यह 7 प्रतिशत डीजल पर इक्साइज डियूटी है लेकिन दिल्ली में 1 प्रतिशत भी नहीं है। तो दिल्ली वाले बराबर टैंकर के टैंकर भरकर ले आते ह और यहां यू0 पी0 में सप्लाई करते ह । इलाहाबाद तक ले जाते हैं। उस पर कोई पकड़ नहीं है, कोई कानून नहीं है जो उसको पकड़ सके ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री पन्नालाल गुप्त---]

इस तरह से एक टैंकर में 10 हजार लीटर आता है और अगर 100 लीटर पर 7 रु0 के हिसाब से बचाये तो 10 हजार लीटर पर 700 रु0 बच गये और इसी पर यह लोग बिजनस करत हैं । डीजल में जो इनफीरियर आइल होता है उसको भी लेते हैं और मोटर पेट्रोल में मिट्टी का तेल मिलाते हैं । इसीलिये आप देखें कि लोग पेट्रोल या डीजल आइल लेते समय मोबिल आइल मिला लेते हैं ताकि मशीन ठीक रहे और जो धुंआ उड़ता है वह न मालूम हो । एक्स.इज इन्स्पेक्टस को इन सब बातों को चेक करने की कोई पावर्स नहीं हैं । सिर्फ एक मेकेनिकल इन्सपेक्टर जो आगरा में रहता है उसको ही पावर्स हैं चेक करने की और वह भी नहीं करता है, सिर्फ इधर-उधर घूम कर कुछ ले दे कर चला जाता है ।

मंत्री महोदय को यह देखना होगा कि कहीं मेकेनिकल इन्सपेक्टर की तरह यह इक्सा-इज इन्सपेक्टस करना न शुरू कर दें । बहुत से मामले ऐसे आये जब कि एक्साइज इन्सपेक्टर बड बडे लोगों को पकड़ा और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने 50 रु0 कम्पाउन्ड करके छोड दिया इसीलिय यह जो एक्ट लाया गया है वह एक तजुर्बे के तौर पर लाया गया है । मैं तो चाहता हूं कि वृहद रूप में यह लाया जाय क्योंकि अगर आप सेल्सटैक्स की चोरी और एक्साइज टैक्स की चोरी पर पाबन्दी कर लें तो गरीब आदमियों पर ज्यादा टैक्स लगाने की जरूरत नहीं रह जायेगी । बिजनेस वाले इसमें इतने माहिर हैं कि कोई उन्हें पकड़ ही नहीं सकता, इसलिये अब हमें थोड़ा कडुआ बनना पडगा । कन्ज्यूमर्स पर अगर हम इसी तरह से टैक्स लगाते रहे तो यह कहां तक उचित होगा । जो मंत्री जी बिल लाये ह यह बहुत ही अच्छा है और जो इसम इन्सपेक्टस को पावर्स दी गई है उसम यह देखा जायेगा कि कहां तक हम कामयाब होते हैं और कितनी एक्साइज ड्यूटी अधिक वसूल होती है । अगर हम खाली डीजल और स्प्रिट पर ही कन्ट्रोल कर लें जो दिल्ली से आता है तो करोड़ों रुपया मिल सकता है ।

*श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

यह जो विधेयक लाया गया है वह सूक्ष्म विधेयक है । यह विधेयक पुराने विधेयक को तरमीम करके लाया गया है क्योंकि प्रदेश के विधयक में और सेन्ट्रल ऐक्ट में कई स्थानों पर एकरूपता नहीं थी और उसी एकरूपता लाने के लिये जितनी कोशिश हो सकी है की गई है । यह सही है कि जांच पड़ताल करने के लिये सिर्फ एक इन्सपेक्टर है जो कि डीजल का कहलाता है । इसके अतिरिक्त एक्साइज डिपार्टमेंट में किसी इन्सपेक्टर्स को और कोई पावर्स नहीं थी कि वह मुआइना कर सके और इन्वेस्टीगेट कर सके । इसके यह माइने नहीं है कि इस ऐक्ट के जरिये जो पावर्स पुलिस की थी वह एक्साइज डिपार्टमेन्ट न छीन ली हों ।

पहले वाले ऐक्ट में न तो गिरफ्तार करने के लिये, न सजा दिलाने के लिये और न ही मुकदमा चलान की पावर्स थी । सबसे बड़ी बात यह थी इस ऐक्ट में अगर 6 महीने के अन्दर किसी केस म चाजशीट नहीं मिल जाती थी तो वह केस ही खत्म हो जाता था । इस तरह की कई दिक्कतें थीं । उन्हें हटाने के लिये मेरी यह मंशा नहीं है कि एक्साइज डिपार्टमेन्ट को सारी पावर्स देना चाहता हूं । मैं मानता हूं कि एक्साइज डिपार्टमेन्ट बहुत बदनाम है और सुधारने की भी कोशिश की जा रही है । यह नहीं हो सकता कोई एक दवा खिलाकर सब लोगों को ईमानदार कर लिया जाय । कुछ कानूनी दिक्कत भी होती है जिनकी वजह है भ्रष्टाचार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को रोकना मुश्किल होता है। मैं समझता हूं कि कानूनी दिक्कत न होतीं तो जो परसेन्टेज मैंने अभी की है उससे ज्यादा कर सकता था। हमारे विभाग को कोई पावस नहीं हैं। हमारे इंस्पेक्टर्स भी पुअर क्रीचर्स हैं। जो नीलामी होती है वह दूसरा विभाग करता है और बदनामी होती है एक्साइज डिपार्टमेंट की। मैंने एक सुझाव दिया था कि आक्शन की जो टीम है वह एक्साइज डिपार्टमेंट के अन्डर होनी चाहिये लेकिन वह किसी कारण से नहीं हो सका।

एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मुझे खबर मिली कि एक जगह नीलाम का टार्गेट बहुत थोड़ा दिया गया है। लोग आशा नहीं करते थे लेकिन मैं नीलाम के वक्त पहुच गया। लोग बोले कि यह तो बहुत अशोभनीय बात है। मैंने कहा कि इसमें अशोभनीय क्या है; नतीजा यह हुआ कि 3 लाख का टार्गेट था वह साढ़े 26 लाख पर पहुंचा। लेकिन हर चीज को चेक करने में कनूनी दिक्कतें आती हैं। ऐसे ही सीरे का मामला है। जब मैं एक्साइज का बजट पेश करूंगा तो उसके बारे में विस्तार से कहूंगा। हमारे चौधरी साहब ने कहा कि इंफारमेशन देने वाले को पैसा नहीं देंगे। लेकिन इसमें क्लाजेज हैं कि अगर कोई जान-बझकर या दुश्मनी से कार्य करता है और यह भी है कि अगर हमारे विभाग का आदमी गलत काम करता है तो जो रूल्स बनेंगे उनके मुताबिक दंड मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से निवदन करना चाहता हूं कि प्रवर समिति का जो प्रस्ताव है उसे वापस ले लें और इसको पास होनें दें ताकि पहली अप्रैल से इसको लागू कर सकें। आपके जो जो सुझाव होंगे उनपर हम ईमानदारी से और शक्ति भर विचार करेंगे।

श्री त्रिवेणी सहाय---

आपके अधिकारी तलाशी लेंगे तो दो हजार रुपये तक का दंड दे सकेंगे। यह किस तरह से देंगे।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जब रूल्स बनेंगे तो उनमें प्राविधान किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) विधयक, 1973 को जनमत संग्रह हेतु 3 माह तक परिचालित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1973 को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन 3 माह के भीतर दे और जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1973 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड 2 से 9 खंड 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1973

संयुक्त प्रांत मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान अधिनियम, 193 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये ।

विधेयक

भारत गणराज्य के तेइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1973 कहलायेगा ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या, 1939 की धारा 7 का निकाला जाना। धारा 10 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना।

2--संयुक्त प्रांत मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 जिसे आगे मूल अधिनियम, कहा गया है, की धारा 7 निकाल दी जाय ।

3--मूल अधिनियम, की धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय अर्थात:--

"10--(1) राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिकृत कोई अधिकारी--

(क) किसी ऐसे भवन, जलयान, गाड़ी अथवा स्थान में, जिसमें या जिस पर उसे, यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई मोटर स्प्रिट या डीजल आयल बेचा जाता है अथवा बेच जाने के लिये रखा जाता है, प्रवेश कर सकता है तथा उसकी तलाशी ले सकता है अथवा किसी व्यक्ति की, जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध किया है, तलाशी ले सकता है ;

(ख) किसी मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल और उसके आधान को जिस के संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम की धारा 6 अथवा किसी अन्य उपबन्ध के अधीन कोई दंडनीय अपराध किया गया है, अभिगृहीत कर सकता है तथा हटा सकता है अथवा निरुद्ध कर सकता है ;

(ग) किसी व्यक्ति को, जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध किया है, बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है ;

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध करने का दोष लगाया गया हो अथवा जिसके संबंध में ऐसा अपराध करने का युक्ति-युक्त संदेह हो, और जो पूछने पर अपना नाम बताने तथा निवास स्थान का पता देने से इंकार करे या जो अपना ऐसा नाम

या निवास स्थान बताये जिसके संबंध में ऐसे अधिकारी को उसके मिथ्या होने का विश्वास करने का कारण हो, उसका नाम तथा निवास स्थान सुनिश्चित कर सकने के लिये बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन ली जाने वाली कोई तलाशी तथा खंड (ग) अथवा खंड (घ) के अधीन की जाने वाली कोई गिरफ्तारी दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के क्रमशः तलाशी लेने तथा गिरफ्तार से करने संबंधित उपबन्धों के अनुसार की जायगी।"

नयी धारा 10-क, 10-ख तथा 10-ग का बढ़ाया जाना।

4--मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात:--

गिरफ्तार करने की प्रक्रिया

"10-क---इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किये गये प्रत्येक व्यक्ति को अविलम्ब निकटतम थाने के प्रभारी अधिकारी अथवा धारा 10-ख के अधीन अधिकृत किसी आबकारी अधिकारी के पास ले जाया जायगा जो या तो उसे अधिकारिता युक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने के लिये जमानत पर छोड़ देगा, अथवा जमानत के अभाव में उसे अभिरक्षा मे ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज देगा।

अन्वेषण करने की शक्ति

10-ख (1) कोई पुलिस अधिकारी जो किसी थाने के प्रभारी अधिकारी से नीचे के पद का न हो, अथवा कोई आबकारी अधिकारी, जो ऐसे पद से नीचे का न हो जैसा राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, अपनी अधिकारिता की सीमा के भीतर इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी दंडनीय अपराध के संबंध में अन्वेषण कर सकता है।

(2) कोई ऐसा अधिकारी उसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और उसी उपबन्ध के अधीन होगा जैसा कि थाने का प्रभारी अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अधीन किसी संज्ञेय मामले के अन्वेषण करते समय शक्ति का प्रयोग करता है और उसके उपबन्धों के अधीन होता है।

स्पष्टीकरण:--पद "आबकारी अधिकारी" का वही अर्थ है जो उसके लिये यू0 पी0 ऐक्साइज ऐक्ट, 1910 में दिया गया है।

क्षोभकारी तलाशी अभिग्रहण इत्यादि

10-ग (1) इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले आबकारी अथवा अन्य अधिकारी को, जो--

(क) संदेह होने के युक्तियुक्त कारणों के बिना किसी भवन, जलयान, गाड़ी, अथवा स्थान की तलाशी लेता है अथवा तलाशी कराता है, अथवा

(ख) किसी व्यक्ति को क्षोभकारी ढंग से तथा अनावश्यक रूप से रोकता है, उसकी तलाशी लेता है, अथवा गिरफ्तार करता है, अथवा

(ग) किसी ऐसी वस्तु को, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है, अभिगृहीत अथवा तलाश करने के बहाने किसी व्यक्ति की जंगम संपत्ति को क्षोभकारी ढंग से तथा अनावश्यक रूप से अभिगृहीत करता है; अथवा

(घ) ऐसे अधिकारी के रूप में कोई ऐसा अन्य कार्य जिससे किसी व्यक्ति को क्षति हो, बिना इस बात का विश्वास किये कि ऐसा कार्य उसके कर्त्तव्य के निष्पादन के लिये अपेक्षित है, करता है;

ऐसे प्रत्येक अपराध के लिये अर्थदंड दिया जायगा जो दो हजार रुपये तक हो सकता है ।

(2) ऐसे किसी व्यक्ति को जो जानबूझ कर तथा विद्वेषतः असत्य सूचना देता है और इस प्रकार इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी अथवा अभिगृहण कराता है, अर्थदंड दिया जायगा जो दो हजार रुपये तक हो सकता है अथवा कारावास का दंड दिया जायगा जो दो वर्ष तक हो सकता है अथवा दोनों दंड दिये जायेंगे ।"

धारा 11 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

5--मूल अधिनियम की धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय अर्थात:--

समपहरण का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति

"11-इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध पर विचार करने वाला कोई न्यायालय किसी मोटर स्प्रिट अथवा डीजल आयल को, जिसके संबंध में न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, सरकार के पक्ष में समपहरण किये जाने का आदेश दे सकता है, तथा किसी बर्तन, बंडल अथवा आवरण को जिसमें वह रखा हो और उसे ले जाने में प्रयुक्त वस्तुओं, गाड़ियों, जलयानों अथवा वाहनों को समपहृत करने का भी आदेश दे सकता है ।"

धारा 12 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

6-मूल अधिनियम की धारा 12 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात:--

अपराध तथा शास्तियां

"12--जो कोई भी निम्नलिखित अपराध करता है, अर्थात:--

(क) धारा 6 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है ; अथवा

(ख) इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर के भुगतान में अपवंचन करता है; अथवा

(ग) कोई ऐसी सूचना देने में चूक करता है जिससे उसकी इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षा की जाय, अथवा असत्य सूचना देता है (जब तक कि उसे सकारण विश्वास न हो कि उसके द्वारा प्रदत्त सूचना सत्य है, जिसे सिद्ध करने का भार उसी पर होगा) अथवा

(घ) खंड (क) तथा खंड (ख) में उल्लिखित अपराधों में से कोई अपराध करने का प्रयास करता है, अथवा उन्हें करने के निमित्त दुष्प्रेरित करता है

तो उसे, प्रत्येक ऐसे अपराध के निमित्त ऐसी अवधि के लिये कारावास का दंड दिया जायगा जो छः माह तक हो सकता है, अथवा अर्थ-दंड दिया जायगा (जो दो हजार रुपये तक अथवा धारा 6 के उपबन्धों के उल्लंघन में एसे व्यक्ति द्वारा की गई किसी बिक्री के संबंध में इस अधिनियम के अधीन देय कर की धनराशि की दुगुनी धनराशि अथवा जैसी भी दशा हो, अपवंचित कर की दुगुनी धनराशि जो भी अधिक हो, तक हो सकता है) अथवा दोनों दंड दिये जायेंगे ।"

धारा 14 का संशोधन

7––मूल अधिनियम की धारा 14 में निम्नलिखित प्रतिबन्त्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :––

"प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार की विशेष स्वीकृति से उक्त छः मास की अवधि समाप्त होने के पश्चात् मुकदमा संस्थित किया जा सकता है ।"

नयी धारा 14-क तथा 14-ख का बढ़ाया जाना ।

8––मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात् :––

आबकारी अधिकारियों को कतिपय शक्तियां प्रदान करना

"14-क––यदि राज्य सरकार किसी आबकारी अधिकारी को धारा 13 तथा धारा 14 के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के निमित्त अधिकृत करती है तो उन उपबन्धों जिला मजिस्ट्रेट में के अभिदेशों का यह अर्थ लगाया जायगा कि उसके अन्तर्गत ऐसे आबकारी अधिकारी का अभिदेश भी है ।

पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात् दण्ड में वृद्धि

14–ख––यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिये तत्पूर्व सिद्ध-दोष होने के पश्चात् पुनः इस अधिनियम के अधीन कोई दण्डनीय अपराध करता है और सिद्ध दोष होता है तो उसे ऐसी अवधि के लिये कारावास का दण्ड दिया जायगा जो एक वर्ष तक हो सकती है किन्तु तीन मास से कम नहीं होगी और दो हजार रुपये का अर्थ दण्ड भी दिया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात किसी ऐसे अपराध पर, जिस पर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अध्याय 22 के अधीन सरसरी तौर पर अन्यथा विचारण किया जाता, इस प्रकार विचारण करने से नहीं रोकेगी ।' 1898 का अधिनियम संख्या 5

धारा 17 का संशोधन

9––मूल अधिनियम की धारा 17 में––

(1) उपधारा (3) निकाल दी जाय ;

(2) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:––

"(5) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त जो एक सत्र में या आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकता है, रखे जायंगे और यदि उक्तअवधि के दौरान दोनों सदन नियम में कोई परिष्कार करने के लिये सहमत हों अथवा दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि उक्त नियम नहीं बनाया जाना चाहिये तो उक्त नियम, तत्पश्चात्

यथा स्थिति केवल ऐसे परिष्कृत रूप में प्रभावी होगा, अथवा प्रभाव-हीन हो जायगा, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिलोप तद्धीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2—9, खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1973 पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1973 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत 11 सूचनायें हैं जिनमें से मैंने 1 श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी की "ब्लैक दिसम्बर" संगठन द्वारा प्रदेश भर में प्रशासन को अस्तव्यस्त करने की धमकी के विषय में है। इसको मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकृत किया है। शेष अस्वीकृत हुए हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है। उसको भी जोड़ दिया जाए।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

जिन्होंने दिया है सब के नाम जोड़ दिये जायं। कहीं बयान से पहले मुख्य मंत्री का अपहरण न कर लें।

श्री उपाध्यक्ष—

वाराणसी का मामला वाराणसी ही जाने। जो शेष प्रश्न हैं उनके संबंध में आय व्ययक पर बहस के दौरान समुचित समय दिया जायगा।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 2 बजकर 55 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
7 मार्च, 1973।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1160 पर)

उत्तर का संलग्नक

सन् 1965 में अतिक्रमण होने पर विभाग द्वारा, पुलिस विभाग, जिलाधिकारी, बुलन्दशहर तथा क्षेत्राधिकारी के सहयोग से उचित कार्यवाही तुरन्त की गयी परन्तु इस पर भी अतिक्रमण कर्ता ने अतिक्रमण नहीं हटाया। तब विभाग ने अतिक्रमण कर्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान (I.P.C.) की धारा 441/447 के अन्तर्गत जुडिशल अफसर बुलन्दशहर के यहां एक मुकदमा दायर किया जो कुछ टेक्निकल दोषों के कारण दाखिल दफ्तर हो गया।

इसी बीच अतिक्रमण कर्ता ने जुलाई 1968 में 99 वर्ष की लीज की प्रार्थना जिलाधिकारी को दी, जिसमें विभागीय आख्या में जिलाधिकारी को लिखा गया कि इनको पट्टा नहीं दिया जाये व अतिक्रमण शीघ्र हटाया जाये। अक्टूबर 68 में फिर जिलाधिकारी ने आख्या मांगी जिस पर दोबारा यही उत्तर विभाग ने दिया कि अतिक्रमण हटाया जाये।

सन् 1969 में अल्का होटल की ओर से श्री रघुराज सिंह ने मुंसिफ कोर्ट बुलन्दशहर के यहां मुकदमा नं0 555/69 दायर कर दिया और परमानेन्ट इनजेक्शन का प्रार्थना पत्र दे दिया जो विभाग द्वारा कन्टेस्ट किये जाने पर मार्च 1970 में खारिज हो गया। इसकी अपील उन्होंने जिला जज बुलन्दशहर के यहां दायर की तथा यह भी जुलाई, 1970 में खारिज हो गयी।

इसी दरमियान 20 जुलाई, 1970 को मुंसिफ कोर्ट बुलन्दशहर के यहां दूसरा मुकदमा नं0 336/70 दूसरे नाम से दायर किया तथा इसमें फिर परमानेन्ट इंजेक्शन मांगा। यह प्रार्थना पत्र भी अक्तूबर 70 को खारिज हो गया तथा इसकी अपील जिला जज बुलन्दशहर के यहां दायर कर दी मुकदमा नं0 336/70 तथा उसके परमानेन्ट इंजेक्शन की अपील जो बुलन्दशहर में सुनी जा रही थी श्री रघुराजसिंह ने इन दोनों वादों को बुलन्दशहर से तबादिला कराने के लिये इलाहाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी। यह दरख्वास्त विभाग के कन्टेस्ट करने के बावजूद मंजूर हो गयी और वाद संख्या 336/70 व इसका परमानेन्ट इजक्शन की अपील 147/70 जिला अलीगढ़ को ट्रांसफर हो गयी।

सिविल जज अलीगढ़ ने इस अपील को अपने आदेश दिनांक 14-10-71 में स्वीकार करके 20-10-70 का आदेश रद्द कर दिया तथा केस लोअर कोर्ट को पुनः सुनवायी के लिये भेज दिया। तब उसे यह मुकदमा मुंसिफ कोर्ट अलीगढ़ की अदालत में चल रहा है।

फरवरी 1972 में जिलाधीश बुलन्दशहर को सिविल जज अलीगढ़ के फैसले की एक प्रतिलिपि दिनांक 14-10-72 मय स्टैन्डिंग कौन्सिल की राय के साथ भेज दी गयी थी ताकि वह पुलिस द्वारा इमारत को गिराने की कार्यवाही करें। जिला अधिकारी से पत्र व्यवहार चल रहा है। अभी उन्होंने कोई कायवाही इस सिलसिले में नहीं की है।

उक्त मुकदमा नं0 336/70 अभी मुंसिफ कोर्ट अलीगढ़ के यहां चल रहा है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1174 पर)

अक्टूबर/नवम्बर 1972 में सार्वजनिक निर्माण विभाग में नियुक्त सहायक अभियन्ताओं (मेकेनिकल) की सूची ।

सर्वश्री

1—शिव सिंह राना (अनुसूचित जन जाति)
2—विजय कुमार चौधरी (तदैव)
3—महेन्द्र कुमार पुत्र श्री नरोत्तम प्रसाद
4—बलबीर चन्द्र (अनुसूचित जाति)
5—राजन्द्र नारायण सक्सेना (स्वतन्त्रता संग्रामी के आश्रित)
6—केशव कुमार सिंघल
7—रमेश चन्द्र गुप्ता
8—ज्योति स्वरूप गुप्ता
9—सईद उद्दीन
10—अवधेश नरायन सिंह
11—सुमोद चन्द्र शर्मा
12—जितेन्द्र पाल
13—प्रकाश चन्द्र सक्सेना
14—अनिल कुमार शर्मा
15—अशोक कुमार
16—आत्मा राम
17—सुकुमार दत्ता
18—रविन्द्र कुमार गुप्ता
19—अलाउद्दीन
20—प्रिय वृत आर्य
21—बाल कृष्ण शर्मा
22—रमेश चन्द्र
23—शरत चन्द्र रमोला
24—अविनाश कुमर गुप्ता
25—शिव कुमार अग्रवाल
26—प्रताप सिंह राठौर
27—सुशील कुमार सिंह
28—रविन्द्र नाथ मिश्रा
29—जय नाथ पान्ड
30—पुरुषोत्तमदास गुप्ता
31—चेतन दत्त मित्तल
32—राम देव राम विश्वकर्मा
33—प्रदीप कुमार शर्मा
34—जितेन्द्र कुमार जैन
35—असीम कुमार गौतम (अनुसूचित जाति)
36—राम किशोर अग्रवाल
37—बलबीर सिंह सिरोही
38—दिनेश प्रसाद मेडल
39—जसविन्द्र सिंह

40—सुभाष चन्द्र भसीन
41—प्रताप किरन चौरसिया
42—सत्य प्रकाश श्रीवास्तव
43—महेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम लाल
44—राम मोहन श्रीवास्तव
45—चन्द्र कान्त मेहता
46—निर्मल कुमार जैन
47—कृष्ण मुरारी अग्रवाल
48—जितेन्द्र कुमार सिंह
49—भगवानदास माहेश्वरी
50—सतेन्द्र जीत सिंह
51—स्वतंत्र कुमार रावत
52—विनोद कुमार गुप्ता

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 26 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1177 पर)

उन प्रशिक्षित हरिजन नलकूप चालक अभ्यर्थियों के नाम व पते की सूची जो लीव-वेकेन्सी में कार्य कर रहे हैं ।

नलकूप खण्ड, बस्ती

सर्वश्री:

1. धनपत .. ग्राम दनियापुर, पो0 तरौजापार, जिला बस्ती
2. जगदम्बा प्रसाद ग्राम मकवा, पो0 भानपुर ,, ,,
3. रामकुबेर .. ग्राम अहिरौली, पो0 भुजैनी ,,
4. दशरथ .. ग्राम नरहरिया, पो0 पुरानी बस्ती ,,
5. झिनकान .. ग्राम दुबैलिया, पो0 दुबौलिया ,,
6. प्रभु प्रसाद .. ग्राम दाखिन दरवाजा, पो0 पुरानी बस्ती ,,

नलकूप खण्ड, आजमगढ़

7. रामबलीराम .. ग्राम पाही मुबारकपुर, मुबारकपुर, जिला आजमगढ़

सिंचाई खण्ड, देवरिया

8. श्रवण प्रसाद .. ग्राम गढ़रामपुर, पो0 गढ़रामपुर, जिला देवरिया

उन प्रशिक्षित हरिजन नलकूप चालक अभ्यर्थियों के नाम व पते की सूची जो घर पर बैठे हैं ।

क्रमांक	नाम	पता	विवरण
		नलकूप खण्ड, आजमगढ़	
1.	श्री रामलगन	.. ग्राम गैरीड़ीह खालसा, पो0 जमालपुर, जिला आजमगढ़ ।	इन्हें लीव वेकेन्सी में नियुक्त किया जा चुका है ।
2.	श्री राम प्रसाद	.. ग्राम सौरा, पो0 कन्धरपुर, जिला आजमगढ़ ।	,,
3.	श्री कुशहर राम	.. ग्राम भानपुर, पो0 भानपुर, जिला आजमगढ़ ।	,,
		सिंचाई खण्ड, देवरिया	
4.	श्री हरी प्रसाद पुत्र धर्मराज	ग्राम चिडगौडा, पो0 अहिरौली बाजार, जिला देवरिया ।	घर पर बैठे हैं
5.	श्री रमेश प्रसाद, पुत्र चोकट	ग्राम व पो0 तम्कुही, जिला देवरिया	,,
6.	श्री छोटेलाल, पुत्र रामलखन	ग्राम हरीरामपुर, पो0 गौरीबाजार, जिला देवरिया ।	,,
7.	श्री फूलचन्द, पुत्र जंगी	.. ग्राम लक्ष्मीपुर, पो0 गोठा रसूलपुर, जिला देवरिया ।	,,
8.	श्री रामसेवक पुत्र विक्रम	.. ग्राम विन्दवलिया, पो0 तिवई, जिला देवरिया ।	,,
9.	श्री गनिपत प्रसाद पुत्र रामदास	ग्राम बांसपार बाजार, पो0 देवरिया, जिला देवरिया ।	,,
10.	श्री रमाकान्त पुत्र मेवल	.. ग्राम कतपुरा, पो0 रुद्रपुर, जिला देवरिया	,,

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1187 पर)

नलकूप मंडल, बरेली में मंडल के बाहर के अन्य जिलों के रहने वाले लिपिकों के नाम तथा उनके निवास—जिले के नाम की सूची ।

	नाम	निवास जिला		नाम	निवास जिला
1	श्री अब्दुल वाहिद खां मुख्य लिपिक ।	बिजनौर	21	श्री कृष्ण बिहारी लाल, नैत्यिक कोटि लिपिक ।	एटा
2	श्री नरेन्द्रनाथ सक्सेना .. आशुलिपिक ।	लखनऊ	22	श्री शिव दत्त सक्सेना, नैत्यिक कोटि लिपिक ।	,,
3	श्री राम बहादुर सक्सेना, आशु लिपिक ।	मैनपुरी	23	श्री घनश्याम सिंह, नैत्यिक कोटि लिपिक ।	मुरादाबाद
4	सुरेश बाबू, आलेखक एवं प्रालेखक ।	एटा	24	श्री कृष्ण कुमार भटनागर, नैत्यिक कोटि लिपिक ।	,,
5	श्री रमेश चन्द्र सक्सेना, आलेखक एवं प्रालेखक ।	एटा	25	श्री सैयद सफीउल हसन, नकवी, नैत्यिक कोटि लिपिक ।	,,
6	श्री ब्रह्मानन्द शर्मा, आलेखक एवं प्रालेखक ।	मेरठ	26	श्री इन्द्र सिंह, नैत्यिक कोटि लिपिक ।	,,
7	श्री दिनेश चन्द्र, आलेखक एवं प्रालेखक ।	मुरादाबाद	27	श्री वीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी, नैत्यिक कोटि लिपिक ।	,,
8	श्री हरी ओम प्रकाश, आलेखक एवं प्रालेखक ।	,,	28	श्री कैलाश राम, नैत्यिक कोटि लिपिक ।	गाजीपुर
9	श्री ज्ञान प्रकाश, आलेखक एवं प्रालेखक ।	बुलन्दशहर	29	श्री रामाधार शर्मा, नैत्यिक कोटि लिपिक ।	वाराणसी
10	श्री रामसरन शर्मा, आलेखक एवं प्रालेखक ।	,,	30	श्री जुगल किशोर तिवारी, नैत्यिक कोटि लिपिक ।	हरदोई
11	बाबूशंकर, आलेखक एवं प्रालेखक ।	,,	31	श्री रामकुमार मिश्रा, नैत्यिक कोटि लिपिक ।	,,
12	श्री चिरोजी लाल, आलेखक एवं प्रालेखक ।	,,	32	श्री महीपाल सिंह, नैत्यिक कोटि लिपिक ।	,,
13	श्री श्रीगोपाल शर्मा, आलेखक एवं प्रालेखक ।	अलीगढ़	33	श्री राम सरन मिश्रा, नैत्यिक एवं कोटि लिपिक ।	,,
14	श्री किशोरी लाल, आलेखक एवं प्रालेखक ।	,,	34	श्री शिव औतार,	बिजनौर ।
15	श्री अहमद हुसैन अन्सारी, आलेखक एवं प्रालेखक ।	,,	35	श्री देवेन्द्र कुमार,	अलीगढ़ ।
			36	श्री कामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी, नैत्यिक कोटि लिपिक ।	मिर्जापुर
16	श्री सालिक राम, आलेखक एवं प्रालेखक ।	रामपुर	37	श्री सुरेन्द्र नाथ मिश्रा, नैत्यिक कोटि लिपिक ।	कानपुर
17	श्री प्रेम चन्द्र, आलेखक एवं प्रालेखक ।	मैनपुरी	38	श्री सत्य देव शर्मा, मुख्य सहायक ।	बुलन्दशहर
18	श्री मदन मोहन, आलेखक एवं प्रालेखक ।	मथुरा	39	श्री मौरिष सिंह, वरिष्ठ आलेखक एवं प्रालेखक ।	झांसी
19	श्री प्यारे मोहन, आलेखक एवं प्रालखक ।	आगरा			
20	श्री महेशचन्द्र उपाध्याय, नैत्यिक कोटि लिपिक ।	एटा			

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1190 पर)

जिला झांसी में वर्ष 1970–71, 1971–72 तथा 1972–73 में निर्माण हेतु स्वीकृत सड़कों की सूची।

वर्ष 1970–71 में स्वीकृत कार्य

आयोजनागत (नवनिर्माण)

सड़क का नाम	लम्बाई (कि0मी0)
1—गुरसराय—गरोठा सड़क	13.0
2—गुरसराय—कोटराघाट सड़क	25.50
3—बिजना–बांगरा रेलवे स्टेशन	23.00
4—ललितपुर—किलगांव सड़क	40.00

पुनः निर्माण एवं सुधार

1—एरिचमऊ—भभौरी मार्ग	17.40
2—रामनगर–चिरगांव–बघेरा मार्ग	22.75

आयोजनेतर (उत्तर प्रदेश सड़क निधि से वित्त पोषित निर्माण कार्य)

1—बार—बानपुर सड़क	26.00
2—बिजना—पंडवाहा सड़क	16.68
3—जाखलौन—पाली बंगरिया सड़क	24.00
4—मनदौरा—गिरार सड़क	16.00
5—महरौनी—सोजना सड़क	19.00
6—बांगरा—बिजना–तहरौली सड़क	14.75
7—बघेरा—तहरौली सड़क	6.50

वर्ष 1971–72 में स्वीकृत कार्य

आयोजनागत (नवनिर्माण) कार्य

1—मऊ रानीपुर चुरारा ढिकौली मार्ग का भाग	8.00

वर्ष 1972–73 में स्वीकृत कार्य (विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत)

1—तालबहेट के निकट बाबागिरी के लिये पहुंच मार्ग ..	5.00
2—समथर से पिपरी कलां मार्ग का भाग	6.00
3—झांसी से उन्नाव-बालाजी मार्ग का भाग	6.00
4—मोंठ—गुरसराय मार्ग का छूटा भाग	8.00

वर्ष 1972–73 में स्वीकृत कार्य (डाकूग्रस्त क्षेत्र में)

1—समथर—दबोह मार्ग का निर्माण	10.00
2—समथर–पंडोखार–इंदरगढ़ मार्ग का निर्माण	7.00
3—बानपुर–कैलगवां मौरा मार्ग का निर्माण	15.50
4—बानपुर—टीकमगढ़ मार्ग का निर्माण	4.00
5—पाली—पीरघाट–शिमलासा–कंजिउना मार्ग का निर्माण ..	29.00
6—सोजना—जगरा मार्ग का निर्माण	8.00

नत्थी 'च'

[कृपया देखिये पीछे पृष्ठ 1202 पर]

इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1973

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927 का अग्रेतर संशोधन करने और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम इण्डियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1973 कहलायेगा ।

ऐक्ट संख्या 16, 1927 में नयी धारा 22-ए का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित इण्डियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 22 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय और 23 नवम्बर, 1960 से बढ़ायी गयी समझी जायगी, अर्थात्—

अन्य मामलों में पुनरीक्षण करने की शक्ति

"22-ए—(1) धारा 22 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, या तो स्वयं अथवा तथ्यं याचिका दी जाने पर, धारा 18 के अधीन निर्णीत किसी अपील के अभिलेख मंगा सकती है, और ऐसी अपील पर दिये गये आदेश की पुष्टि कर सकती है, अथवा उसे रद्द कर सकती है, अथवा उसमें परिष्कार कर सकती है, अथवा ऐसे निदेशों के साथ जिन्हें वह उचित समझे, मामला वन बन्दोबस्त अधिकारी के पास वापस भेज सकती है ।

(2) 22 नवम्बर, 1965 के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई भी याचिका नहीं दी जा सकती, और उक्त दिनांक के पश्चात् राज्य सरकार इस धारा के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती ।"

संक्रमण कालीन उपबन्ध

3—(1) 23 नवम्बर, 1960 और 22 नवम्बर, 1965 के बीच किसी समय राज्य सरकार को प्रस्तुत की गयी कोई याचिका, जिसमें मूल अधिनियम की धारा 18 के अधीन अपील पर दिये गये आदेश के पुनरीक्षण की मांग हो, जब तक कि वह किसी प्रबन्ध के पुनरीक्षण के लिये उक्त अधिनियम की धारा 22 के अधीन याचिका न हो, इस अधिनियम की धारा 2 द्वारा बढ़ायी गयी उक्त अधिनियम की धारा 22-ए के अधीन दी गयी समझी जायगी ।

(2) प्रत्येक ऐसी याचिका, चाहे वह 23 नवम्बर, 1965 को राज्य सरकार के पास विचाराधीन हो अथवा उसके द्वारा उक्त दिनांक के पूर्व निर्णीत की गई तात्पर्यित हो, राज्य सरकार द्वारा क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायाधिकरण को अभिदिष्ट की जायगी, और न्यायाधिकरण राज्य सरकार के निर्णय यदि कोई हो, की उपेक्षा करने क पश्चात् और पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् पुनरीक्षणाधीन आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है, या उसमें परिष्कार कर सकता है अथवा ऐसे निदेशों के साथ जिन्हें वह उचित समझे, मामला वन बन्दोबस्त अधिकारी के पास वापस भेज सकता है ।

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से ऐसी अपेक्षा की गयी नहीं समझी जायगी कि राज्य सरकार वन अधिकारी द्वारा दी गयी कोई याचिका, जिस पर राज्य सरकार आगे कार्यवाही करना उचित न समझे, न्यायाधिकरण को अभिदिष्ट करे, और वन अधिकारी द्वारा दी गयी प्रत्येक याचिका, जो 23 नवम्बर, 1965 और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से तीन महीने की समाप्ति के बीच इस प्रकार अभिदिष्ट न की जाय, अस्वीकृत की गयी समझी जायगी, भले ही राज्य-सरकार का उस पर तात्पर्यित निर्णय कुछ भी हो ।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, प्रत्येक ऐसी याचिका, जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व इण्डियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1965 की धारा 16 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त मानी गयी शक्तियों के तात्पर्यित प्रयोग में न्यायाधिकरण को अभिदिष्ट किये जाने के लिये तात्पर्यित हों, इस धारा की उपधारा (2) के अधीन न्यायाधिकरण को अभिदिष्ट की गयी समझी जायगी मानो कि इस अधिनियम के उपबन्ध अभिदेश क समय प्रभावी थ, तथा तदनुसार:—

(क) जहां कि या तो न्यायाधिकरण ने स्वयं यह निर्णीत किया हो कि अभिदेश अक्षम है और तद्नुसार क्षेत्राधिकार का प्रयोग न किया हो, अथवा उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 अथवा अनुच्छेद 227 के अधीन अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां इस आधार पर रद्द कर दी गयी हों कि याचिका, जो इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927 की धारा 18 की उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिये तात्पर्यित थी, ग्राह्य न थी क्योंकि वह उस अधिनियम की धारा 22 में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिये थी, और इस प्रकार इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1965 की धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन न्यायाधिकरण को अभिदेश नहीं किया जा सकता था, तब न्यायाधिकरण, अपने समक्ष इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तीन महीने के भीतर अथवा ऐसे अग्रेतर समय के भीतर जिसे न्यायाधिकरण पर्याप्त कारण दर्शित करने पर अनुज्ञात करे, प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, ऐसे किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी, अपने आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार अभिदेश का निर्णय कर सकता है;

(ख) जहां कि न्यायाधिकरण ने उसे, मामले के गुणानुसार निर्णीत किया हो, वहां उसका निर्णय, मूल अधिनियम की धारा 22 के अधीन रहते हुए, वैध होगा तथा हमेशा से वैध समझा जायगा, भले ही किसी न्यायालय का कोई निर्णय, डिक्री या आदेश उसके प्रतिकूल हो ।

स्पष्टीकरण:—पद 'न्यायाधिकरण' का तात्पर्य इण्डियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनयम, 1965 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन संघटित न्यायाधिकरण से है ।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में इण्डियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927 (ऐक्ट सं0 16, 1927) में निम्नलिखित कारणों से अग्रेतर संशोधन करना आवश्यक हो गया है :—

23 नवम्बर, 1965 के पूर्व, राज्य सरकार वन बन्दोबस्त अधिकारी और अपील अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 18 (4) के अधीन पुनरीक्षण ग्रहण करती रही थी। रघुनाथ सिंह के मामले (1961 इलाहाबाद ला जर्नल 686) में, उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राज्य सरकार को केवल धारा 22 के अधीन प्रबन्ध का पुनरीक्षण करने की शक्ति है और उसे धारा 18(4) के अधीन कोई अनाश्रित शक्ति नहीं है। इस निर्णय के पश्चात् एक संशोधन अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 23, 1965) पारित किया गया, जो 23 नवम्बर, 1965 से प्रवृत्त हुआ। उसमें यह व्यवस्था की गयी कि भविष्य में पुनरीक्षण के मामले जिला जज को प्रस्तुत किये जायेंगे। इस अधिनियम में इस आशय का एक संक्रमणकालीन उपबन्ध भी बनाया गया कि जिला जज के स्तर का न्यायाधिकरण ऐसे सभी पुनरीक्षणों को निस्तारित करेगा, जिन्हें संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व पांच वर्ष के भीतर धारा 18 (4) के अधीन राज्य सरकार को प्रस्तुत करना तात्पर्यित हो, चाहे वे इस प्रकार प्रारम्भ होने के दिनांक को विचाराधीन हों, अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्णीत किये गये तात्पर्यित हों। किन्तु पृथ्वी के मामले में उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने स्पेशल अपील संख्या 931/1969, दिनांक 6 जनवरी, 1970, में यह निर्णय दे दिया कि न्यायाधिकरण उन पुनरीक्षणों पर निर्णय नहीं दे सकता जो राज्य सरकार के पास विधिमान्यतः प्रस्तुत नहीं किय जा सकते थे। अब सूबेदार दलीपसिंह के मामले में (स्पेशल अपील संख्या 14/1970, दिनांक 21 अप्रल, 1972) उच्च न्यायालय की फुल बेंच ने डिवीजन बेंच के उक्त निर्णय को गलत बताया है। परन्तु फुल बेंच के इस निर्णय से डिवीजन बेंच के उक्त निर्णय के फलस्वरूप उत्पन्न हुई कठिनाइयां पूरी तौर से दूर नहीं होती हैं, क्योंकि बहुत से अन्य मामलों में न्यायाधिकरण अथवा उच्च न्यायालय पहिले ही यह घोषित कर चुके हैं कि न्यायाधिकरण उन पुनरीक्षणों में क्षमता नहीं रखता था।

अतः विधान मण्डल के आशय को और स्पष्ट करने के उद्देश्य से राज्य सरकार को केवल 23 नवम्बर, 1960 से 22 नवम्बर, 1965 तक की पांच वर्ष की अवधि के लिय पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करने का विशेष रूप से प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि ऐसे सभी पुनरीक्षण सक्षम माने जायें, जो न्यायाधिकरण के पास विचाराधीन हों या न्यायाधिकरण द्वारा निर्णीत किये जा चुके हों अथवा जो स्वयं न्यायाधिकरण द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा अक्षम निर्णीत किये गये हों।

तद्नुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

अजीत प्रताप सिंह,
वन मन्त्री,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'छ'

[कृपया देखिये पीछे पृष्ठ 1202 पर]

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1973 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 147 तथा 159 के अन्तर्गत शाब्दिक संशोधनों की सूची

नियम 147 के अन्तर्गत

1—खण्ड 11 द्वारा बढ़ायी जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 8—ग की उपधारा (2) के अन्त में शब्द "है" बढ़ा दिया गया है ।

2—खण्ड 16 द्वारा बढ़ायी जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) की अन्तिम पंक्ति में शब्द 'बही' के स्थान पर शब्द "बहियां" रख दिया गया है ।

3—खण्ड 17 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 13 में बढ़ायी जाने वाली उपधारा (3—क) की दूसरी पंक्ति में शब्द "या" और शब्द "लेखपत्र" के बीच शब्द "अन्य" बढ़ा दिया गया है ।

नियम 159 के अन्तर्गत

4—खण्ड 23 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 25—क की उपधारा (1) के खण्ड (झ) की प्रथम पंक्ति में "लेखा-पत्रों" के स्थान पर "लेख-पत्रों" रख दिया गया है ।

विधान भवन

नत्थी 'ज'

[कृपया देखिये पीछे पृष्ठ 1205 पर]

कार्य-मंत्रणा समिति की 5 मार्च, 1973 के निर्णय के अनुसार विधान सभा के 7 मार्च, से 9 मार्च, 1973 के उपवेशनों का प्रस्तावित कार्य-क्रम ।

---

7 मार्च, 1973

(1) उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) जारी रखने का) विधेयक, 1972 जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार एवं उसका पारण ।

2—उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1973 पर विचार एवं उसका पारण ।

8 मार्च, 1973

1—उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 251 के उपनियम (घ) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियम समिति (1971-72) के प्रथम प्रतिवेदन के, जो दिनांक 19 जुलाई, 1971 को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, पृष्ठ 1 पर प्रस्तावित नियम 14 और पृष्ठ 7 पर नियम 216 के प्रस्तावित उपनियम (4) पर श्री लक्ष्मीरमण आचार्य, सदस्य विधान सभा की आपत्ति और उनके द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संशोधनों पर विचार :

1—नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"14—सभा का अधिवेशन—अनुच्छेद 174 के अधीन रहते हुए, साधारण प्रत्येक वर्ष में सभा के तीन अधिवेशन और नब्बे दिन के उपवेशन होंगे । उक्त तीन अधिवेशन साधारणतया निम्नलिखित सारिणी के अनुसार किये जा सकेंगे:—

सारिणी

(1)	आय-व्ययक अधिवेशन	.. 1 फरवरी से 7 मई तक ।
(2)	वर्षाकालीन अधिवेशन	.. 15 जुलाई से 15 सितम्बर तक ।
(3)	शीतकालीन अधिवेशन	.. 5 नवम्बर या दीपावली के चौथे .. दिन से जो भी बाद में हो, 22 .. दिसम्बर तक ।"

चर्चाधीन

2—नियम 216 के प्रस्तावित उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(4) प्रतिवेदन उपस्थित किये जाने के उपरांत, किन्तु उपस्थित किये जाने की तिथि से 15 दिन के भीतर, प्रतिवेदन में उल्लिखित किसी ऐसे विशेष मामले पर, जिसमें सरकार और समिति के बीच मौलिक मतभेद हो, किसी सदस्य द्वारा चर्चा की मांग किये जाने पर, अध्यक्ष यदि सूचित समझे, तो उस विषय पर चर्चा के लिये समय नियत कर सकेंगे । सदन के समक्ष ऐसे चर्चा के लिये न कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मत लिये जायेंगे ।"

2—(क) उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियम समिति (1971–72) के तृतीय प्रतिवेदन में, जो दिनांक 10 जनवरी, 1972 को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, पृष्ठ 2 पर प्रस्तावित नियम 251 के उपनियम (क) पर श्री कल्याण सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संशोधन पर विचार :

समिति के प्रतिवेदन के पैरा 8 के अनुसार स्वीकृत नियम 251 के उपनियम (क) की तीसरी पंक्ति में शब्द "सभी या" निकाल दिये जायं ।

3—इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1973, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार एवं उसका पारण ।

9 मार्च, 1973
(प्रश्नोत्तर के बाद अपराह्न 5 बजे तक सामान्य कार्य के रूप में,)

(1) उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 25 के परन्तुक के अन्तर्गत श्री सच्चिदानन्द गुप्त के निम्नलिखित संकल्प तथा उसमें प्रस्तुत किये गये श्री जगदीश गांधी के संशोधन, जिस पर 12 जनवरी, 1973 को, चर्चा स्थगित हुई थी, पर चर्चा जारी ।

श्री सच्चिदानन्द गुप्त का संकल्प—

"इस सदन का यह निश्चित् मत है कि समता और बराबरी कायम करने के लिये राज्य में खर्चीले प्राथमिक स्कूलों के संचालन पर, रोक लगा दी जाय और प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य और समान रूप से देने की व्यवस्था की जाय ।"

श्री जगदीश गांधी द्वारा प्रस्तुत संशोधन—

संकल्प के अन्त में ये शब्द जोड़ दिये जायं—

"किन्तु जब तक अच्छी प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य और समान रूप से देने की समुचित व्यवस्था न हो सके तब तक राज्य के विशिष्ट व खर्चीले विद्यालयों में प्रतिभाशाली बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था शासन की ओर से आर्थिक सहायता तथा शिक्षा कर लगा कर की जायें ।"

(2) दिनांक 21 फरवरी, 1973 को असरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिये की गई शलाका के फलस्वरूप निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुत किया जाना:—

क्रम सं0	सदस्य का नाम	
1	श्री भगेलू सिंह, श्री रामकुमार दीक्षित, श्री शफीक अहमद, श्री हरिनाथ तिवारी श्री रामधारी शास्त्री, श्री श्रीराम सिंह, श्री गंगा प्रसाद, श्री रूपनाथ सिंह यादव, श्री शिवदास, श्री चन्द्र भान शर्मा, श्री शम्भनाथ चौधरी, श्री बलवीर सिंह, श्री रामबिलास पांडेय,	"इस सदन का यह निश्चित मत है कि सर्व श्री हिन्डाल को एवं सर्वश्री कनौरिया केमिकल्स के साथ जो इकरार नामे किये गये हैं वे जनहित के विरुद्ध हैं और उनके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 39 (द) तथा (सी) में निहित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के विरुद्ध सम्बन्धित का केन्द्रण कुछ पूंजीपतियों के हाथ में होने की संभावना है । अतः ऐसी विधि के निर्माण के लिये राज्य सरकार तुरन्त विधान सभा के वर्तमान सत्र में आवश्यक कदम उठाये जिससे इन इकरारनामों को पालन का परिहार किया जा सके । इस सदन का यह भी निश्चित मत है कि ऐसी विधि में यह घोषणा भी की जाय कि यह विधि अनुच्छेद 39 (बी) तथा (सी) में विनिर्दिष्ट निदेशक तत्वों को सुनिश्चित करने के लिये, राज्य की नीति को प्रभावी करने के लिये बनाई जा रही है ।"

श्री सूबेदार प्रसाद,
श्री हबीब अहमद तथा
श्री रघुवीर सिंह यादव ।

2 श्री बनारसी राम, श्री रामशिरोमणि दुबे, श्री रामदेव दुबे तथा श्री श्याम लाल कनौजिया । "इस सदन का यह निश्चित मत है कि सरकार अविलम्ब खेतासराय, जनपद जौनपुर, में एक आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना करे ।"

3 श्री सुरेन्द्र विक्रम । "इस सदन का यह निश्चित मत है कि गरीब मजदूर और छोटे कृषकों के बच्चे जो हाईस्कूल में प्रथम श्रेणी में पास होते हैं उनकी अग्रेतर शिक्षा का भार राज्य सरकार वहन करे ।"

(5 बजे अपराह्न)—

1—वित्तीय वर्ष 1972–73 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान का प्रस्तुतीकरण ।

2—वित्तीय वर्ष 1973–74 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण ।

3—वित्तीय वर्ष 1973–74 के प्रथम 1 माह के लिये लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण ।

(पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 334 एल० ए०—1973—835 ।